



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं  
के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति  
पर प्रतिवेदन  
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार  
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 3



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं  
के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति  
पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार  
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 3



## अनुक्रमणिका

| विवरण  | संदर्भ   |              |
|--|----------|--------------|
|  | परिच्छेद | पृष्ठ संख्या |
| प्रस्तावना   |          | iii          |
| कार्यकारी सारांश   |          | v-vii        |
| <b>अध्याय-I: परिचय</b>   |          |              |
| हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का अवलोकन                | 1.1      | 1            |
| संगठनात्मक ढांचा   | 1.2      | 1-2          |
| सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड                      | 1.3      | 2-4          |
| लाभार्थियों की पहचान   | 1.4      | 4-5          |
| संवितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली   | 1.5      | 5-6          |
| <b>अध्याय-II: लेखापरीक्षा दृष्टिकोण</b>                                  |          |              |
| लेखापरीक्षा उद्देश्य   | 2.1      | 7            |
| लेखापरीक्षा मानदंड   | 2.2      | 7            |
| लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली                            | 2.3      | 7-9          |
| आभार   | 2.4      | 9            |
| लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संघटन  | 2.5      | 9            |
| <b>अध्याय-III: कवरेज एवं वित्तीय प्रबंधन</b>                             |          |              |
| पात्र व्यक्तियों का डेटाबेस  | 3.1      | 11-12        |
| लक्षित लाभार्थी एवं उनका कवरेज   | 3.2      | 12-14        |
| लंबित मामले  | 3.3      | 14-16        |
| बजट आवंटन एवं व्यय   | 3.4      | 16-17        |
| सामाजिक सुरक्षा पेंशन निधियों का अवरोधन                                  | 3.5      | 17           |
| <b>अध्याय-IV: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे का अनुपालन</b>                   |          |              |
| डीबीटी ढांचे के साथ मौजूदा प्रणाली की तुलना                              | 4.1      | 20-23        |
| <b>अध्याय-V: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया</b> |          |              |
| लाभार्थियों की विशिष्टता   | 5.1      | 25-28        |
| आवेदनों की जांच एवं प्रक्रिया  | 5.2      | 28-32        |
| लाभार्थियों का चयन   | 5.3      | 32-37        |
| पेंशन संवितरण  | 5.4      | 37-41        |
| विद्यमान लाभार्थियों की पुष्टि   | 5.5      | 41-44        |
| <b>अध्याय-VI: इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन का विश्लेषण</b>            |          |              |
| सिस्टम / उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका   | 6.1      | 47           |
| ई-कल्याण का अभिगम्यता  | 6.2      | 47-48        |
| ई-कल्याण डेटाबेस की विश्वसनीयता  | 6.3      | 48-50        |
| दिशानिर्देशों / नियमों के साथ अभिसरण                                     | 6.4      | 50-51        |
| रिपोर्टों की उत्पत्ति  | 6.5      | 51           |
| उपयोगकर्ता अभिगम्यता एवं प्रतिक्रिया                                     | 6.6      | 52           |
| <b>अध्याय-VII: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की संरचना एवं प्रबंधन</b>             |          |              |
| राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ  | 7.1      | 55-56        |
| विभागीय डीबीटी प्रकोष्ठ / समिति  | 7.2      | 56           |

| विवरण   | संदर्भ   |              |
|---|----------|--------------|
|   | परिच्छेद | पृष्ठ संख्या |
| सुदृढ़ शासन ढांचा   | 7.3      | 56-57        |
| डीबीटी पर राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं सहायता               | 7.4      | 57           |
| राज्य डीबीटी पोर्टल   | 7.5      | 57-58        |
| राज्य डीबीटी पोर्टल में अन्य कमियां                                 | 7.6      | 58-59        |
| राज्य डीबीटी पोर्टल पर योजनाओं की पहचान एवं सम्मिलन                 | 7.7      | 59           |
| आपदा पुनर्प्राप्ति एवं व्यवसाय निरंतरता योजना                       | 7.8      | 59-60        |
| प्रबंधन सूचना प्रणाली   | 7.9      | 60           |
| डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध एवं विभाग द्वारा आपूरित आंकड़ों में भिन्नता | 7.10     | 60-61        |
| सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अपनाना                         | 7.11     | 61-63        |
| <b>अध्याय-VIII: मानव संसाधन प्रबंधन एवं निगरानी</b>                 |          |              |
| कर्मियों की स्थिति  | 8.1      | 65           |
| ई-कल्याण उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका एवं क्षमता-निर्माण                 | 8.2      | 65-66        |
| राज्य एवं जिला-स्तरीय समितियां                                      | 8.3      | 66-67        |
| सतर्कता व निगरानी समिति   | 8.4      | 67           |
| सामाजिक लेखापरीक्षा   | 8.5      | 67-68        |
| शिकायत निवारण तंत्र   | 8.6      | 68           |
| <b>अध्याय-IX: निष्कर्ष</b>  |          |              |
| निष्कर्ष  |          | 71-73        |

| परिशिष्ट        |   |                   |              |
|-----------------|---|-------------------|--------------|
| परिशिष्ट संख्या | विवरण   | संदर्भ            |              |
|                 |   | पैराग्राफ         | पृष्ठ संख्या |
| 1               | हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत सहायता स्तर के संबंध में समयसीमा   | 1.3<br>अध्याय-III | 75           |
| 2               | आवेदकों की प्राथमिकता तय करने का मानदंड   | 1.4               | 76           |
| 3               | चयनित ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों की संख्या का श्रेणीवार विवरण एवं सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों का विवरण                             | 2.3               | 77-78        |
| 4               | वर्ष 2020-21 हेतु लक्षित लाभार्थियों व मार्च 2021 तक प्रतीक्षा-सूची में लाभार्थियों की जिला-वार एवं योजना-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण | 3.2               | 79           |
| 5               | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन लाभ की बकाया राशि  | 3.5               | 80           |
| 6               | राज्य डीबीटी पोर्टल में अनुपलब्ध कार्यक्षमताओं के संबंध में विवरण   | 7.5               | 81           |

## प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया।

रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी (मार्च 2017) लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।



# कार्यकारी सारांश



## कार्यकारी सारांश

2017-21 की अवधि हेतु हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की स्थिति पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि क्या लाभार्थियों को योजना के दिशानिर्देशानुसार लाभ संवितरण किया गया था एवं लाभ संवितरण की प्रणाली (प्रणालियां) भारत सरकार द्वारा निर्धारित डीबीटी ढांचे के अनुरूप थी। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु छः योजनाओं का चयन किया गया था: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत तीन भारत सरकार की योजनाएं, नामतः इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना; तथा तीन राज्य सरकार की योजनाएं, नामतः वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन योजना एवं दिव्यांग राहत भत्ता। इन सभी चयनित छः योजनाओं को डीबीटी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था, तद्वहेतु निर्धारित डीबीटी ढांचे के अनुक्रम में प्रक्रिया को रीडिजीनियरिंग किया जाना था।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न चरण/प्रक्रियाएं अंतर्व्याप्त थीं जैसे लाभार्थी आवेदन जमा करना, आवेदन की जांच, प्रक्रिया, पेंशन प्राधिकृत करना, भुगतान इत्यादि। चयनित सभी छः योजनाएं हस्तचालित एवं आईटी सिस्टम (सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली) दोनों को मिलाकर प्रयोग करते हुए कार्यान्वित की जा रही थी। प्रक्रियाएं जैसे आवेदन जमा करना, उनकी जांच, सत्यापन, फाइल हस्तांतरण से सम्बंधित भुगतान आदेश, भुगतान प्रक्रिया की प्रतिक्रिया इत्यादि हस्तचालित रूप से की जा रही थी। 2008 से आवेदन प्रक्रिया एवं प्राधिकरण “ई-कल्याण” नामक आईटी सॉफ्टवेयर पर किया जा रहा था; यह अक्टूबर 2020 तक एक क्लाउड-सर्वर सॉफ्टवेयर था (सॉफ्टवेयर को स्थानीय स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले जिला स्तर पर स्वतंत्र सिस्टम पर होस्ट किया गया था), इसे वेब आधारित एकीकृत सॉफ्टवेयर में अद्यतन किया गया था (सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर होस्ट किया गया था एवं इसे विभिन्न प्राधिकृत प्रयोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन प्रयोग किया गया था)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यान्वयन डीबीटी ढांचे के अनुरूप नहीं था - कई प्रक्रियाएं जिन्हें आईटी सिस्टम के प्रयोग से करना अपेक्षित था, हस्तचालित रूप से की जा रही थी; इसके अतिरिक्त की जा रही हस्तचालित प्रक्रियाओं में योजना दिशानिर्देशों से विचलन पाया गया।

योजना कवरेज के संदर्भ में लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने पात्र परिवारों/व्यक्तियों का कोई विस्तृत डेटाबेस नहीं बनाया था जिससे लाभार्थियों को योजना से बाहर रखने की त्रुटि हुई। इसके अतिरिक्त सम्बंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर अव्ययित निधियां शेष रहने के बावजूद लक्ष्य के प्रति लाभार्थियों के कवरेज में कमी पाई गई। सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन की स्वीकृति पर आवेदक प्रतीक्षा-सूची में जोड़े गए थे तथा यद्यपि वे योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र थे तथापि केवल प्रासंगिक योजना के तहत स्लॉट/रिक्तता की उपलब्धता पर शामिल किए गए थे। 31 मार्च 2021 तक प्रतीक्षा सूची में 31,396 पात्र लाभार्थी थे।

आवेदनों की जांच एवं सत्यापन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अनियमितताएं पाई गईं। अपेक्षित प्रमाणपत्रों के बिना अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर प्रक्रिया की गई, ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में हस्तचालित रूप से दर्ज आवेदकों की आयु वास्तविक/भौतिक अभिलेखों से भिन्न पाई गई, एवं विभिन्न योजनाओं हेतु अपात्र आवेदनों पर प्रक्रिया की गई - न्यून आयु आवेदक लाभ प्राप्त करने हेतु अनुमत किए गए,

पुरुष आवेदकों को विधवा पेंशन के लाभ दिए गए, निर्धारित दिव्यांग मापदण्ड को पूरा न करने वाले आवेदनों को दिव्यांग लाभ अनुमत किए गए, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन नहीं करने वालों को उन योजनाओं के तहत लाभ दिए गए जो केवल गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए ही थीं एवं उन आवेदकों को लाभ अनुमत किए गए जो पारिवारिक आय मापदण्ड को पूरा नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त विभाग ने आवेदक की विशिष्टता सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र अभिकल्पित नहीं किया था तथा यद्यपि आवेदकों से आधार संख्या ली गई थी तथापि उसे आवेदनों/आवेदकों की पुनरावृत्ति से बचने एवं लाभार्थियों की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग नहीं किया गया; आवेदकों की विशिष्टता सुनिश्चित करने हेतु कोई अन्य विशिष्ट संख्या/पहचान का प्रयोग नहीं किया गया। वैसे यह पाया गया कि आधार संख्या का कई बार प्रयोग किया गया, अथवा गलत रूप से दर्ज किए गए एवं एक ही नाम व अन्य लाभार्थी विवरण के लिए प्रविष्टियों की पुनरावृत्ति पाई गई। यह भी देखा गया कि आवेदनों का सत्यापन निर्धारित समयसीमा के भीतर नहीं किया गया, जबकि जिला-स्तरीय क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पेंशन मामलों पर प्रतिक्रिया/स्वीकृति हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। ये मुद्दे न केवल क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आवेदनों की जांच व प्रक्रिया में कमी प्रमाणित करते हैं अपितु यह भी दर्शाते हैं कि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में अपात्र/गलत आवेदनों को दर्ज करने व प्रसंस्कृत करने से बचने के लिए सत्यापन जांच का अभाव था।

लाभार्थियों की कुछ श्रेणियों हेतु पेंशन संवितरण के संदर्भ में डाक विभाग के माध्यम से द्वार पर वितरण का अधिदेश था। इस सम्बन्ध में यह देखा गया कि सर्वेक्षण किए गए 82 प्रतिशत लाभार्थियों ने द्वार पर पेंशन प्राप्त न होने की सूचना दी। चयनित तीन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं हेतु अप्रैल 2015 की निर्धारित तिथि के बजाय अक्टूबर 2020 से पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान प्रारंभ किया गया, आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा रहा था तथा योजनाएं भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं थीं। राज्य सरकार की तीन योजनाओं के लिए निधियां पहले जिला-स्तरीय क्षेत्रीय अधिकारियों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही थी तथा लाभार्थियों के खातों में आगामी अंतरण हेतु चेक बैंक/डाक कार्यालयों में जारी किए गए। इस प्रकार चयनित सभी छः योजनाओं के लिए पेंशन संवितरण की प्रक्रिया ई-कल्याण सॉफ्टवेयर अथवा पीएफएमएस के माध्यम से स्वतः नहीं हो रही थी, अपितु इसमें ई-कल्याण से पीएफएमएस/बैंक/डाक कार्यालय को भुगतान फाइल का हस्तचालित अंतरण अंतर्ग्रस्त था। लाभार्थियों को उनके खाते में पेंशन लाभ के अंतरण के विषय में सूचित करने हेतु कोई प्रतिक्रिया सिस्टम (एसएमएस आदि के माध्यम से) नहीं था। ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में सत्यापन जांच का अभाव एवं विशिष्ट लाभार्थी पहचान हेतु आधार/अन्य पहचान का प्रयोग न करना लाभार्थियों के साथ जुड़ी बैंक/डाक खाता संख्याओं की पुनरावृत्ति में परिलक्षित हुआ, जो पेंशन के संवितरण में पुनरावृत्ति के रूप में परिणत हुआ।

ई-कल्याण सॉफ्टवेयर पर सत्यापन जांच के अभाव के साथ-साथ इस आईटी सिस्टम के प्रयोग से सम्बंधित अन्य मुद्दे भी पाए गए: सिस्टम डिजाइन से सम्बंधित प्रलेख एवं उपयोगकर्ता नियम पुस्तिका उपलब्ध नहीं थी एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, उपयोगकर्ता एवं पासवर्ड प्रबंधन कमजोर होने से सिस्टम अनाधिकृत अभिगम्यता के लिए अतिसंवेदनशील था, सिस्टम न तो पीएफएमएस के साथ एकीकृत था तथा ना ही मौजूदा आईटी सिस्टम जैसे पंचायत

का ई-परिवार पोर्टल एवं लाभार्थी डेटा एवं पेंशन भुगतान स्थिति हेतु वास्तविक समय सत्यापन के डाक कार्यालय/बैंक पोर्टलों के साथ तथा सॉफ्टवेयर के लिए कोई आपदा पुनर्प्राप्ति एवं व्यापार निरंतरता योजना नहीं थी।

लाभार्थी पात्रता स्थिति अर्थात् मृत्यु, पुनर्विवाह, रोजगार, आय इत्यादि में परिवर्तन से सम्बंधित निगरानी, सत्यापन विभाग द्वारा किया जाना था। इस सम्बन्ध में यह पाया गया कि लाभार्थियों की पात्रता स्थिति के ऐसे सत्यापन में उल्लेखनीय विलम्ब हुआ था

जिसके परिणामस्वरूप मृत/न्यूनायु/पुनर्विवाहित लाभार्थियों को पेंशन संवितरण के मामले हुए। जिला/राज्य-स्तरीय सतर्कता/निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया तथा कोई स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा का तंत्र बनाने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।

चयनित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन में अंतर्लिप्त हस्तचालित एवं आईटी प्रक्रिया दोनों में पाई गई बहुत सी कमियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के द्वारा इन योजनाएं को इस प्रकार सूचीबद्ध करने के बावजूद ये योजनाएं भारत सरकार द्वारा निर्धारित डीबीटी ढांचे की शर्तानुसार “प्रत्यक्ष लाभ अंतरण” की भांति कार्यान्वित नहीं की जा रही थी।

लेखापरीक्षा सिफारिशों में हस्तचालित एवं आईटी दोनों पहलुओं में सुधार शामिल किए गए हैं। विभाग संभावित लाभार्थियों की सक्रिय व आवधिक पहचान करें, पात्र जनसंख्या का डेटाबेस का निर्माण, लक्ष्यों की आवधिक समीक्षा, पेंशन अनुमोदन/स्वीकृति हेतु समय सीमा निर्धारण, आवेदन जमा करने हेतु जन सेवा केंद्र को सम्मिलित करने पर विचार एवं आवेदनों व लाभार्थी स्थिति का समयबद्ध सत्यापन/जांच सुनिश्चित करें। सत्यापन जांच शामिल करने, आवेदक/लाभार्थी विशिष्टता सुनिश्चित करने एवं विभाग व लाभार्थी दोनों को भुगतान के बारे में प्रतिक्रिया देने के सिस्टम सहित हस्तचालित हस्तक्षेप के बिना लाभार्थियों के खातों में स्वतः निधि अंतरण सुनिश्चित करने के लिए ई-कल्याण सॉफ्टवेयर को भारत सरकार द्वारा निर्मित डीबीटी ढांचे के अनुसार पुनः अभिकल्पित करने की आवश्यकता है।



**अध्याय-I**  
**परिचय**



## अध्याय - I

### परिचय

भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गरीबों एवं निराश्रितों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए राज्य को अपने साधनों के भीतर कल्याणकारी उपाय करने का आदेश देते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य की आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी व अक्षमता के मामले में राज्य को अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। 'सामाजिक सुरक्षा' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 23 व 24 के अंतर्गत आती है।

### 1.1 हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का अवलोकन

भारत सरकार ने निराश्रितों को लक्ष्य करते हुए पूर्ण-रूपेण वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का शुभारम्भ (अगस्त 1995) किया। वर्ष 2007 व 2009 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) सभी पात्र व्यक्तियों तथा अधिक कमजोर समूहों जैसे विधवाओं एवं विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में इसके घटकों के रूप में पांच उप-योजनाएं शामिल हैं। इनमें से तीन पेंशन योजनाएं हैं (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, एवं (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना। अन्य दो उप-योजनाएं (i) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना<sup>1</sup> एवं (ii) अन्नपूर्णा योजना<sup>2</sup> पेंशन योजना नहीं है।

राज्य में दो राज्य प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं अर्थात् वृद्धावस्था पेंशन एवं दिव्यांग राहत भत्ता नवंबर 1971 से राज्य में कार्यान्वित की जा रही थी। तत्पश्चात अप्रैल 1986, अप्रैल 1994 व अप्रैल 2017 में हिमाचल प्रदेश में तीन अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं अर्थात् विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन योजना, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता तथा ट्रांसजेंडर पेंशन शुरु की गईं।

इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश आठ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है (भारत सरकार की योजनाएं: तीन व राज्य की योजनाएं: पांच)। इन योजनाओं को अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय (इएसओएमएसए) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार इन योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है।


### 1.2 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय स्तर पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर समग्र नियंत्रण रखता है। राज्य में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सभी पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय (इएसओएमएसए) के पास

<sup>1</sup> कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में शोक संतप्त परिवार को एकमुश्त सहायता

<sup>2</sup> पात्र वृद्ध व्यक्तियों, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, को खाद्य सुरक्षा

निहित है। निदेशालय (इएसओएमएसए), हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। निदेशक, इएसओएमएसए को निदेशालय स्तर पर दो संयुक्त निदेशकों, एक सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) तथा एक जिला कल्याण अधिकारी एवं जिला स्तर पर 12 जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिला स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी तहसील स्तर पर कार्य करने वाले तहसील कल्याण अधिकारियों की सहायता से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं। निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिखाया गया है:



### 1.3 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश, 2014 (संशोधित) एवं हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 के अनुसार मार्च 2021 तक विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु पात्रता मानदंड तथा सहायता का स्तर नीचे तालिका-1.1 में दिया गया है:

तालिका-1.1: मार्च 2021 तक हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पात्रता मानदंड एवं सहायता का स्तर

| योजना  | पात्रता  | मार्च 2021 तक सहायता का स्तर  |
|--|--|---|
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | श्रेणी - बीपीएल<br>पात्र आयु - 60 वर्ष व अधिक<br>(80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति बढी हुई पेंशन के लिए पात्र हैं) | 60-69 वर्ष- ₹ 850 (भारत सरकार का अंश- ₹ 200)<br>70-79 वर्ष - ₹ 1500 (भारत सरकार का अंश- ₹ 200)<br>80 वर्ष व अधिक -- ₹ 1500 (भारत सरकार का अंश- ₹ 500) |

|  |   |  |
|--|---|--|
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना                   | श्रेणी - बीपीएल<br>पात्र आयु - 40 वर्ष व अधिक   | ₹ 1000 (भारत सरकार का अंश--<br>₹ 300)<br>80 वर्ष व अधिक -- ₹ 1500<br>(भारत सरकार का अंश - ₹ 500) |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना                | श्रेणी - बीपीएल<br>पात्र आयु - 18 वर्ष व अधिक<br>निःशक्तता - गंभीर निःशक्तता अर्थात विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 56(4) के अनुसार 80 प्रतिशत या अधिक  | ₹ 1500 (भारत सरकार का अंश -<br>₹ 300)<br>80 वर्ष व अधिक - ₹ 1500 (भारत सरकार का अंश - ₹ 500)     |
| वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य योजना)                      | पात्र आयु - 60 वर्ष व अधिक<br>आय मानदंड - पारिवारिक आय ₹ 35,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (70 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति आय मानदंड के बावजूद बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्र हैं)                 | 60 - 69 वर्ष-- ₹ 850<br>70 वर्ष व अधिक -- ₹ 1500   |
| विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी के लिए पेंशन योजना (राज्य योजना) | पात्र आयु - एकल नारियों हेतु 45 वर्ष एवं विधवा/परित्यक्ता नारियों हेतु कोई आयु सीमा नहीं<br>आय मानदंड - पारिवारिक आय ₹ 35,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए  | ₹ 1000<br>70 वर्ष व अधिक -- ₹ 1500   |
| दिव्यांग राहत भत्ता (राज्य योजना)                          | आय मानदंड - पारिवारिक आय ₹35,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए<br>दिव्यांगता - 40 प्रतिशत व अधिक<br>(70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति आय मानदंड के बावजूद बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्र हैं) | 40 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता --<br>₹ 1000<br>70 प्रतिशत दिव्यांगता व अधिक -<br>-<br>₹ 1500        |
| कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता (राज्य योजना)                    | पात्र आयु - कोई आयु सीमा नहीं<br>आय मानदंड - कोई आय मानदंड नहीं   | ₹ 850  |
| ट्रांसजेंडर पेंशन (राज्य योजना)                            | पात्र आयु - कोई आयु सीमा नहीं<br>आय मानदंड - कोई आय मानदंड नहीं<br>(राज्य/जिला स्तर के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी)   | ₹ 850  |

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रारंभ से दी गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पिछली तिमाही में पेंशन स्वीकृति हेतु लम्बित आवेदकों की संख्या एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कवरेज के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। मार्च 2021 तक उपरोक्त आठ योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार लक्ष्य एवं लाभार्थियों के कवरेज का विवरण नीचे तालिका-1.2 में वर्णित है:


**तालिका-1.2: मार्च 2021 तक हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत योजना-वार लक्ष्य एवं लाभार्थियों का कवरेज**

| योजना का नाम   | लक्ष्य        | जनवरी-मार्च 2021 तिमाही हेतु कवरेज (सक्रिय लाभार्थी) |
|--|---------------|--|
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना           | 100722        | 98601  |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना                 | 24008         | 23715  |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना              | 1118          | 1080   |
| वृद्धावस्था पेंशन योजना                                  | 290194        | 285588   |
| विधवा / परित्यक्ता / अविवाहित नारियों के लिए पेंशन योजना | 96903         | 95970  |
| दिव्यांग राहत भत्ता                                      | 63027         | 62499  |
| कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता                                | 1482          | 1001   |
| ट्रांसजेंडर पेंशन  | 150           | 03   |
| <b>योग:</b>  | <b>577604</b> | <b>568457</b>  |

#### 1.4 लाभार्थियों की पहचान

ग्राम पंचायतों/ नगरपालिकाओं द्वारा ग्राम/वार्ड सभा की बैठकों में लाभार्थियों की पहचान की जाती है तथा संभावित लाभार्थियों के आवेदनों पर प्रक्रिया करने के लिए तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत/प्रेषित किया जाता है। आवेदनों को तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में विभागीय पदाधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् पात्र आवेदकों का विवरण ई-कल्याण नामक सॉफ्टवेयर/सिस्टम पर अपलोड किया जाता है। सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था एवं अक्टूबर 2008 में क्लाउंट-सर्वर सॉफ्टवेयर के रूप में कार्यात्मक बनाया गया था (नेटवर्क अभिगम्यता किए बिना प्रत्येक जिला कल्याण अधिकारी के व्यक्तिगत कंप्यूटर (कम्प्यूटरों) पर होस्ट किया गया)। अक्टूबर 2020 में ई-कल्याण सॉफ्टवेयर को एक एकीकृत वेब-आधारित एप्लिकेशन में संशोधित किया गया था (एप्लिकेशन को इंटरनेट पर होस्ट किया जाता है; तहसील व जिला कल्याण कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर विभागीय पदाधिकारियों को उपयोगकर्ता तक अभिगम्यता प्रदान किया जाता है)। एक बार आवेदक का विवरण ई-कल्याण में दर्ज हो जाने के बाद जिला कल्याण अधिकारी द्वारा जांच एवं अनुमोदनोपरांत आवेदक को प्रतीक्षा-सूची में जोड़ा जाता है। रिक्ति सृजित होने पर आवेदक को सक्रिय पेंशनभोगी-सूची में जोड़ा जाता है। सॉफ्टवेयर को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवेदकों की प्राथमिकता स्वचालित रूप से तय करने के लिए प्रोग्राम किया गया है (परिशिष्ट-2)। सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधित उपायुक्त एवं अन्य नामित अधिकारी द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में स्वीकृत की जाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पहचान, अनुमोदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया को नीचे दर्शाया गया है:

फ्लो चार्ट- नए लाभार्थी को जोड़ना



## 1.5 संवितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली


पेंशन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थियों को त्रैमासिक आधार पर (राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अर्धवार्षिक आधार पर) पेंशन का वितरण किया जाता है। पेंशन सीधे लाभार्थियों के डाक/बैंक बचत खातों में वितरित की जाती है। राज्य सरकार ने 1 जून 2017 को डाक विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया था जिसके अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण लाभार्थियों के डाक बचत खाते में किया जाना है। इसके अतिरिक्त डाक अधिकारियों को 80 वर्ष व उससे अधिक आयु के सभी पेंशनभोगियों अथवा 70 प्रतिशत से अधिक की दिव्यांगता के पेंशनभोगियों के पेंशन की घर पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करनी है। साथ ही डाक विभाग के क्षेत्र अधिकारी भौतिक सत्यापन पर या अन्य किसी माध्यम से विभाग को विधवा लाभार्थियों के पुनर्विवाह, पेंशनभोगी की मृत्यु, लाभार्थी को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने आदि के बारे में सूचित करेंगे। इन सेवाओं के लिए डाक प्राधिकारियों को वितरित वास्तविक पेंशन का 1.5 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। बैंकिंग प्रणाली के साथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अक्टूबर 2020 से केवल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत योजनाओं हेतु सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से भुगतान शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के संबंध में ई-कल्याण से निकाले गए लाभार्थियों की सूची को मैनुअल रूप से पीएफएमएस के साथ संगत मोड में परिवर्तित किया जाता है तथा लाभार्थियों के खाता संख्या के सत्यापन के बाद निदेशालय के योजनावार नोडल बैंक खातों से

पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भुगतान किया जाता है। हालांकि, ई-कल्याण एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल के मध्य कोई लिंक नहीं है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का वितरण मॉड्यूल व ई-कल्याण में स्वतः पावती पुश (लाभार्थी के खाते में लाभ जमा करने की पुष्टि) नहीं है।

राज्य की योजनाओं हेतु समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के माध्यम से बिल तैयार करके कोषागार से निधियां आहरित की जाती हैं तथा जिला कल्याण अधिकारी के बैंक खाते में जमा की जाती हैं। तत्पश्चात ई-कल्याण से निकाली गई सूची के अनुसार लाभार्थियों के खातों में जमा करने के लिए जिला कल्याण अधिकारी द्वारा चेक के माध्यम से डाक कार्यालयों/बैंकों को निधियां भेजी जाती हैं। हालांकि ई-कल्याण, आईएफएमएस व लाभार्थियों के खातों के मध्य इंटरफेस का कोई स्वचालन नहीं है। साथ ही, पात्र लाभार्थी के खातों में लाभांतरण की पुष्टि के संबंध में पावती स्वचालित रूप से ई-कल्याण पर पुनः प्रेषित नहीं की जाती। पेंशन के संवितरण की प्रक्रिया (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम: 22 प्रतिशत व राज्य योजनाएं; 78 प्रतिशत) को नीचे दिए गए आरेख में दर्शाया गया है:



**अध्याय-II**  
**लेखापरीक्षा दृष्टिकोण**



## अध्याय - II

### लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ढांचे के तहत परिकल्पित एवं राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा अनुपूरित हैं, में कई पात्रता मानदंड एवं सहायता के स्तर हैं। इसके पश्चात् लाभार्थियों की पहचान, आवेदनों की प्रक्रिया एवं समयबद्ध तरीके से पेंशन के संवितरण में अंतर्निहित डिजाइन व कार्यान्वयन सम्बन्धित चुनौतियां हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए वार्षिक आवंटन में वर्षों से वृद्धि हो रही है। पेंशन योजनाओं के अपेक्षित परिणामों एवं सापेक्ष प्रभाव, जिसका उद्देश्य आर्थिक अभाव को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, को प्राप्त करने की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के परिणामों एवं लाभार्थियों को लाभांतरण की प्रक्रिया का आंकलन करने हेतु राज्य में कार्यान्वित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी।

### 2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से लाभ वितरित किए गए हैं,
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का कार्यान्वयन डीबीटी दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष रूप से इनके संदर्भ में था-
  - (क) डीबीटी हेतु पूर्वापेक्षाओं की पूर्ति;
  - (ख) डीबीटी दिशा-निर्देशों/अधिसूचनाओं के अनुसार लाभार्थियों को निधियों का अंतरण; तथा
  - (ग) ई-कल्याण सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं प्रक्रिया प्रवाह।

### 2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बेंचमार्क निम्नलिखित से प्राप्त मानदंडों से निर्धारित किए गए थे:


- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 2014 (संशोधित);
- हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010;
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009;
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया; तथा
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश।

### 2.3 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

डीबीटी प्रणाली के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पहचान, कार्यान्वयन एवं संवितरण में दक्षता व पर्याप्तता का आंकलन करने के लिए छः<sup>1</sup> (केंद्रीय योजनाएं: तीन व राज्य योजनाएं: तीन)

<sup>1</sup> इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन व दिव्यांग राहत भत्ता

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संबंध में 2017-21 के दौरान किए गए उच्चतम व्यय के आधार पर विगत चार वर्षों (2017-18 से 2020-21) के अभिलेखों का चयन अक्टूबर 2020 व मार्च 2021 के दौरान विस्तृत जांच के लिए किया गया। निदेशक (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय), 12 जिला कल्याण अधिकारियों में से चार<sup>2</sup> (33 प्रतिशत) एवं चयनित जिला कल्याण अधिकारियों के अधीन 31 में से 11 तहसील कल्याण अधिकारियों<sup>3</sup> के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई। 11 तहसील कल्याण अधिकारियों के अंतर्गत आने वाली कुल 59 ग्राम पंचायतों (परिशिष्ट-3) के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित अभिलेखों को नमूना-जांच एवं लाभार्थी सर्वेक्षण हेतु यादृच्छिक रूप से चयन किया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतिम चरण पर वितरण के आंकलन हेतु कुल 595 लाभार्थियों<sup>4</sup> का सर्वेक्षण किया गया। चयनित जिलों एवं तहसीलों का सचित्र वर्णन नीचे दर्शाया गया है:



<sup>2</sup> किन्नौर, मंडी, शिमला व सोलन; निर्णयात्मक नमूने के आधार पर चयन (कोविड महामारी के प्रसार के कारण शिमला जिले के समीपवर्ती)

<sup>3</sup> किन्नौर: भावानगर स्थित निचार व सांगला; मंडी: चच्योट, मंडी सदर व सुंदरनगर; शिमला: चौपाल, रामपुर, ठियोग व शिमला - ग्रामीण; तथा सोलन: अर्की व सोलन को आईडिया में रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से चुना गया (इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस - डेटा एनालिसिस एवं सैंपलिंग के लिए सॉफ्टवेयर)

<sup>4</sup> किन्नौर: 108, मंडी: 212, शिमला: 147 व सोलन: 128

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए क्लाउंट-सर्वर-आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के डेटा डंप (सॉफ्टवेयर ग्रहण करने के बाद से पिछले डेटा सहित सक्रिय लाभार्थियों का डेटा) का विश्लेषण भी राज्य के सभी 12 जिलों के संबंध में किया गया।

इसके अतिरिक्त नमूना-जांचित चार जिलों<sup>5</sup> के वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर (अक्टूबर 2020-मार्च 2021) में लाभार्थियों के चयन एवं पात्रता के अनुसार पेंशन के वितरण का आंकलन करने के लिए प्रश्नों को चलाकर विश्लेषण किया गया था। डीबीटी प्रोटोकॉल के अनुसार पेंशन के वितरण का आंकलन करने के लिए राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के अभिलेखों की भी संवीक्षा की गई।

10 दिसंबर 2020 को अपर मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) व निदेशक (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय) के साथ आरंभिक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंड, कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र एवं नमूने पर चर्चा की गई। 13 अप्रैल 2022 को अपर मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के साथ अंतिम बैठक आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर चर्चा की गई। विभाग के विचारों व उत्तरों को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से शामिल किया गया है।

## 2.4 आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, लेखापरीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों/ प्राधिकारियों एवं लाभार्थियों द्वारा दिए गए सहयोग व सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

## 2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संघटन

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशों सात अध्यायों में अंतर्विष्ट हैं:

- अध्याय - III कवरेज एवं वित्तीय प्रबंधन से संबंधित निष्कर्षों की जानकारी देता है।
- अध्याय - IV में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे के अनुपालन से संबंधित निष्कर्ष शामिल हैं।
- अध्याय - V एवं अध्याय - VI में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया एवं आईटी एप्लीकेशन के विश्लेषण से संबंधित निष्कर्ष शामिल हैं।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के संगठन एवं प्रबंधन की स्थापना से संबंधित निष्कर्षों पर अध्याय - VII में चर्चा की गई है।
- मानव संसाधन प्रबंधन एवं निगरानी से संबंधित मामले अध्याय - VIII में दिए गए हैं।
- अध्याय - IX में लेखापरीक्षा निष्कर्ष निहित हैं।

<sup>5</sup> किन्नौर, मंडी, शिमला व सोलन



## **अध्याय-III**

### **कवरेज एवं वित्तीय प्रबंधन**



## अध्याय - III

### कवरेज एवं वित्तीय प्रबंधन

नवंबर 2012 में भारत सरकार (ग्रामीण विकास मंत्रालय) ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के लिए लाभार्थियों की अनुमानित/अधिकतम संख्या<sup>1</sup> से अवगत कराया था। विभाग द्वारा विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर छः सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रतीक्षा-सूची में आवेदकों की संख्या के आधार पर प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों के कवरेज के लिए वार्षिक लक्ष्य तय किए जाते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लाभार्थियों की अधिकतम संख्या के अनुसार भारत सरकार द्वारा निधियों का आवंटन किया जाता है तथा लाभार्थियों की संख्या इससे अधिक होने पर व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार एकल आवंटन के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार को निधियां जारी करती है, जिसमें राज्य सरकार को आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए निधियां आवंटित करने की छूट होती है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य केंद्रीय योजनाओं के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त राशि प्रदान कर सकते हैं (भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक) ताकि वे यथोचित स्तर की सहायता प्राप्त कर सकें। हिमाचल प्रदेश में राज्य के बजट से केंद्रीय सहायता के अनुपूरक के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के तहत विभिन्न श्रेणियों को पेंशन प्रदान की जा रही है ताकि राज्य की योजनाओं के बराबर समग्र सहायता प्राप्त हो सके। इस प्रकार हालांकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत एक ही श्रेणी की योजनाओं के लिए पेंशन दरें राज्य की योजनाओं की तुलना में कम हैं, परन्तु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं राज्य दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों को समान पेंशन राशि मिलती है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत भारत सरकार व राज्य सरकार के सहायता स्तर का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

### 3.1 पात्र व्यक्तियों का डेटाबेस

संशोधित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश, 2014 का परिच्छेद 5.2.2 पात्र लाभार्थियों के डेटाबेस के अनुरक्षण एवं उसे सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करने पर जोर देता है। लाभार्थी डेटा में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों का विवरण शामिल होना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

- विभाग ने ग्राम पंचायतों, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जागरूकता शिविरों इत्यादि द्वारा प्रचार के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के साथ-साथ सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का आयोजन किया।

<sup>1</sup> भारत के महापंजीयक के 2001 की जनगणना के आंकड़ों व योजना आयोग के गरीबी अनुपात के अनुमान 2004-05 (जो भी कम हो) के आधार पर परिकलित

2017-21 के दौरान सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों<sup>2</sup> हेतु ₹ 1.62 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 0.88 करोड़ का व्यय किया गया था।

- विभाग ने पात्र लाभार्थियों/जनसंख्या के श्रेणी-वार या आयु-वार डेटाबेस को सक्रिय आवधिक सर्वेक्षण या क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों से आंकड़े प्राप्त करने जैसे तंत्र के माध्यम से अनुरक्षित नहीं किया था।
- आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों से लाभार्थियों का डाटा ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया था। तथापि, इस आंकड़े को सक्रिय रूप से अद्यतन नहीं किया गया था क्योंकि लाभार्थी की पात्रता स्थिति में परिवर्तन की सूचना ग्राम पंचायतों/ डाकघरों द्वारा दी जानी थी एवं विभागीय पदाधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर इसे सत्यापित करना था। इन मामलों का सत्यापन/ पुष्टि विलम्ब से की गई, जैसा कि परिच्छेद 5.5.1 में दर्शाया गया है।
- डेटाबेस के अभाव में, पेंशन हेतु आवेदन करना पूर्ण रूप से लाभार्थियों या ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की पहल पर निर्भर था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने तीन चयनित तहसील कल्याण अधिकारियों (अर्की, मण्डी-सदर एवं शिमला ग्रामीण) के नमूना-जांचित 11 ग्राम पंचायतों के 826 बीपीएल परिवारों<sup>3</sup> के अभिलेखों की नमूना-जांच की। यह देखा गया कि पात्र लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार न होने के कारण इन परिवारों के 29 बीपीएल व्यक्ति (छः<sup>4</sup> ग्राम पंचायत) किसी भी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं थे, यद्यपि ग्राम पंचायतों के अभिलेख के अनुसार उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के विरुद्ध था जो बीपीएल के कवरेज पर जोर देता है तथा यह निर्धारित करता है कि पेंशन की मंजूरी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

*किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले लाभार्थियों के सन्दर्भ में संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों ने बताया कि इन व्यक्तियों द्वारा कोई आवेदन न किए जाने के कारण पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी; यद्यपि पात्र लाभार्थियों को कवर करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के साथ नियमित समन्वय किया जा रहा था।*

अंतिम बैठक में विभाग ने बताया कि पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों को योजना के तहत पात्र होने वाले संभावित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कहा जाएगा ताकि विभाग उन लोगों की सूची तैयार कर सकें जो भविष्य में पात्र होंगे या 60 वर्ष की आयु के होंगे।

### 3.2 लक्षित लाभार्थी एवं उनका कवरेज

हर वर्ष लंबित आवेदनों की संख्या के आधार पर राज्य सरकार प्रत्येक योजना के तहत सम्मिलित किए जाने वाले लाभार्थियों के लक्ष्यों में संशोधन/वृद्धि हेतु अनुमोदन प्रदान करती है एवं तदनुसार

<sup>2</sup> 2017-21 के दौरान विज्ञापन व प्रचार शीर्ष के तहत बजट: ₹ 1.62 करोड़ एवं व्यय: ₹ 0.88 करोड़

<sup>3</sup> अर्की: हाटकोट - 35; कोठी - 104; कुनिहार - 123; एवं पलोग: 76; मंडी सदर: बारी गुमानु - 35; नसलोह - 138; सध्याना - 52; व टकोली - 43; शिमला ग्रामीण: आनंदपुर - 78; जलेल - 83 व थड़ी - 59

<sup>4</sup> अर्की: कोठी - 03; कुनिहार - 07; एवं पलोग: 02; मंडी सदर: नसलोह -13; एवं टकोली - 03; तथा शिमला ग्रामीण: थड़ी - 01

बजटीय प्रावधान किया जाता है। वर्ष 2020-21 हेतु लक्षित लाभार्थियों की जिले-वार एवं योजना-वार संख्या **परिशिष्ट-4** में दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन त्रैमासिक/छ:मासिक आधार पर संवितरित की जाती है।

सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन की स्वीकृति पर आवेदक प्रतीक्षा-सूची में जोड़ा जाता है तथा यद्यपि वे योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है तथापि केवल प्रासंगिक योजना के तहत स्लॉट/रिक्तता की उपलब्धता पर शामिल किए जाते हैं। 31 मार्च 2021 तक प्रतीक्षा-सूची में 31,396 पात्र लाभार्थी थे। प्रत्येक तिमाही/छमाही में अपात्र लाभार्थियों को सक्रिय पेंशनभोगियों की सूची से हटा (दमन) दिया जाता है तथा प्रतीक्षा-सूची से संभावित लाभार्थियों द्वारा बदल (प्रतिस्थापन) दिया जाता है। डाक कार्यालयों व ग्राम पंचायतों को समझौता ज्ञापन एवं नियमानुसार पेंशनभोगियों के अपात्र होने के बारे में विभाग को सूचित करना आवश्यक है। उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त इन सूचनाओं के आधार पर विभाग पेंशनभोगी को अस्थायी रूप से हटा देता है तथा उसे एक माह के भीतर ऐसी रिपोर्ट की पुष्टि करनी होती है। पुष्टि होने पर (तहसील कल्याण अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी को पुष्टिकरण रिपोर्ट भेजते हैं एवं सहायक दस्तावेज तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में रखे जाते हैं) या तो पेंशनभोगी को स्थायी रूप से हटा दिया जाता है या हटाना रद्द कर दिया जाता है। जिला कल्याण अधिकारियों के पास ई-कल्याण पर अस्थायी/स्थायी रूप से हटाए गए पेंशनभोगियों की सूची का अभिगम्यता होता है। डेटा डंप में मृत्यु, रोजगार, पुनर्विवाह आदि के कारण अस्थायी रूप से हटाए गए 2.24 लाख मामले पाए गए। **परिच्छेद-5.5** में इन मामलों के विषय में विवरण दिया गया है। लाभार्थियों को हटाया जाना एवं प्रतिस्थापन प्रत्येक तिमाही/छमाही की एक सतत प्रक्रिया है।

2017-21 के दौरान चयनित योजनाओं के तहत लाभार्थियों का लक्ष्य एवं संबंधित तिमाहियों के दौरान उनके प्रति लाभार्थियों का समग्र कवरेज नीचे तालिकाओं में दिया गया है:

**तालिका-3.1: चयनित योजनाओं के अंतर्गत राज्य में लाभार्थियों का वर्ष-वार लक्ष्य**

| पेंशन योजना                                    | 2017-18       | 2018-19       | 2019-20       | 2020-21       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 94120         | 98145         | 99204         | 100722        |
| इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना       | 22020         | 23210         | 23551         | 24008         |
| इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना    | 929           | 1039          | 1114          | 1118          |
| वृद्धावस्था                                    | 165865        | 240083        | 257359        | 290194        |
| विधवा  | 80688         | 89449         | 92267         | 96903         |
| दिव्यांग राहत भत्ता                            | 48743         | 57578         | 59451         | 63027         |
| <b>योग:</b>                                    | <b>412365</b> | <b>509504</b> | <b>532946</b> | <b>575972</b> |

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

तालिका-3.2: चयनित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सक्रिय पेंशनभोगियों का विवरण

| वर्ष    | लक्ष्य | सक्रिय पेंशनभोगियों की संख्या |                |              |               | कमी<br>(2-6)<br>प्रथम तिमाही |
|---------|--------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------------|
|         |        | प्रथम तिमाही                  | द्वितीय तिमाही | तृतीय तिमाही | चतुर्थ तिमाही |                              |
| 1.      | 2.     | 3.                            | 4.             | 5.           | 6.            | 7.                           |
| 2017-18 | 412365 | 404600                        | 404600         | 404600       | 406853        | 5512                         |
| 2018-19 | 509504 | 436535                        | 428348         | 480415       | 501915        | 7589                         |
| 2019-20 | 532946 | 502349                        | 524000         | 526132       | 528584        | 4362                         |
| 2020-21 | 575972 | 568081                        | 568250         | 568979       | 567453        | 8519                         |

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

उपरोक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि:

- विगत चार वर्षों में लक्षित पेंशनभोगियों में लगातार वृद्धि हुई है।
- 2017-18 व 2020-21 के दौरान वृद्धावस्था पेंशन (राज्य योजना) के तहत लाभार्थियों की संख्या में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2018 में बिना आय मानदंड के तहत वृद्धावस्था पेंशन हेतु आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने के कारण यह वृद्धि हुई।
- 2017-21 के दौरान लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लक्ष्यों के प्रति लाभार्थियों के कवरेज में 4362 व 8519 के मध्य की कमी थी। संबंधित वित्तीय वर्षों के अंत में अव्ययित निधियों (परिच्छेद 3.5) तथा प्रतीक्षा-सूची में आवेदक लंबित रहने (परिच्छेद 3.3) के बावजूद ऐसा हुआ। इसका कारण अस्थायी रूप से हटाए पेंशनभोगियों का सत्यापन करने में विलम्ब था, जिससे अपात्र पेंशनभोगियों को हटाने से सक्रिय पेंशनभोगियों की सूची में रिक्ति उत्पन्न नहीं हुई (परिच्छेद 5.5.1)।

### 3.3 लंबित मामले

संबंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन के अनुमोदन एवं संबंधित योजना के तहत रिक्ति/स्लॉट की उपलब्धता पर आवेदक को प्रतीक्षा-सूची में जोड़ा जाता है एवं आवेदक को लाभ के संवितरण हेतु सक्रिय-सूची में जोड़ा जाता है।

अपात्र लाभार्थियों को हटा कर (अर्थात् रोक - लाभार्थी की अपात्रता की सूचना मिलने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है एवं विभागीय प्राधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन पर स्थायी रूप से रोक/निरस्त कर दी जाती है) अथवा लक्ष्य बढ़ा कर प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जा रही है।

राज्य सरकार ने आवेदन प्राप्त होने के उपरांत पेंशन स्वीकृत करने के लिए कोई समयसारणी निर्धारित नहीं की थी। अभिलेखों की संवीक्षा में प्रतीक्षा-सूची में काफी संख्या में मामले तथा आवेदन प्राप्त होने के बाद पेंशन की स्वीकृति में लगने वाले असामान्य समय का पता चला।

मार्च 2021 तक राज्य में चयनित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रतीक्षा-सूची में लंबित आवेदनों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

**तालिका-3.3: 2017-21 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर चयनित योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों की संख्या**

| योजना   | 2017-18       |   | 2018-19       |   | 2019-20       |   | 2020-21       |   |
|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
|   | लक्ष्य        | प्रतीक्षित<br>(संख्या में)<br>(कोष्ठक में<br>प्रतिशत) |
| इंदिरा गाँधी<br>राष्ट्रीय<br>वृद्धावस्था पेंशन<br>योजना | 94120         | 2204 (2)  | 98145         | 1059 (1)  | 99204         | 1518 (2)  | 100722        | 1087 (1)  |
| इंदिरा गाँधी<br>राष्ट्रीय विधवा<br>पेंशन योजना          | 22020         | 407 (2)   | 23210         | 341 (1)   | 23551         | 457 (2)   | 24008         | 390 (2)   |
| इंदिरा गाँधी<br>राष्ट्रीय दिव्यांग<br>पेंशन योजना       | 929           | 72 (8)  | 1039          | 75 (7)  | 1114          | 04 (0)  | 1118          | 10 (1)  |
| वृद्धावस्था   | 165865        | 21312 (13)  | 240083        | 17276 (7)   | 257359        | 32835 (13)  | 290194        | 23990 (8)   |
| विधवा   | 80688         | 4313 (5)  | 89449         | 2818 (3)  | 92267         | 4636 (5)  | 96903         | 4042 (4)  |
| दिव्यांग<br>भत्ता                                       | 48743         | 4500 (9)  | 57578         | 1873 (3)  | 59451         | 3576 (6)  | 63027         | 1877 (3)  |
| <b>योग:</b>   | <b>412365</b> | <b>32808 (8)</b>                                      | <b>509504</b> | <b>23442 (5)</b>                                      | <b>532946</b> | <b>43026 (8)</b>                                      | <b>575972</b> | <b>31396 (5)</b>                                      |

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े। नोट: कोष्ठक में दिए आंकड़े लक्ष्य के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि:

- 2017-21 के दौरान राज्य में प्रतीक्षा-सूची में संभावित लाभार्थियों की संख्या कुल लक्ष्य के पांच से आठ प्रतिशत के मध्य थी।
- 2017-21 के दौरान राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लंबित मामलों की संख्या सर्वाधिक थी जो लक्ष्य के सात से 13 प्रतिशत के मध्य थी।
- मार्च 2021 तक चयनित योजनाओं के अंतर्गत राज्य में 31,396 लाभार्थी प्रतीक्षा-सूची में थे।
- आवेदकों को आवेदन के अनुमोदन या अस्वीकृति के संबंध में प्रतिक्रिया तंत्र मौजूद नहीं था।

पेंशन की संस्वीकृति हेतु समयसारणी निर्धारित न करने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मामले प्रतीक्षा-सूची में रहे एवं निधियों की उपलब्धता के बावजूद पेंशन की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कवरेज व समय पर लाभ प्राप्त करने में विलम्ब हुआ।

12 जिलों में डेटा डंप के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- छ: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 8717 आवेदन<sup>5</sup> (प्रतीक्षा-सूची के 4.42 लाख में से) पेंशन की अंतिम स्वीकृति से पूर्व एक वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा-सूची में रहे। इन मामलों में प्रतीक्षा अवधि का आयु-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

| आवेदनों की संख्या | प्रतीक्षा अवधि |             |             |                |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
|                   | 1 वर्ष से अधिक | 2 से 3 वर्ष | 3 से 4 वर्ष | 4 वर्ष से अधिक |
| 8717              | 8280           | 390         | 43          | 04             |

- आठ जिलों के इन मामलों में 329 आवेदकों<sup>6</sup> की प्रतीक्षा-सूची में मृत्यु हो गई, जिनमें से 29 लाभार्थियों की मृत्यु प्रतीक्षा-सूची में शामिल होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय के बाद हुई।

विभाग को अपात्र लाभार्थियों को हटाने तथा प्रतीक्षा-सूची में पात्र आवेदकों की बॉर्डिंग पर अस्थाई रूप से हटाए गए लाभार्थियों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए था।

जिला कल्याण अधिकारी (मुख्यालय) ने भी पुष्टि की कि राज्य सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट समयावधि निर्धारित नहीं की गई थी।

### 3.4 बजट आवंटन एवं व्यय

2017-18 व 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा आवंटित वित्तीय परिव्यय एवं उसके प्रति हुए व्यय का वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका-3.4 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.4: चयनित पेंशन योजनाओं हेतु आवंटित निधियां एवं उनके प्रति हुआ व्यय

(₹ करोड़ में)

| पेंशन योजना                                    | 2017-18       |               | 2018-19       |               | 2019-20       |               | 2020-21       |               | सकल योग        |                |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|  | बजट           | व्यय          | बजट           | व्यय          | बजट           | व्यय          | बजट           | व्यय          | बजट            | व्यय           |
| इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 43.41         | 42.17         | 47.36         | 46.94         | 50.01         | 48.81         | 63.93         | 63.45         | 204.71         | 201.37         |
| इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना       | 10.55         | 10.28         | 11.43         | 11.33         | 12.12         | 11.84         | 14.56         | 14.52         | 48.66          | 47.97          |
| इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना    | 0.72          | 0.65          | 1.35          | 1.22          | 1.42          | 1.09          | 1.37          | 1.34          | 4.86           | 4.30           |
| वृद्धावस्था                                    | 217.39        | 214.61        | 346.00        | 345.61        | 437.48        | 435.71        | 546.92        | 546.63        | 1547.79        | 1542.56        |
| विधवा  | 123.41        | 121.46        | 125.57        | 125.42        | 141.60        | 141.08        | 144.25        | 144.18        | 534.83         | 532.14         |
| दिव्यांग राहत भत्ता                            | 45.93         | 45.36         | 48.88         | 48.83         | 71.87         | 71.68         | 88.47         | 88.40         | 255.15         | 254.27         |
| <b>योग:</b>                                    | <b>441.41</b> | <b>434.53</b> | <b>580.59</b> | <b>579.35</b> | <b>714.50</b> | <b>710.21</b> | <b>859.50</b> | <b>858.52</b> | <b>2596.00</b> | <b>2582.61</b> |

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

<sup>5</sup> बिलासपुर: 581; चंबा: 1062; हमीरपुर: 276; कांगड़ा: 2695; किन्नौर: 102; कुल्लू: 1141; लाहौल-स्पीति: 10; मंडी: 888; शिमला: 1240; सिरमौर: 435; व सोलन: 287

<sup>6</sup> बिलासपुर: 18; चंबा: 01; हमीरपुर: 08; कांगड़ा: 23; कुल्लू: 18; मंडी: 229; शिमला: 07; सिरमौर: 03 व ऊना: 22

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2017-21 के दौरान चयनित पेंशन योजनाओं के तहत उपलब्ध ₹ 2596.00 करोड़ के बजट के प्रति इन योजनाओं पर ₹ 2582.61 करोड़ का व्यय किया गया एवं ₹ 13.39 करोड़ अप्रयुक्त रहें।

### 3.5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन निधियों का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2017 के नियम 183 में निर्धारित है कि त्वरित संवितरण आवश्यक होने के अतिरिक्त कोषागार से निधियों का आहरण अनुमत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना नियमावली, 2010 का परिच्छेद 10(4) निर्धारित करता है कि किसी तिमाही विशेष में मृत/अपात्र व्यक्तियों के सम्बन्ध में संवितरित नहीं की गई राशि को अगली तिमाही में अल्प आहरण के माध्यम से समायोजित किया जाए।

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक बजटीय प्रावधान के प्रति निदेशक लाभार्थियों की संख्या के आधार पर जिला कल्याण अधिकारियों को बजट आवंटित करता है। जिला कल्याण अधिकारी कोषागार से निधियों का आहरण करते हैं उसे एक नामित बचत बैंक खाते में अंतरित करते हैं जहां से लाभार्थियों को पेंशन भुगतान संवितरित किया जाता है।

चयनित चार जिला कल्याण अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2017-21 के दौरान पेंशन लाभ के संवितरण हेतु कोषागार से आहरित ₹ 12.34 लाख से ₹ 1436.87 लाख तक की निधियां चयनित तीन<sup>7</sup> जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खातों में हर तिमाही की समाप्ति तक अव्ययित रही, जैसा कि परिशिष्ट-5 में विवर्णित है।

प्रत्येक तिमाही के अंत में अव्ययित शेष राशि इस तथ्य का संकेत था कि निकासी बिना आवश्यकता के की गई थी एवं हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों का उल्लंघन करते हुए अगली तिमाहियों में अव्ययित राशियों को समायोजित नहीं किया गया था। इस राशि का उपयोग प्रतीक्षा-सूची में संभावित लाभार्थियों को पेंशन की स्वीकृति व अन्य कल्याणकारी गतिविधियों हेतु किया जा सकता था, जैसा कि परिच्छेद 3.3 में चर्चा की गई है।

*सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने बताया कि डाक कार्यालयों/बैंक द्वारा मृत लाभार्थियों की पेंशन का संवितरण न होने के कारण राशि बकाया रही, हालांकि भविष्य में कोषागार से अल्प आहरण द्वारा बकाया राशि का समायोजन किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हर तिमाही की समाप्ति तक सतत शेष राशि परिचायक है कि निधियां अल्प आहरण के माध्यम से जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा समायोजित नहीं की गई।*

#### सारांश-

- यद्यपि 2017-21 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं हेतु सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों पर ₹ 0.88 करोड़ व्यय किया गया, लेकिन पात्र व्यक्तियों को शामिल न किया जाना देखा गया।

<sup>7</sup> मंडी: ₹66.21 लाख से ₹1436.87 लाख, शिमला: ₹18.88 लाख से ₹149.77 लाख व सोलन: ₹12.34 लाख से ₹124.65 लाख (किन्नौर में मामले नहीं देखे गए)

- नमूना-जांचित 11 ग्राम पंचायतों (तहसील कल्याण अधिकारियों अर्की, मंडी-सदर तथा शिमला ग्रामीण के अंतर्गत) के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 826 घरों में इन परिवारों के 29 व्यक्ति (बीपीएल) 60 वर्ष से अधिक आयु होने के बावजूद किसी भी योजना में शामिल नहीं किए गए थे।
- उपर्युक्त उल्लेखित 10 व्यक्तियों के तदर्थ सर्वेक्षण में यह देखा गया कि केवल एक व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से अनभिज्ञ था। आठ लोगों ने बताया कि उन्होंने लेखापरीक्षा के समय पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन नहीं किया था एवं बाद में आवेदन किया था।
- सक्रिय आवधिक सर्वेक्षणों अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों से पात्र जनसंख्या का श्रेणी-वार या आयु-वार डेटा/जानकारी प्राप्त कर डेटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया। जिसके अभाव में पेंशन हेतु आवेदन करना पूर्ण रूप से लाभार्थियों या ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों पर निर्भर था।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लक्ष्य के प्रति लाभार्थियों के कवरेज में 4362 से 8519 के मध्य की कमी पाई गई।
- निधियां प्रासंगिक वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक अव्ययित थीं एवं आवेदक प्रतीक्षा-सूची में थे। चयनित तीन जिलों (मंडी, शिमला व सोलन) में ₹ 12.34 लाख से ₹ 1436.87 लाख तक की निधियां सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित थीं।
- पेंशन मामलों पर अंतिम निर्णय लेने हेतु समयावधि निर्धारित नहीं की गई थी। 2017-21 के दौरान अस्थायी रूप से हटाए जाने के लिए लाभार्थियों के सत्यापन में विलम्ब के कारण हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 23,442 व 43,026 के मध्य तक मामलों की भारी संख्या एवं सक्रिय पेंशनभोगियों की सूची में प्रतीक्षा-सूची के आवेदकों को लाना लंबित था।

#### **सिफारिशें - राज्य सरकार विचार करें:**

- संभावित लाभार्थियों की पहचान हेतु सुदृढ़ तंत्र स्थापित करना एवं पात्र जनसंख्या का आयु-वार अथवा श्रेणी-वार डेटाबेस निर्मित करना।
- लक्ष्यानुसार लाभार्थियों का कवरेज एवं निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- लक्ष्यों की आवधिक समीक्षा की जाएं, पेंशन की स्वीकृति एवं अपात्र के रूप में सूचित किए गए लाभार्थियों का सत्यापन समय-बद्ध रूप से करें।

**अध्याय-IV**  
**प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे का**  
**अनुपालन**



## अध्याय - IV

### प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे का अनुपालन

1 जनवरी 2013 से भारत सरकार ने सूचना/निधियों के सरल एवं तेज प्रवाह हेतु तथा लाभार्थियों के लक्ष्यीकरण में सटीकता, पुनरावृत्ति एवं धोखाधड़ी घटाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं में मौजूदा प्रक्रिया को रीडिजीनियरिंग करके सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से लाभार्थियों को लाभ का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू किया। भारत सरकार की 27 योजनाओं के संबंध में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों सहित देश के 121 जिलों में डीबीटी शुरू किया गया था। राज्य सरकार ने जून 2021 तक 135 अन्य योजनाओं को डीबीटी कार्यक्रम के तहत शामिल किया है।

छ: चयनित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं सहित कुल 62 योजनाओं को राज्य डीबीटी पोर्टल पर जून 2021 तक जोड़ा गया था। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने 2017-21 की अवधि के दौरान छ: चयनित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं सहित इन 62 योजनाओं के तहत ₹ 4646.91 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांतरित किया। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि छ: चयनित योजनाओं में से कोई भी योजना उक्त निर्देशों एवं डीबीटी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू नहीं की गई थी, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट भाषण (मार्च 2013) में मुख्यमंत्री ने डीबीटी सुविधा के माध्यम से सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ अंतरण करने की घोषणा की।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने जुलाई 2013 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लाभार्थियों के संबंध में डीबीटी शुरू किया। तथापि यह देखा गया कि डीबीटी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था क्योंकि बजट भाषण में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद भी क्लाउंट सर्वर-आधारित ई-कल्याण को डीबीटी ढांचे के अनुरूप रीडिजीनियरिंग नहीं किया गया था तथा निम्नलिखित अपेक्षित परिवर्तन नहीं किए गए थे :

- संवितरण प्रक्रिया ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं थी एवं इसमें ई-कल्याण से उत्पन्न लाभार्थी सूची (ई-मेल/पेन ड्राइव के माध्यम से) के रूप में मैन्युअल हस्तक्षेप शामिल था क्योंकि एमएस-एक्सलशीट, चेक के साथ-साथ बैंक/डाकघर को लाभार्थियों के डाक/ बैंक बचत खाते में जमा करने के लिए भेजा गया।
- लाभार्थियों की पहचान आधार या किसी अन्य विशिष्ट आईडी के साथ सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसके अभाव में एक ही व्यक्ति को दोहरा भुगतान किया गया, जैसा कि परिच्छेद 5.4.1 में दर्शाया गया है।
- लाभार्थियों को उनके डाक/बैंक खाते में लाभांतरण के विषय में एसएमएस या किसी अन्य माध्यम से सूचित करने के लिए प्रतिक्रिया लूप उपलब्ध नहीं था।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मौजूदा संवितरण प्रक्रिया की तुलना डीबीटी ढांचे के साथ नीचे परिच्छेद 4.2 में विस्तृत रूप से की गई है।

#### 4.1 डीबीटी ढांचे के साथ मौजूदा प्रणाली की तुलना

डीबीटी भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया की तुलना में मौजूदा प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन निम्नानुसार है:

| विवरण  | डीबीटी ढांचा  | मौजूदा प्रणाली   |
|--|---|--|
| लाभार्थी को जोड़ना   | <ul style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थी को जोड़ने के दौरान आधार सीडिंग (आधार कार्ड से बैंक खाते को जोड़ना), सत्यापन व प्रमाणीकरण के साथ बैंक खाते/ डाक खाते के विवरण दर्ज किए जाएं।</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थी के आवेदन के मैन्युअल सत्यापन व अनुमोदन पर आधार सीडिंग या किसी अन्य विशिष्ट आईडी द्वारा सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के बिना लाभार्थी के विवरण, बैंक / डाक खाते के साथ सिस्टम में दर्ज किए जाते हैं।</li> </ul>   |
| पीएफएमएस पर आवेदन व पंजीकरण की मंजूरी के बाद आधार एवं बैंक खाते का सत्यापन | <ul style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थी का नाम, बचत खाता विवरण एवं आधार योजना-प्रबंधन प्रणाली से पीएफएमएस में भेज दिया जाता है या सीधे पीएफएमएस में दर्ज किया जाता है।</li> <li>डेटा को पीएफएमएस में आंतरिक सत्यापन हेतु जांचा जाता है (यदि गलत है, तो आठ व्यावसायिक घंटों के भीतर खारिज कर दिया जाता है)</li> <li>एनपीसीआई के आधार मैपर पर आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) सत्यापन (यदि आधार संख्या बैंक खाते के साथ जुड़ा हुआ है) या लाभार्थी के बैंक से बैंक खाता सत्यापन (यदि बैंक खाता प्रदान किया गया है)।</li> <li>पीएफएमएस को बैंक/एनपीसीआई से प्रतिक्रिया - पीएफएमएस बैंक एवं एनपीसीआई दोनों से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है। यदि बैंक की प्रतिक्रिया में सात दिनों से अधिक का विलम्ब होता है, तो पीएमएस (इन मामलों के लिए अलग टैग) द्वारा सत्यापन को अस्वीकार कर दिया जाता है तथा विभाग से इसे</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में आवेदन के चरण में ऐसा कोई सत्यापन उपलब्ध नहीं है।</li> <li>राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के संबंध में पीएफएमएस पंजीकरण अक्टूबर 2020 में पूर्ण किया गया तथा पीएफएमएस का उपयोग करके लाभांतरण शुरू किया गया।</li> <li>राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ पीएफएमएस/आईएफएमएस के माध्यम से नहीं भेजा गया।</li> </ul> |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
|                      | <p>पुनः संसाधित करने का अनुरोध किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पीएफएमएस द्वारा योजना-सॉफ्टवेयर के साथ पंजीकरण साझा करना - पीएफएमएस अस्वीकृत/सफल मामलों में विभाग को विस्तृत प्रतिक्रिया फाइल प्रस्तुत करता है तथा भुगतान फाइल प्रसंस्करण के लिए प्रतिक्रियाओं को संग्रहित करता है।</li> </ul>   |  |
| <p>पेंशन संवितरण</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• विभाग सत्यापन के बाद भुगतान फाइलें बनाकर पीएफएमएस पर डालेगा।</li> <li>• भुगतान फाइलों को मंजूरी देने एवं पीएफएमएस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत।</li> <li>• भुगतान फाइलों को सत्यापित करने एवं बैंक/कोषागार को भेजने हेतु पीएफएमएस।</li> <li>• लाभार्थी के खातों में भुगतान अंतरित करने हेतु बैंक।</li> <li>• सभी लेनदेन एनपीसीआई के माध्यम से किए जाने हैं।</li> <li>• लाभार्थियों के खाते में अंतरित की गई राशि।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ई-कल्याण सॉफ्टवेयर से लाभार्थी सूची (सॉफ्ट कॉपी - एमएस एक्सेल शीट) उत्पन्न होती है।</li> <li>• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के मामले में सूची को पीएफएमएस के साथ संगत प्रारूप में परिवर्तित किया जाता है (क्योंकि ई-कल्याण का हिंदी फ्रॉन्ट पीएफएमएस के साथ संगत नहीं है) एवं पीएफएमएस पर अपलोड किया जाता है। फिर लाभ सीधे लाभार्थियों के बचत खाते में अंतरित कर दिया जाता है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से पीएफएमएस को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल के साथ एकीकृत न करने के कारण राज्य में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल डीबीटी के माध्यम से शून्य लेनदेन दिखा रहा है।</li> <li>• राज्य योजनाओं के मामले में लाभार्थी सूची (ई-मेल / पेन ड्राइव के माध्यम से) चेक के साथ लाभार्थियों के बचत खाते में जमा करने के लिए बैंक / डाकघर को भेजी जाती है।</li> </ul> |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| प्रतिक्रिया लूप | <ul style="list-style-type: none"> <li>• बैंक पीएफएमएस के साथ भुगतान स्थिति की प्रतिक्रिया फाइल साझा करेगा।</li> <li>• पीएफएमएस विभाग के साथ भुगतान प्रतिक्रिया साझा करेगा।</li> <li>• एसएमएस अलर्ट के माध्यम से लाभार्थियों को प्रतिक्रिया।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• लाभार्थी के लिए कोई एसएमएस मैकेनिज्म/प्रतिक्रिया लूप उपलब्ध नहीं है।</li> <li>• पीएफएमएस के साथ एकीकृत न होने के कारण पीएफएमएस के माध्यम से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं हेतु पावती पुश ई-कल्याण में उपलब्ध नहीं है।</li> </ul> |
|-----------------|---|--|

स्रोत: डीबीटी भुगतान एवं ई-कल्याण सॉफ्टवेयर हेतु मानक संचालन प्रक्रिया।

जैसा कि उपरोक्त तुलना से देखा जा सकता है, ई-कल्याण सॉफ्टवेयर डीबीटी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। डीबीटी ढांचे का पालन न करने एवं मानवीय हस्तक्षेप के जोखिम के कारण मौजूदा प्रणाली को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण नहीं कहा जा सकता है।

विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रक्रिया डीबीटी ढांचे के अनुरूप नहीं है, जिसमें लाभार्थियों को लाभ का सीधे हस्तांतरण शामिल होना चाहिए। इस प्रक्रिया को लाभ अंतरण का नाम दिया जा सकता है परन्तु “प्रत्यक्ष” लाभ अंतरण नहीं क्योंकि निधियां लाभार्थियों को सीधे अंतरित नहीं की गई थीं (जैसा कि कुछ अन्य राज्यों/भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है) अपितु निधियां जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खातों में अंतरित की गई थीं तथा तत्पश्चात आगे लाभार्थी बैंक खातों में अंतरित करने के लिए चेक जारी किए गए थे।

इसके अतिरिक्त जैसा कि **परिच्छेद 1.5** में वर्णित है, समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) से निधियों का आहरण एवं उन्हें जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खातों में जमा करना एक अलग गतिविधि है; लाभार्थियों के खाते में बैंक/ डाक कार्यालयों के माध्यम से निधियों का अंतरण एक सर्वथा असंबद्ध गतिविधि है; तथा तृतीय महत्वपूर्ण चरण अर्थात् बैंकों/डाक कार्यालयों से लाभार्थी खातों में जमा होने की पावती प्राप्त होना/पावती प्राप्त न होना आईटी संचालित पद्धति से नहीं की जाती है, बल्कि मैनुअल रूप से की जाती है। प्रत्येक लाभार्थी के स्वीकृत भुगतान ई-कल्याण में स्वतः दर्ज (रिकॉर्ड) करने के चौथे चरण का सर्वथा न होना। इसके परिणामस्वरूप जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित शेष राशि की एक प्रणालीगत समस्या उत्पन्न होती है, जैसा कि **परिच्छेद 3.5** में भी इसका विवरण दिया गया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना भुगतानों के लिए भी यद्यपि डीबीटी मॉड्यूल स्वतः निधि अंतरण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है तथापि ई-कल्याण से पीएफएमएस तक फाइलों/निधि अंतरण आदेशों को स्वचालित रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाता एवं पीएफएमएस से वापस ई-कल्याण में लाभार्थी-वार पावती/ डेटा फाइल विफलता नहीं भेजी जाती।

अंतिम बैठक में पीएफएमएस/आईएफएमएस को ई-कल्याण के साथ एकीकृत करने के पहलू पर विभाग ने बताया कि कोषागार अब पूर्णतः से स्वचालित हो गए हैं एवं लाभ के निर्बाध अंतरण व लाभार्थियों को इसकी सूचना देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे बताया गया कि हिमाचल प्रदेश-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ चर्चा के पश्चात् यह कार्यवाही शुरू की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पेंशन राशि के भुगतान में कमियां तथा पुनरावृत्ति के मामले पाए गए जैसा कि अध्याय - V में विवर्णित है। इस प्रकार, ई-कल्याण केवल लाभार्थी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जो डीबीटी ढांचे के अनुसार काम नहीं कर रही है। निम्नवर्ती मामले को जिला कल्याण अधिकारी, मंडी द्वारा प्रलेखित किया गया था जो डीबीटी का कार्यान्वयन न होने के प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

#### प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन ना होने के प्रभाव

जिला कल्याण अधिकारी, मंडी के अंतर्गत कार्यालय तहसील कल्याण अधिकारी जोगिन्दरनगर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन निधि सहित कल्याण निधि में गबन का मामला दर्ज किया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित ₹ 1.10 करोड़ की नकद राशि आहरित की गई थी एवं इसका नकद संवितरित दिखाया गया था। लाभार्थियों की सूची व लाभार्थियों की पावती रसीद रिकार्ड में नहीं पाई गई थी। जून 2012 से अगस्त 2017 की अवधि के लिए विभागीय जांच चल रही थी। यदि विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वितरण में डीबीटी को समय पर लागू किया होता तो निधियों के संवितरण में अनियमितताओं को टाला जा सकता था।

#### सारांश-

- विभाग ने भारत सरकार के निर्देशों के बावजूद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में डीबीटी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
- डीबीटी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था क्योंकि बजट भाषण में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद भी क्लाउंट सर्वर-आधारित ई-कल्याण को डीबीटी ढांचे के अनुरूप रीडिजीनियर नहीं किया गया था। संवितरण प्रक्रिया ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं थी एवं इसमें मैनुअल हस्तक्षेप शामिल था। आधार या किसी अन्य विशिष्ट आईडी वाले लाभार्थियों की विशिष्टता सुनिश्चित नहीं की गई थी।
- डीबीटी भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों जैसे राज्य कोषागार/डाक विभाग/बैंकों के साथ इंटरफेस, सत्यापन, पीएफएमएस के माध्यम से वितरण (राज्य योजनाओं के मामले में) तथा प्रतिक्रिया (प्रतिक्रिया) तंत्र का अनुपालन नहीं किया गया था।
- पीएफएमएस के साथ एकीकृत न होने के कारण ई-कल्याण में पावती पुश उपलब्ध नहीं है एवं लाभार्थी विवरण के साथ निधि अंतरण आदेश स्वचालित रूप से उत्पन्न नहीं होते।

#### सिफारिशें - राज्य सरकार विचार करें:

- डीबीटी ढांचे के अनुसार विभागों की सभी योजनाओं हेतु डीबीटी कार्यान्वित करना।
- ई-कल्याण एवं आईएफएमएस/ पीएफएमएस को एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि डीबीटी ढांचे के अनुसार लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरण सुनिश्चित किया जा सके।
- डीबीटी भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ईमानदारी से अपनाया जाए।

- ई-कल्याण व आईएफएमएस (या अन्य प्लेटफार्म जैसे पीएफएमएस पर, जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खातों से चेक के माध्यम से ना करके, राज्य सरकार स्वतः निधि अंतरण के लिए पहचान कर सकती है) का यह सुनिश्चित करने के लिए उन्नयन एवं इंटरफेस करना कि (क) निधि अंतरण आदेश स्वतः उत्पन्न हो एवं तत्पश्चात अंतरण हो (ख) राज्य स्तर पर न्यूनतम क्षणिक नकदी शेष राशि के साथ एकल नोडल बैंक खाते का उपयोग हो (ग) एसएमएस पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को पावती प्राप्त हुई (या पावती प्राप्त नहीं हुई) की स्वतः सूचना प्राप्त हो।

## **अध्याय-V**

**सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के  
कार्यान्वयन की प्रक्रिया**



## अध्याय - V

### सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

लेखापरीक्षा ने हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के सम्बन्ध में क्लाउंट सर्वर ई-कल्याण के डेटा डंप का विश्लेषण किया। चार चयनित जिलों के संदर्भ में निरन्तर अनियमितताओं की जाँच हेतु ई-कल्याण के एकीकृत वेब आधारित एप्लीकेशन पर प्रश्न चलाए गए (अक्टूबर 2020) थे। लेखापरीक्षा ने चयनित 59 ग्राम पंचायतों में आवेदनों की हस्तचालित (मैनुअल) प्रक्रिया से सम्बंधित अभिलेखों एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से सम्बंधित अभिलेखों की भी संवीक्षा की। लेखापरीक्षा में आवेदन करने की प्रक्रिया में कमियां, लाभार्थियों का चयन करने में अनियमितता, पुनरावृत्ति पेंशन के मामले इत्यादि पाए गए, जिनका अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णन किया गया है।

#### 5.1 लाभार्थियों की विशिष्टता

पेंशन नियम किसी लाभार्थी को केवल एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अनुमति देते हैं। किसी अन्य विभाग अथवा संगठन से पेंशन/भत्ता प्राप्त करने वाला व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पात्र नहीं होता। पुनरावृत्ति करने वाले लाभार्थी हटाए जाना सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की विशिष्टता का पता लगाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त डीबीटी भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया में प्रावधान है कि पीएफएमएस में लाभार्थी का पंजीयन निम्नलिखित में से कम से कम एक का सफलतापूर्वक सत्यापन होने के पश्चात् किया जाना है:

1. बैंक खाता/डाक खाता सत्यापन
2. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम आधार मैपर पर आधार संख्या

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

##### 5.1.1 पहचान हेतु आधार का प्रयोग

भारत सरकार के परिपत्र (सितंबर 2016) के अनुसार राज्य सरकारें उन योजनाओं में आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग को अनिवार्य कर सकती हैं, जो राज्य की समेकित निधि द्वारा वित्त पोषित हैं। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को यूआईडीएआई<sup>1</sup> के प्रमाणीकरण विभाग से अनुमति लेने से पूर्व आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत ऐसी योजनाओं की पहचान करना एवं उन्हें अधिसूचित करना आवश्यक है। अधिसूचना में जिन्हें आधार आवंटित नहीं किया गया है उन्हें लाभार्थी आवेदक की पहचान की पुष्टि हेतु वैकल्पिक दस्तावेजों व सत्यापन पद्धतियों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा, जब तक कि लाभ, सब्सिडी या सेवाओं के वितरण के लिए आधार नहीं सौंपा गया है।

डीबीटी हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया मॉड्यूल के अध्याय-4 के भाग ग में निर्धारित किया गया है कि लाभार्थियों के आधार विवरण को जोड़ने के उद्देश्य से (सीडिंग), उनके आधार नंबरों के उपयोग के लिए एक बार की सहमति प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त आंकड़ों की सत्यता एवं बैंक खातों/आईएफएससी कोडों, आधार आदि की सत्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके

<sup>1</sup> भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अतिरिक्त आधार अधिनियम, 2016 की धारा 8 (2) के अनुसार प्रमाणीकरण के उद्देश्य से उसकी पहचान की जानकारी एकत्र करने से पहले किसी व्यक्ति की सहमति ली जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत लाभार्थियों की पहचान हेतु आधार के उपयोग के लिए अधिसूचित नहीं किया था।
- राज्य में आवेदकों से आवेदन के समय आधार संख्या केवल सत्यापन के उद्देश्य से प्राप्त की गई थी तथा लाभार्थियों की सहमति के बिना क्लाउंट सर्वर ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में संग्रहित की गई थी। डेटा डंप विश्लेषण से पता चला कि 5.01 लाख सक्रिय लाभार्थियों की आधार संख्या ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में बिना एन्क्रिप्शन के एवं बिना मास्क (छिपाए गए) किए प्रारूप में यूआईडीएआई दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए संग्रहित की गई थी, जिसमें डेटा की सुरक्षा के जोखिम से समझौता किया गया था।
- नमूना-जांचित चार जिलों में कुल 2.07 लाख<sup>2</sup> लाभार्थियों में से 1.92 लाख<sup>3</sup> लाभार्थियों के मामले में आधार संख्या आवेदन के समय प्राप्त की गई एवं क्लाउंट सर्वर ई-कल्याण में संग्रहित की गई। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा केवल 0.73 लाख<sup>4</sup> लाभार्थियों के मामले में ग्राहक सर्वर ई-कल्याण प्रणाली पर आधार संख्या की डेटा प्रविष्टि की सटीकता (आधार की हार्ड कॉपी के साथ) की जाँच की थी। तत्पश्चात यूआईडीएआई वेब सेवाओं के माध्यम से आधार संख्या का सत्यापन नहीं किया गया।
- यद्यपि लाभार्थियों के आधार को संग्रहित किया गया था, परन्तु पुनरावृत्ति वाली प्रविष्टियों की पहचान करने एवं सत्यापन के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप बार-बार पेंशन भुगतान के मामले सामने आए, जैसा कि परिच्छेद 5.4.1 (i) में वर्णित है।
- क्लाउंट सर्वर-आधारित सॉफ्टवेयर (राज्य के सभी 12 जिलों के लिए) के संबंध में डेटा डंप के विश्लेषण से पता चला कि-
  - 9078 मामलों<sup>5</sup> (आधार वाले कुल 5.01 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से) में 4251 आधार संख्याओं<sup>6</sup> का कई बार (दो से पांच बार) उपयोग किया गया था। नए लागू (अक्टूबर 2020) वेब-आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में आधार संख्या के लिए फ़ील्ड नहीं था।

<sup>2</sup> किन्नौर: 6169; मंडी: 104296; शिमला: 62492 व सोलन: 33962

<sup>3</sup> किन्नौर: 5361; मंडी: 96901; शिमला: 56973 व सोलन: 32684

<sup>4</sup> किन्नौर: 5361, मंडी: 86, शिमला: 56973 व सोलन: 10747

<sup>5</sup> बिलासपुर: 838; चंबा: 780; हमीरपुर: 427; कांगड़ा: 1643; किन्नौर: 69; कुल्लू: 640; लाहौल-स्पीति: 74; मंडी: 1710; शिमला: 1087; सिरमौर: 644; सोलन: 116; व ऊना: 1050

<sup>6</sup> बिलासपुर: 411; चंबा: 381; हमीरपुर: 209; कांगड़ा: 748; किन्नौर: 34; कुल्लू: 316; लाहौल-स्पीति : 37; मंडी: 813; शिमला: 517; सिरमौर: 314; सोलन: 57; व ऊना: 414

- आधार 12 अंकों की विशिष्ट संख्या होती है। 5061 मामलों में (आधार वाले 5.01 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से) आधार संख्या<sup>7</sup> डेटाबेस में सही ढंग से दर्ज नहीं की गई थी (12 अंकों से कम या खाली छोड़ दिया गया था)।

यह साफ्टवेयर में सत्यापन जांच की कमी एवं लाभार्थियों की विशिष्टता का पता लगाने में विभाग की विफलता को इंगित करता है, जिसके कारण लाभार्थियों की पुनरावृत्ति हो सकती हैं, जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान भी देखा गया {परिच्छेद 5.4.1 (i)}।

जिला कल्याण अधिकारी, शिमला ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि लाभार्थियों की सहमति प्राप्त करने के विषय में नियमों में किसी प्रकार के निर्देश के अभाव में इसका पालन नहीं किया गया तथा पुनरावृत्ति की जांच विभागीय प्राधिकारियों द्वारा हर तिमाही में संवितरण के पूर्व पेंशनभोगियों की सूची डाउनलोड करके की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लाभार्थियों से सहमति प्राप्त न करना मानक परिचालन प्रक्रिया का उल्लंघन था तथा पुनरावृत्ति की हस्तचालित जांच अपर्याप्त साबित हुआ क्योंकि लाभार्थियों के पुनरावृत्ति के मामले देखे गए थे, जैसा कि परिच्छेद 5.4.1 (i) में विवर्णित है।

अंतिम बैठक में विभाग ने बताया कि लाभार्थियों की पहचान हेतु आधार का उपयोग करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को अब आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिसूचित किया गया एवं सभी लाभार्थियों के आधार को ई-कल्याण में जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान ई-कल्याण संस्करण में आधार संख्या फीड करने की कार्यक्षमता नहीं है, इस कार्यक्षमता को जोड़ा जाएगा एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए यूआईडीएआई के सहयोग से सभी लाभार्थियों का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण किया जाएगा।

### 5.1.2 विशिष्ट पहचान हेतु अन्य क्षेत्रों व सत्यापन नियंत्रणों का उपयोग

पुनरावृत्ति वाली प्रविष्टियों को पहचानने एवं रोकने के लिए सिस्टम में ही नियंत्रण (कंट्रोल) होना चाहिए (इनबिल्ट)। ई-कल्याण में उपलब्ध अन्य क्षेत्रों के विश्लेषण से निम्नलिखित उजागर हुआ:

**व्यक्तिगत लेजर खाता संख्या:** किसी योजना में लक्ष्य में वृद्धि या स्लॉट के खाली होने के आधार पर व्यक्तिगत लेजर खाता संख्या वाला स्लॉट प्रतीक्षा-सूची के नए आवेदक को जारी किया जाता है। किसी विशेष पेंशन योजना के तहत उपलब्ध स्लॉट पर लाभार्थी को व्यक्तिगत लेजर खाता संख्या (स्लॉट नंबर) आवंटित किया जाता है।

डेटा डंप के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- लाभार्थी की विशिष्टता का पता लगाने के लिए व्यक्तिगत लेजर खाता संख्या का उपयोग नहीं किया जा सकता है; इसके बजाय यह केवल विशिष्ट रूप से पेंशन स्लॉट की पहचान करता है।

<sup>7</sup> बिलासपुर:73; चंबा:404; हमीरपुर:76; कांगड़ा:1438; किन्नौर: 05; कुल्लू:41; लाहौल-स्पीति:03; मंडी:365; शिमला:2320; सिरमौर:36; सोलन:26; व ऊना:274

- डेटा डंप में उपलब्ध अस्थायी रूप से हटाए जाने के मामलों के विश्लेषण से पेंशनभोगियों की पुनरावृत्ति के 4403 मामले<sup>8</sup> (हटाए गए 2.24 लाख मामलों में से) ज्ञात हुए, जिनके द्वारा एक से अधिक स्लॉट / व्यक्तिगत लेजर खाता संख्या रखने की सूचना फील्ड पदाधिकारियों द्वारा दी गई थी। इन मामलों में इन लाभार्थियों को दोहरी पेंशन आवंटित की गई थी।

**विशिष्ट पहचान (यूनिक आईडी):** सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के आवेदकों को एक विशिष्ट आईडी आवंटित की जाती है जो प्रत्येक आवेदक हेतु अलग (विशिष्ट) होती है। यूनिक आईडी के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- प्रत्येक आवेदन हेतु डेटा प्रविष्टि के समय ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में विशिष्ट आईडी उत्पन्न की जा रही थी (सिस्टम जनरेटेड) जिसे अन्य आवेदनों में दोहराया नहीं जा सकता।
- यूनिक आईडी पुनरावृत्ति करने वाले आवेदकों/लाभार्थियों का पता लगाने में सहायक नहीं थी क्योंकि एक आवेदक को एक नई यूनिक आईडी आवंटित की जा सकती है, भले ही सिस्टम में लाभार्थी का विवरण मौजूद हो और उन्हें फिर से दर्ज किया गया हो (ऐसे मामलों में जहां एक ही व्यक्ति से कई आवेदन प्राप्त हुए हों)।

इस प्रकार, ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में सत्यापन नियंत्रणों की कमी के कारण पुनरावृत्ति करने वाले लाभार्थियों की पहचान हेतु यूनिक आईडी का उपयोग नहीं किया जा सका।

**डेटा पुनरावृत्ति का पता लगाना:** ई-कल्याण के क्लाउड सर्वर संस्करण में पेंशन की पुनः स्वीकृति से बचने के लिए लाभार्थी के नाम एवं अन्य विवरण पर डेटा प्रविष्टि की पुनरावृत्ति का पता लगाने के लिए इनबिल्ट चेक (पॉप अप या सुझाव/अधिसूचना के रूप में) प्रदान नहीं किए गए थे। वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में यह अनियमितता लगातार बनी हुई है।

इस प्रकार, ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में डेटा प्रविष्टि करते समय आवेदकों की पुनः प्रविष्टि की जांच करने/पता लगाने की कार्यक्षमता प्रदान नहीं की गई थी।

उपरोक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में पर्याप्त सत्यापन जांच/नियंत्रण उपलब्ध नहीं थे।

अंतिम बैठक में विभाग ने बताया कि व्यक्तिगत लेजर खाते को आधार संख्या से जोड़ने की संभावना खोजी जाएगी तथा भविष्य में इसे रोकने के लिए आवश्यक सत्यापन जांच हेतु सक्षम बनाया जाएगा।

## 5.2 आवेदनों की जांच एवं प्रक्रिया

ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं से प्राप्त आवेदनों की विभागीय अधिकारियों (तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी) द्वारा संवीक्षा एवं सत्यापन किया जाता है तथा लाभार्थी

<sup>8</sup> बिलासपुर: 561; चंबा: 222; हमीरपुर: 64; कांगड़ा: 1760; किन्नौर : 23; कुल्लू: 242; लाहौल-स्पीति: 10; मंडी: 480; शिमला: 608; सिरमौर : 227; सोलन: 03; व ऊना: 203

विवरण पूर्ण होने/सत्यापित होने के उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट की जाती हैं।

### 5.2.1 आवेदनों की संवीक्षा

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमावली, 2010 के परिच्छेद 8(7) में प्रावधान है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात् तहसील कल्याण अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज जैसे परिवार रजिस्टर की प्रति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची, ग्राम पंचायत प्रस्ताव (संकल्प), पात्रता प्रमाणपत्र (मृत्यु/अक्षमता/परित्यक्ता/एकल नारी/आय), इत्यादि जिला कल्याण अधिकारी को अग्रेषित करेगा। जिला कल्याण अधिकारी आवेदक की पात्रता का पुनःसत्यापन करेंगे एवं अपूर्ण आवेदन पुनः तहसील कल्याण अधिकारी को वापस प्रेषित करेगा।

- i. लेखापरीक्षा ने 2017-21 से सम्बंधित अवधि हेतु चयनित चार जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा प्राप्त 1175 आवेदनों पत्रों (यादृच्छिक रूप से चयनित) की छानबीन की। 204 मामलों<sup>9</sup> (17 प्रतिशत) में अपूर्ण आवेदन पत्रों पर, जिनमें अपेक्षित दस्तावेज (परिवार रजिस्टर की प्रति/ग्राम पंचायत प्रस्ताव/राशन कार्ड/पति का मृत्यु प्रमाणपत्र/ अक्षमता प्रमाणपत्र) प्राप्त नहीं किए गए थे, जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया की गई थी जो इंगित करता है कि इन आवेदनों पर मूल अभिलेखों के बिना कार्यवाही की गई।

*जिला कल्याण अधिकारी, मंडी ने बताया कि लाभ प्राप्त करने के प्रारूप में योजनानुसार अपेक्षित सभी आवश्यक जानकारी सम्मिलित थी। नमूना-जांचित अन्य जिला कल्याण अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि मामलों की जांच की जाएंगी। हालांकि यह तथ्य शेष रहा कि विभागीय प्राधिकारी मूल अभिलेखों के अभाव में आवेदनों का सत्यापन करने की स्थिति में नहीं थे, जो परिचायक है कि आवेदनों की संवीक्षा एवं सत्यापन नियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं की जा रही थीं।*

- ii. **लाभार्थियों की आयु में भिन्नता-** नमूना-जांचित 59 ग्राम पंचायतों में चयनित छः योजनाओं के 9196 लाभार्थियों से सम्बंधित पंचायत अभिलेखों की ई-कल्याण में दर्ज विवरणों से तुलना की गई तथा पाया गया कि-

- 776 लाभार्थियों<sup>10</sup> की आयु में भिन्नता (एक वर्ष से अधिक के अंतर के मामलों को लिया गया) के मामले पाए गए।
  - इन में से 294 मामलों में भिन्नता<sup>11</sup> थी जिनमें ग्राम पंचायत स्तर के मूल अभिलेख की तुलना में ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में आयु कम दर्शाई गई थी।
  - शेष में से 482 मामलों में ग्राम पंचायत स्तर के मूल अभिलेख की तुलना में ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में आयु अधिक दर्शाए जाने का भिन्नता<sup>12</sup> था।

<sup>9</sup> किन्नौर: 40 / 240; मंडी: 39 / 469; शिमला: 43 / 200; व सोलन: 82 / 266

<sup>10</sup> किन्नौर: 135; मंडी: 343; शिमला: 159; व सोलन: 139

<sup>11</sup> किन्नौर: 38; मंडी: 153; शिमला: 52; व सोलन: 51

<sup>12</sup> किन्नौर: 97; मंडी: 190; शिमला: 107; व सोलन: 88

ई-कल्याण के डेटाबेस तथा ग्राम पंचायत स्तर के रिकॉर्ड के अनुसार लाभार्थी डेटा/आयु में भिन्नता, विभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की संवीक्षा में कमी व सत्यापन के अभाव का परिचायक है।

### iii. ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट किए गए डेटा में विसंगतियां

लेखापरीक्षा में 173 आवेदन पत्रों (यादृच्छिक रूप से चयनित<sup>13</sup>) में दी गई जानकारी के साथ ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में दर्ज डेटा की तुलना की गई। 129 मामलों (75 प्रतिशत) में विसंगतियां पाई गईं, जैसा कि नीचे विवर्णित है:


- 22 मामलों में लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत खाता संख्या ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में दर्ज डेटा से मेल नहीं खाती थी।
- 19 मामलों में आवेदन पत्र द्वारा आपूरित जानकारी एवं ई-कल्याण में दर्ज डेटा के अनुसार जन्म तिथि में अंतर पाया गया।
- 88 मामलों में आवेदन पत्र के अनुसार दी गई आवेदक के बच्चों की संख्या से सम्बंधित जानकारी ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में गलत भरी गई थी।

यह ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में गलत डेटा प्रविष्टि का परिचायक है तथा इसलिए डेटा विश्वसनीय नहीं हो सकता।

अंतिम बैठक में विभाग ने बताया कि वे उन अधिकारियों की तैनाती करेंगे जिनका कार्य आवेदन पत्रों में संलग्न दस्तावेजों को अपलोड करगा होगा एवं ऑनलाइन पद्धति से आवेदन पत्र भरने के लिए लाभार्थियों को इंटरफ़ेस उपलब्ध करने की संभावना खोजी जाएगी।

## 5.2.2 आवेदन प्रक्रिया एवं अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमावली, 2010 के परिच्छेद 8(4) में निर्धारित है कि यह सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित आवेदन को एक माह के भीतर सत्यापित कर इसे सत्यापन रिपोर्ट के साथ जिला कल्याण अधिकारी को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 8(6) में निर्धारित है कि सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारी प्राप्ति की तिथि के क्रमानुसार प्राप्त आवेदनों का श्रेणीवार (वृद्धावस्था, विधवा/एकल नारी, दिव्यांग, आदि हेतु) रजिस्टर तैयार करेंगे। लाभार्थी एवं संबंधित ग्राम पंचायत को पेंशन अनुमोदन/स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति आदेश के रूप में सूचना जाए। संबंधित ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक रूप से लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करना आवश्यक है। सत्यापन प्रक्रिया नीचे दर्शाई गई है:



राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 15 दिन की समय सीमा

चयनित तहसील कल्याण अधिकारियों/जिला कल्याण अधिकारियों के हस्तलिखित अभिलेखों की संवीक्षा एवं सम्पूर्ण राज्य हेतु डेटा डंप के विश्लेषण दर्शाता है कि:

<sup>13</sup> विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा बेतरतीब ढंग से अभिलेख का अनुरक्षण करने के कारण

- तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रिया-
  - आवेदकों की श्रेणी-वार जानकारी वाले रजिस्टर का नियमों के तहत उपलब्ध कराए गए प्रारूप में अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है। नमूना-जांचित तहसील कल्याण अधिकारियों में आवेदन प्राप्त होने की तिथि, आवेदक का नाम व जन्म तिथि, ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं का नाम, संकल्प संख्या/तिथि, जिला कल्याण अधिकारी को आवेदन अग्रेषित करने की तिथि एवं पेंशन के अनुमोदन के विषय में ग्राम पंचायतों को सूचित करने की तिथि बड़े अनुपात में दर्ज नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा इन मामलों में संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा आवेदनों के सत्यापन हेतु लिए गए समय का पता नहीं लगा सका।
  - 11 में से छः तहसील कल्याण अधिकारियों में अप्रैल 2014 व जून 2020 के दौरान डिस्पैच रजिस्टर से प्राप्त 837 आवेदनों की प्राप्ति के विवरणों की, जहां तहसील कल्याण अधिकारियों के सत्यापन के पश्चात् जिला कल्याण अधिकारियों को आवेदनों की प्राप्ति व डिस्पैच के विवरण उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा द्वारा यादृच्छिक रूप से नमूना-जांच की गई तथा पाया गया कि 126 आवेदनों<sup>14</sup> (15 प्रतिशत) के प्रसंस्करण करने में विलम्ब (एक माह से अधिक) हुआ, जो 34 दिनों से एक वर्ष से अधिक के मध्य था।
  - डेटा डंप के विश्लेषण में पाया गया कि राज्य पेंशन योजनाओं के अधीन 371723 मामलों में से 161397 मामले<sup>15</sup> एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम) के अधीन 83343 मामलों में से 38726 मामले<sup>16</sup> क्रमशः एक माह एवं दो हफ्तों (आवेदन तिथि एवं ई-कल्याण में प्रविष्टि तिथि के मध्य का अंतराल) की निर्धारित समयावधि में सत्यापित नहीं किए गए थे।
- जिला कल्याण अधिकारी द्वारा की गई प्रक्रिया/अनुमोदन -
  - नियमों में तहसील कल्याण अधिकारियों से प्राप्ति होने के उपरांत जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा पेंशन मामलों के अनुमोदन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
  - डेटा डंप के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के अधीन 83343 मामलों में से 33532 मामलों<sup>17</sup> में एवं राज्य योजनाओं के अधीन 371723 मामलों में से 146075 मामलों<sup>18</sup> में जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्ति के पश्चात् मामलों के अनुमोदन में लिया गया समय (प्रविष्टि की तिथि व अनुमोदन तिथि के मध्य का अंतराल) एक माह से अधिक पाया गया।

<sup>14</sup> भावानगर स्थित निचार: 39/280 व सुंदरनगर: 87/557

<sup>15</sup> बिलासपुर: 3897; चंबा: 6409; हमीरपुर: 9950; कांगड़ा: 20679; किन्नौर: 2596; कुल्लू: 21683; लाहौल-स्पीति: 911; मंडी: 23945; शिमला: 28800; सिरमौर: 10595; सोलन: 17131; एवं ऊना: 14801

<sup>16</sup> बिलासपुर: 1159; चंबा: 5222; हमीरपुर: 4232; कांगड़ा: 4165; किन्नौर: 320; कुल्लू: 1628; लाहौल-स्पीति: 170; मंडी: 2629; शिमला: 9657; सिरमौर: 2582; सोलन: 3213; एवं ऊना: 3749

<sup>17</sup> बिलासपुर: 2250; चंबा: 4007; हमीरपुर: 1428; कांगड़ा: 11578; किन्नौर: 106; कुल्लू: 644; लाहौल-स्पीति: 13; मंडी: 3502; शिमला: 3654; सिरमौर: 1049; सोलन: 2495; एवं ऊना: 2806

<sup>18</sup> बिलासपुर: 18476; चंबा: 8226; हमीरपुर: 3857; कांगड़ा: 39109; किन्नौर: 1568; कुल्लू: 9734; लाहौल-स्पीति: 155; मंडी: 26703; शिमला: 12301; सिरमौर: 9941; सोलन: 6156; एवं ऊना: 9849

- यह भी पाया गया कि नमूना-जांचित किसी भी जिला कल्याण अधिकारी ने लाभार्थियों के अनुमोदन/अस्वीकृति को लाभार्थी अथवा सम्बंधित ग्राम पंचायत को किसी भी रूप में नहीं बताया। विभाग से किसी भी प्रकार की संसूचना के अभाव में लाभार्थी उनके आवेदन की स्थिति से अवगत नहीं थे तथा ग्राम पंचायतें अनुमोदन प्राप्त लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक नहीं कर पा रही थीं।

यह विभागीय प्राधिकारियों द्वारा नियमों की अनुपालना न करने को दर्शाता है जो अभीष्ट लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अनुमोदन में विलम्ब के रूप में परिणत हुआ। लाभार्थी आवेदन स्थिति की संसूचना में पारदर्शिता का अभाव पाया गया।

*सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने लिपिक संवर्ग के कर्मियों की कमी को आवेदन प्रक्रिया में विलम्ब का कारण बताया जबकि नमूना-जांचित पंचायत सचिवों ने पुष्टि की कि विभाग ने लाभार्थियों के आवेदनों की अस्वीकृति या अनुमोदन के सम्बन्ध में सूचना साझा नहीं की थी।*

अंतिम बैठक में विभाग ने बताया कि मामलों की जांच की जाएंगी तथा विभाग पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा की पहल भी करेगा।

### 5.3 लाभार्थियों का चयन

ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं द्वारा लाभार्थियों की पहचान ग्राम/वार्ड सभा की बैठकों में की जाती हैं एवं संभावित लाभार्थियों के आवेदन आगामी कार्यवाही हेतु विभाग को प्रेषित किए जाते हैं। तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय निकाय के अभिलेख (परिवार रजिस्टर की प्रति, आदि) से आयु का सत्यापन करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में नमूना-जांचित 11 तहसील कल्याण अधिकारियों के अधीन 59 ग्राम पंचायतों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों से सम्बंधित अभिलेख अर्थात् परिवार रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर इत्यादि की नमूना-जांच की गई तथा ग्राम पंचायत स्तर के मूल रिकॉर्ड की ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में दर्ज प्रविष्टि से तुलना की गई। इसके साथ-साथ डेटा डंप का विश्लेषण किया गया था एवं वेब-आधारित ई-कल्याण पर प्रश्न चलाए गए ताकि पता लगाया जा सके कि लाभार्थियों का चयन पात्रता मानदंड के अनुसार किया गया है। यह पाया गया कि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में योजना से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों के संबंध में सत्यापन नियंत्रण मौजूद नहीं थे। इस सम्बन्ध में योजना-वार लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण अनुवर्ती परिच्छेदों में दिया गया है।

#### 5.3.1 वृद्धावस्था पेंशन एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं

*न्यूनायु लाभार्थियों का चयन:* हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमावली, 2010 एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन एवं इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सहायता अनुमत है।

डेटा के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- दिसम्बर 2020 तक इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत कुल 0.98 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से 210 लाभार्थी<sup>19</sup> 60 वर्ष से कम आयु के थे।
- दिसम्बर 2020 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 2.63 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से 365 लाभार्थी<sup>20</sup> 60 वर्ष से कम आयु के थे।

नमूना-जांचित चार जिलों के संदर्भ में वेब-आधारित ई-कल्याण पर चलाए गए प्रश्नों से उजागर हुआ कि-

- मार्च 2021 तक नमूना-जांचित दो जिलों में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 117 लाभार्थी (मंडी: 88 व शिमला: 29) 60 वर्ष से कम आयु के थे जो योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।
- मार्च 2021 तक नमूना-जांचित दो जिलों में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 90,467 लाभार्थियों में से 298 लाभार्थी (मंडी: 283 व शिमला: 15) 60 वर्ष से कम आयु के थे जो हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के विरुद्ध था।

उपरोक्त परिचायक है कि वेब-आधारित सॉफ्टवेयर भी मौजूदा अनियमितताओं को हटाने हेतु डिज़ाइन नहीं किया गया है तथा अपात्र लाभार्थी योजना के दिशानिर्देशों/नियमों का उल्लंघन करते हुए लगातार पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

इस संदर्भ में चयनित 59 ग्राम पंचायतों में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं से सम्बंधित 7996 लाभार्थियों के अभिलेखों की हस्तचालित जांच से पता चला कि चयनित ग्राम पंचायतों में उपरोक्त उल्लिखित लाभार्थियों<sup>21</sup> में से छः मूल रिकॉर्ड के अनुसार 60 वर्ष से कम उम्र के थे हालांकि इसे ई-कल्याण में 60 वर्ष से अधिक दर्शाया गया था। यह आवेदनों की हस्तचालित संवीक्षा में कमी का परिचायक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, हस्तचालित जांच से आगे उजागर हुआ कि मार्च 2021 तक ग्राम पंचायत स्तर के मूल रिकॉर्ड के अनुसार 57 अन्य लाभार्थी 60 वर्ष से कम थे; यद्यपि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। यह इंगित करता है कि या तो डेटा प्रविष्टि के समय हस्तलिखित त्रुटि हुई अथवा अपात्र आवेदकों को लाभ प्रदान करने के लिए ई-कल्याण में जानबूझ कर गलत प्रविष्टि की गई। इस प्रकार डेटा की शुद्धता (सत्य) नहीं पाई गई तथा इस डेटा के आधार पर लाभार्थियों के चयन से पेंशन की अनियमित स्वीकृति हो सकती है।

<sup>19</sup> बिलासपुर: 02; चंबा: 08; हमीरपुर: 16; कांगड़ा: 37; कुल्लू: 14; मंडी: 92; शिमला: 30; सिरमौर: 09; एवं ऊना: 02

<sup>20</sup> बिलासपुर: 06; चंबा: 02; हमीरपुर: 22; कांगड़ा: 15; कुल्लू: 07; मंडी: 289; शिमला: 15; सिरमौर: 02; सोलन: 01; एवं ऊना: 06

<sup>21</sup> केवल छः लाभार्थी डेटा डंप विश्लेषण के साथ ओवरलैप कर रहे थे। यह नमूना आकार को कम करने के कारण है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पूरे राज्य की तुलना में केवल 59 ग्राम पंचायतों में रिकॉर्ड की जांच की थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने ई-कल्याण व ग्राम पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार डेटा भिन्नता भी देखी थी जैसा कि परिच्छेद 5.2.1 (ii) में भी चर्चा की गई है

यह पाया गया कि उपरोक्त उल्लिखित 63 लाभार्थियों को छः माह से 11 वर्षों की अवधि तक पेंशन का भुगतान किया गया था। मार्च 2021 तक ₹ 55.21 लाख<sup>22</sup> का अतिरिक्त भुगतान इन लाभार्थियों को किया गया।

मंडी जिले में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु का लाभार्थी उसकी जन्म तिथि की गलत प्रविष्टि (1991 के बजाय 1930) के कारण चुना गया। नवम्बर 2020 में स्वयं लाभार्थी द्वारा पेंशन को हटाए जाने का निवेदन किया गया जो जनवरी 2021 को प्रभावी हुआ जो विभाग की ओर से जाँच एवं निगरानी में कमी को इंगित करता है। दिसम्बर 2020 तक लाभार्थी को ₹ 1.08 लाख राशि की पेंशन का भुगतान किया गया था।

*सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की कमी एवं पंचायत अभिलेखों के स्वतः सत्यापन की अनुपलब्धता के कारण ये मामले हुए होंगे, हालांकि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए अधिक गंभीर प्रयास किए जा रहे थे। परिवार रजिस्टर की प्रति के अभाव में संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार जन्म तिथि से संबंधित विवरण दर्ज किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि सभी संहितागत औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं इसके सत्यापन का दायित्व विभागीय अधिकारियों पर है। जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों ने पंचायत अभिलेखों के अनुसार आवेदकों की पात्रता की जांच नहीं की जो अपात्र लाभार्थियों के चयन के रूप में परिणत हुई।*

अंतिम बैठक में विभाग ने बताया कि यह अनुमोदन के समय आयु के डेटा की गलत प्रविष्टि के कारण हो सकता है, जिसे बाद में ठीक किया जाएगा।

### 5.3.2 विधवा/परित्यक्ता/एकल पेंशन एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाएं

**न्यूनायु लाभार्थियों को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश में 40 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन अनुमत हैं।

डाटा डंप की संवीक्षा में मंडी जिले में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनायु लाभार्थियों के चयन के सात मामले (राज्य में 23294 सक्रिय लाभार्थियों में से) उजागर हुए। इन सात लाभार्थियों को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में भी लिया गया था, जो इंगित करता है कि लेखापरीक्षा की तिथि तक अपात्र लाभार्थियों को लाभ अभी भी दिए जा रहे थे।

**पुरुष लाभार्थियों को विधवा पेंशन:** हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 के परिच्छेद 4(3) के अनुसार विधवा पेंशन केवल महिला लाभार्थियों को ही अनुमत है।

डाटा डंप की संवीक्षा में राज्य के 92252 सक्रिय लाभार्थियों में से आठ ऐसे मामले (मंडी: 06 एवं शिमला: 02) उजागर हुए, जहां विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों का चयन किया गया। इनमें से नमूना-जांचित चार जिलों में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत

<sup>22</sup> किन्नौर: ₹ 3.32 लाख (06); मंडी: ₹ 19.10 लाख (21); शिमला: ₹ 30.51 लाख (30); व सोलन: ₹ 2.28 लाख (06)

वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर में भी चार लाभार्थियों को लिया गया था, जो दर्शाता है कि लेखापरीक्षा की तिथि तक अपात्र लाभार्थियों को अभी भी लाभ दिया जा रहा था।

**अपात्र एकल नारी लाभार्थी:** हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 के अनुसार एकल नारी (एकल महिला) श्रेणी के अंतर्गत महिला लाभार्थी की आयु 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

डेटा डंप के विश्लेषण से नौ जिलों में 48 मामले<sup>23</sup> (राज्य में 1489 सक्रिय एकल नारियों में से) उजागर हुए, जहां 45 वर्ष से कम उम्र की एकल नारियों का चयन किया गया था।

इन 48 लाभार्थियों में से नमूना-जांचित जिलों में 30 (मंडी: 21, शिमला: 08 व सोलन: 01) को वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर में भी एकल नारी के रूप में दर्ज किया गया था, जो दर्शाता है कि लेखापरीक्षा की तिथि तक भी अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिए जा रहे थे। अप्रैल 2009 से मार्च 2021 के मध्य तक इन लाभार्थियों को ₹ 19.83 लाख (मंडी: ₹ 15.55 लाख, शिमला: ₹ 3.94 लाख व सोलन: ₹ 0.34 लाख) की राशि का भुगतान किया गया।

उपरोक्त मामलों का भौतिक रिकॉर्ड (आवेदन) संबंधित विभागीय अधिकारियों से सिस्टम में फीड किए गए डेटा के साथ जांच हेतु (जनवरी 2022) मांगा गया था तथापि अप्रैल 2022 तक इसकी आपूर्ति नहीं की गई।

*अंतिम बैठक में विभाग ने अपात्र लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।*

### 5.3.3 दिव्यांग राहत भत्ता एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजनाएं

**दिव्यांग राहत भत्ता:** हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमावली, 2010 के परिच्छेद 4 (2) के अनुसार 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों हेतु दिव्यांग राहत भत्ता अनुमत है।

- डेटा डंप के विश्लेषण से उजागर हुआ कि राज्य में दिव्यांगता राहत भत्ता के अंतर्गत 60379 सक्रिय लाभार्थियों में से 21 उन लाभार्थियों (चंबा: 12; कांगड़ा: 01; मंडी: 05; व ऊना: 03) का चयन किया गया, जिनका दिव्यांगता प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम था तथा यह योजना के दिशानिर्देशों के विरुद्ध था।
  - मंडी जिले में उपरोक्त में से 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले पांच लाभार्थियों को भी दिव्यांग राहत भत्ता योजना के अंतर्गत वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर में लिया गया था, जो इंगित करता है कि लेखापरीक्षा की तारीख तक अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिए जा रहे थे।

**इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना :** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु एवं 80 प्रतिशत से अधिक की दिव्यांगता के लाभार्थियों हेतु सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान करते हैं।

<sup>23</sup> बिलासपुर: 01; हमीरपुर: 01; कांगड़ा: 17; कुल्लू: 02; मंडी: 21; शिमला: 02; सिरमौर: 01; सोलन: 02; व ऊना: 01

- डेटा डंप के विश्लेषण में राज्य में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 1018 सक्रिय लाभार्थियों में से पांच मामले (कांगड़ा: 02 व मंडी: 03) उजागर हुए, जहाँ दिव्यांगता 80 प्रतिशत से कम थी।
  - मंडी जिले में उपरोक्त में से 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले चार लाभार्थियों को भी दिव्यांग राहत भत्ता योजना के अंतर्गत वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में लिया गया था, जो इंगित करता है कि लेखापरीक्षा की तारीख तक अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिए जा रहे थे।
- डेटा डंप विश्लेषण से उजागर हुआ कि राज्य के 18 वर्ष से कम आयु के 1018 सक्रिय लाभार्थियों में से मंडी जिले के एक लाभार्थी का चयन किया गया।
  - लाभार्थी को दिव्यांग राहत भत्ता योजना के अंतर्गत वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में भी लिया गया था, जो इंगित करता है कि लेखापरीक्षा की तारीख तक अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिए जा रहे थे।

दिशा-निर्देशों एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए अपात्र लाभार्थियों के चयन के उपरोक्त मामले विभागीय प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा की कमी तथा दिशा-निर्देशों/नियमों के अनुसार ई-कल्याण साफ्टवेयर डिजाइन न करने का परिचायक है। इसके अतिरिक्त वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर भी सत्यापन जांच के अभाव में अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने में विफल रहा जो वेब-आधारित सॉफ्टवेयर चलायमान करने से पहले उपयोगकर्ता परीक्षण में चूक होने का संकेत देता है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने बताया कि सॉफ्टवेयर में फीडिंग केवल तीन श्रेणियों अर्थात् वृद्धावस्था, विधवा/एकल/परित्यक्ता एवं प्रवेश के समय दिव्यांगता हेतु की जाती है। तत्पश्चात योजना विशेष के अंतर्गत पेंशन की स्वीकृति स्वतः हो जाती है। उत्तर इस तथ्य के परिचायक हैं कि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर का डिजाइन दिशा-निर्देशों/नियमों के अनुरूप नहीं है।

अंतिम बैठक में विभाग ने अपात्र लाभार्थियों को पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली करने का आश्वासन दिया।

#### 5.3.4 योजना के दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में अपर्याप्त सत्यापन नियंत्रण

यह देखा गया कि लाभार्थियों की आयु पात्रता, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं में केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों का ही चुनाव जैसे सत्यापन नियंत्रण विद्यमान नहीं थे, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

**(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन नहीं करने वालों का चुनाव:** जब आवेदनों को प्रतीक्षा-सूची से ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में सक्रिय पेंशनभोगी सूची में स्थानांतरित किया जाता है, तब स्लॉट की रिक्तता के आधार पर सॉफ्टवेयर ई-कल्याण सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से संबंधित श्रेणी की या तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अथवा राज्य योजना के अंतर्गत उनका आवंटन करता है। हालांकि, इस तरह के आवंटन के दौरान ई-कल्याण सिस्टम यह सत्यापित नहीं करती है कि आवेदक संबंधित योजना के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं।

गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों का चयन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। डेटा डंप के विश्लेषण से उजागर हुआ कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के अंतर्गत 1.22 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से गरीबी रेखा के नीचे न आने वाले 28,419 लाभार्थियों<sup>24</sup> के चयन किया गया। वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर में नमूना-जांचित चार जिलों में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 32298 में से 9575 लाभार्थी<sup>25</sup> (30 प्रतिशत) गरीबी रेखा श्रेणी के नहीं थे।

यह इंगित करता है कि ई-कल्याण साफ्टवेयर को पात्रता के अनुसार आवेदकों का वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था तथा जांच करने में विभागीय प्राधिकारियों की ओर से कमी थी।

सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों ने बताया कि अपात्र लाभार्थियों का चयन संबंधित ग्राम पंचायतों की लापरवाही के कारण हुआ था। ई-कल्याण में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अथवा राज्य योजनाओं के अंतर्गत चयन स्वचालित रूप से विभागीय अधिकारियों द्वारा केवल तीन श्रेणियों (वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग) में दर्ज किए गए डेटा के आधार पर किया गया था। उत्तर विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निगरानी एवं समन्वय की कमी तथा ई-कल्याण साफ्टवेयर की डिज़ाइन विद्यमान नियमों के अनुसार न होने का परिचायक हैं।

**(ख) अपात्र लाभार्थियों को शामिल करना:** राज्य सरकार की अधिसूचना (अप्रैल 2014) के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी (70 वर्ष व उससे अधिक या दिव्यांग 70 प्रतिशत व उससे अधिक को छोड़कर) की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष (मनरेगा<sup>26</sup> के तहत आय को छोड़कर) ₹ 35000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

डेटा डंप के विश्लेषण में 12 में से नौ जिलों में 1286 मामले<sup>27</sup> उजागर हुए जहां लाभार्थी (70 वर्ष से कम एवं 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता) की पारिवारिक आय ₹ 35000 प्रति वर्ष से अधिक थी। यह इंगित करता है कि अपात्र लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति दी गई।

## 5.4 पेंशन संवितरण

लाभार्थियों की पेंशन डाक/बैंक खातों में जमा होती हैं। विभाग ने डाक प्राधिकरण के साथ समझौता-ज्ञापन (जून 2017) निम्नलिखित के लिए किया :

- लाभार्थियों के खातों में पेंशन का सहज संवितरण,
- 80 वर्ष एवं 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग लाभार्थियों को घर पर पेंशन वितरण,
- मृत्यु/पुनर्विवाह आदि के कारण लाभार्थियों के अपात्र होने की सूचना,
- पेंशन संवितरण हेतु डाक प्राधिकरण को 1.5 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार का भुगतान।

बैंक प्रणाली के साथ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

<sup>24</sup> बिलासपुर: 1795; चंबा: 1011; हमीरपुर: 1925; कांगड़ा: 8959; किन्नौर: 166; कुल्लू: 1493; लाहौल-स्पीती: 44; मंडी: 2932; शिमला: 5940; सिरमौर: 1345; सोलन: 912; व ऊना: 1897

<sup>25</sup> किन्नौर: 149, मंडी: 2854, शिमला: 5683, व सोलन: 889

<sup>26</sup> महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005।

<sup>27</sup> बिलासपुर: 40; चंबा: 39; हमीरपुर: 24; किन्नौर: 84; कुल्लू: 35; मंडी: 120; शिमला: 07; सिरमौर: 934; एवं सोलन: 03

जनवरी 2018 से मार्च 2021 के दौरान ₹ 1894.29 करोड़ राशि डाक विभाग द्वारा एवं ₹ 423.04 करोड़ बैंकों के माध्यम से संवितरित की गई। पेंशन संवितरण से सम्बंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे विवर्णित हैं :

#### 5.4.1 (i) ₹ 47.24 लाख के पेंशन संवितरण की पुनरावृत्ति

आधार लिंकिंग न किए जाने एवं अन्य सत्यापन जांचों के अभाव में लेखापरीक्षा में लाभार्थियों की पुनरावृत्ति देखने के लिए वेब-आधारित ई-कल्याण में बैंक/डाक खाता संख्या का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण में नमूना-जांचित चार जिलों में चयनित पेंशन योजनाओं के 206115 लाभार्थियों में से 124 लाभार्थी के साथ जुड़ी बैंक/डाक खाता संख्या की पुनरावृत्ति के 248 मामले (मंडी: 178, शिमला: 56 व सोलन: 14) उजागर हुए।

इन 248 मामलों के विस्तृत विश्लेषण निम्नवत<sup>28</sup> उजागर हुआ:

- 118 मामलों (मंडी: 84, शिमला: 24 व सोलन: 10) में एक ही/समान नाम एवं विवरणों की पुनरावृत्ति पाई गई; जहां 59 बचत खातों (दो मामलों में प्रत्येक में एक ही खाता संख्या) में पेंशन का संवितरण किया गया था। अतिव्यापी<sup>29</sup> अवधि के दौरान इन लाभार्थियों को पात्र राशि के अतिरिक्त ₹ 14.59 लाख (मंडी: ₹ 13.31 लाख, शिमला: ₹ 0.90 लाख व सोलन: ₹ 0.38 लाख) की राशि का भुगतान किया गया, जिसमें उनके खातों में दोहरी पेंशन जमा की गई (जुलाई 2016 से मार्च 2021)।
- 130 मामलों (मंडी: 94, शिमला: 32 व सोलन: 04) में विवरण अलग परन्तु एक ही बचत खाता संख्या पाई गई। 65 बचत खातों (प्रत्येक दो मामलों में एक ही खाता संख्या) में पेंशन का संवितरण किया गया। इस प्रकार एक व्यक्ति को दोबारा लाभ का भुगतान एवं अन्य को कोई लाभ नहीं दिया गया। इन लाभार्थियों को अतिव्यापी अवधि के दौरान ₹ 32.65 लाख (मंडी: ₹ 27.63 लाख, शिमला: ₹ 4.82 लाख व सोलन: ₹ 0.20 लाख) का अधिक भुगतान किया गया था, जिसमें उनके खातों में दोहरी पेंशन जमा की गई थी (जुलाई 2009 से मार्च 2021)।

बैंक/डाकघर बचत खाता संख्या की पुनरावृत्ति के उपरोक्त मामले विभागीय प्राधिकारियों द्वारा आवेदनों की संवीक्षा में कमी, ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में स्वचालित जांच की कमी तथा संबंधित डाक प्राधिकरण एवं ग्राम पंचायत के मध्य विभाग समन्वय की कमी को इंगित करते थे।

उपरोक्त मामले वे हैं जहां एक ही बचत खाता संख्या का उपयोग किया गया था। लाभार्थियों की पहचान हेतु किसी विशिष्ट संख्या के अभाव में (परिच्छेद 5.1) अलग-अलग बचत खाता संख्या वाले लाभार्थियों की पुनरावृत्ति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

<sup>28</sup> वेब-आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर से निकाले गए लाभार्थी विवरण के अनुसार अतिरिक्त भुगतान की गणना हेतु बाद में खाता संख्या से जोड़े गए/लिंक किए गए लाभार्थी को किए गए भुगतान की गणना अतिव्यापी अवधि के लिए की गई थी

<sup>29</sup> यदि एक व्यक्ति को 2010 से पेंशन मिल रही है तथा दूसरे को 2015 से उसी खाते में पेंशन मिल रही है, तो अतिव्यापी अवधि 2015 से 2020 तक है, जिसके लिए इस अवधि के दौरान कम लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए ही राशि की गणना की गई है

उपर्युक्त विसंगतियों से बचा जा सकता था यदि आधार संख्या का उपयोग लाभार्थियों की विशिष्ट पहचान के लिए किया गया होता।

जिला कल्याण अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में सत्यापन जांच के अभाव, कर्मचारियों की कमी तथा मामलों की बड़ी संख्या के कारण विभाग द्वारा संवीक्षा किए जाने के बावजूद इन मामलों का पता नहीं चल पाया। आगे यह बताया गया कि इन मामलों की जांच की जाएगी एवं दोहरे भुगतान की वसूली कर वास्तविक लाभार्थियों के पास जमा की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि विभागीय प्राधिकारी भुगतान पुनरावृत्ति के मामलों का पता लगाने में विफल रहे तथा ई-कल्याण सॉफ्टवेयर को पुनरावृत्ति के मामलों का पता लगाने एवं उन्हें हटाने हेतु डिज़ाइन नहीं किया गया था।

अंतिम बैठक में विभाग ने लाभार्थियों को भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली करने का आश्वासन दिया।

#### 5.4.1 (ii) एक ही बचत खाते में कई लाभार्थियों को पेंशन का संवितरण

समझौता-ज्ञापन के परिच्छेद बी(ए)(i) के अनुसार विभाग से लाभार्थी विवरण प्राप्त होने पर डाक विभाग प्रत्येक लाभार्थी के सन्दर्भ में बचत बैंक खाता खोलेगा।

यद्यपि वेब-आधारित ई-कल्याण में यह पाया गया कि 118 मामलों (मंडी: 88, शिमला: 12 व सोलन: 18) में पति-पत्नी या पिता-पुत्र को एक ही बचत खाते में पेंशन का संवितरित किया गया। 59 बचत खातों (दो मामलों में एक ही खाता संख्या) में पेंशन का वितरण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त अन्य लाभार्थी द्वारा धन का आहरण जारी रखने से दो में से किसी एक के अपात्र होने के विषय में डाक प्राधिकारी विभाग को सूचित करने की स्थिति में नहीं हो सकते। साथ ही समझौता-ज्ञापन के उक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक लाभार्थी हेतु बचत खाता खोलने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में डाक एवं विभागीय प्राधिकरण विफल रहे।

#### 5.4.2 पात्र लाभार्थियों को द्वार पर लाभ का वितरण न करना

पात्र लाभार्थियों को द्वार पर वितरण के लिए डाक विभाग को द्वार पर भुगतान करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी थीं। नमूना-जांचित जिलों में 54430 लाभार्थी<sup>30</sup> पेंशन लाभ के द्वार पर वितरण के पात्र थे।

चयनित जिला कल्याण अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि-

- जिन लाभार्थियों को द्वार पर पेंशन दी गई थी, उन की संख्या से सम्बंधित विवरण डाक प्राधिकरणों द्वारा विभाग के साथ साझा नहीं किया गया था, जिसके अभाव में विभाग द्वारा द्वार पर किए गए संवितरण का पता नहीं लगाया जा सका।
- लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण में द्वार पर वितरण हेतु पात्र 137 लाभार्थियों में से 112 (82 प्रतिशत) ने बताया कि उन्हें द्वार पर पेंशन नहीं मिल रही थी।
- जिला कल्याण अधिकारी स्तर के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि द्वार पर पेंशन नहीं मिलने के संबंध में लाभार्थियों के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे।

<sup>30</sup> किन्नौर: 1803; मंडी: 28965; शिमला: 16464; व सोलन: 7198

उपरोक्त बिंदुओं ने इंगित किया कि डाक प्राधिकारियों द्वारा 80 वर्ष व उससे अधिक आयु एवं 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को द्वार पर पेंशन का सभी पात्र लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया जा रहा था। आगे यह देखा गया कि विभाग ने इस संबंध में समझौता-ज्ञापन के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु डाक प्राधिकरण के साथ कोई पत्राचार नहीं किया।

संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया (मई 2021) कि डाक प्राधिकरण से समय-समय पर अनुरोध किया गया था कि वे अभीष्ट लाभार्थियों की द्वार पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करें तथा विभाग को ऐसे विवरण आपूरित करें। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान न तो पत्राचार का कोई अभिलेख देखा गया था, न ही जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा तर्क को प्रमाणित करने के लिए इसे प्रस्तुत किया गया था।

अंतिम बैठक में बताया गया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

### 5.4.3 पेंशन संवितरण हेतु मनीऑर्डर पद्धति का उपयोग

निदेशालय द्वारा जारी निर्देश (जुलाई 2017) में प्रावधान है कि जिला कल्याण अधिकारी लाभार्थियों के केवल बचत डाक/बैंक खातों में पेंशन जमा करेंगे। इसके अतिरिक्त डाक विभाग के साथ किए गए समझौता-ज्ञापन के अनुसार लाभार्थी डेटा प्राप्त होने पर डाकघर लाभार्थियों को बचत डाक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगा।

डेटा डंप के विश्लेषण से उजागर हुआ कि वर्ष 2018-21 के दौरान मनीऑर्डर (कुल 41.47 लाख के लेनदेन में से) के माध्यम से 17371 लेनदेन<sup>31</sup> किया गया। इस तरह के लेन-देन सबसे अधिक जिला कांगड़ा (7720) में हुए। 2018-20 के दौरान मनीऑर्डर के माध्यम से हुए लेनदेन का आयु-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

| वर्ष                      | 2018  | 2019 | 2020 |
|---------------------------|-------|------|------|
| मनीऑर्डर लेनदेन की संख्या | 14781 | 2144 | 446  |

इस प्रकार एक छोटा प्रतिशत (0.4 प्रतिशत) अभी भी मनीऑर्डर के माध्यम से किया जा रहा था, जिसमें पेंशन संवितरण की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप का जोखिम था। मनीऑर्डर लेनदेन की घटती प्रवृत्ति विभाग द्वारा लाभार्थियों के बचत खातों में पेंशन के संवितरण में सुधार का परिचायक है।

जिला कल्याण अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि जिन लाभार्थियों की बचत खाता संख्या ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं की गई थी, उनकी पेंशन मनीऑर्डर के माध्यम से भेजी गई।

### 5.4.4 पेंशन संवितरण की स्थिति

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित की गई पेंशन राशि एवं संवितरण हेतु व्यक्तियों को भेजी गई पेंशन राशि से सम्बंधित विवरण ई-कल्याण में उपलब्ध है। यद्यपि किसी व्यक्ति को संवितरण हेतु भेजी गई पेंशन की स्थिति व्यक्तिगत पृष्ठताछ पर उपलब्ध है, तथापि वास्तविक संवितरण

<sup>31</sup> बिलासपुर: 91; चंबा: 3264; कांगड़ा: 7720; किन्नौर: 424; कुल्लू: 193; लाहौल-स्पीति: 77; मंडी: 2989; शिमला: 1915; सिरमौर: 526; सोलन: 23; एवं उना: 149

की स्थिति उपलब्ध नहीं है। इस तरह के विवरण दर्ज करने का प्रावधान वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं है। इसका कारण वास्तविक समय संवितरण स्थिति हेतु डाकघर/बैंक मॉड्यूल के साथ ई-कल्याण के एकीकरण का अभाव हो सकता है।

आगे यह भी देखा गया कि डाकघर/बैंक उन पेंशनभोगियों का विवरण साझा करते हैं जिन्हें राशि अंतरित नहीं की जा सकती तथा सफलता पूर्वक हुए लेनदेन का विवरण साझा नहीं किया जा रहा है। लेन-देन की पहचान (आईडी) तथा सफलता पूर्वक हुए लेनदेन हेतु मनीआर्डर की पावती के अभाव में विभाग के पास सफलता पूर्वक हुए भुगतान का आश्वासन उपलब्ध नहीं था। विभाग को सफलता पूर्वक हुए लेनदेन सहित लेनदेन की पहचान के संबंध में भी सूचित करना एवं ऐसे विवरण स्वचालित रूप से ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में डाले जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

## 5.5 विद्यमान लाभार्थियों की पुष्टि

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देशों के परिच्छेद 3.1.2 के अनुसार मौजूदा लाभार्थियों की पुष्टि करने के लिए राज्य विशेष सत्यापन दल<sup>32</sup> गठित करेंगे। हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2010 के परिच्छेद 13 में निर्धारित है कि ग्राम सभा अपात्र लाभार्थियों की पहचान करेगी एवं उनकी सूचना (रिपोर्ट) जिला कल्याण अधिकारियों को देगी जो पेंशन को अस्थायी रूप से रोक देंगे। सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों की स्थिति का एक महीने के भीतर सत्यापन किया जाएगा तथा उस पर जिला कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाना है।

### 5.5.1 अपात्र लाभार्थियों के सत्यापन में विलम्ब

अभिलेखों की संवीक्षा एवं डेटा डंप के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि -

- विभाग ने मौजूदा लाभार्थियों की पुष्टि हेतु कोई विशेष सत्यापन दल गठित नहीं किया। नमूना-जांचित जिलों में मौजूदा लाभार्थियों की पुष्टि संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा की जा रही थी।
- डेटा डंप में 2211 मामले<sup>33</sup> अंतर्विष्ट थे, जहां पेंशन "मृत्यु" होने के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी (हटाए गए कुल 2.24 लाख मामलों में से) परन्तु बाद में यह रद्द कर दी गई (2139 मामले एक वर्ष के भीतर रद्द कर दिए गए एवं 72 मामले एक वर्ष से अधिक के बाद रद्द कर दिए गए)। इसके परिणामस्वरूप मध्य की अवधि में लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली।
- डेटा डंप में 3041 मामले<sup>34</sup> (हटाए गए कुल 2.24 लाख मामलों में से) भी अंतर्विष्ट थे, जहां 'जांच के अधीन' कारण से पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। इन मामलों में से :
  - 11 जिलों में 571 केस रद्द कर दिए गए। इनमें से 228 मामले एक साल से अधिक समय के बाद रद्द किए गए।

<sup>32</sup> विभाग के अधिकृत अधिकारी, स्थानीय रूप से सक्रिय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि आदि।

<sup>33</sup> बिलासपुर: 56; चंबा: 260; हमीरपुर: 178; कांगड़ा: 100; किन्नौर: 05; कुल्लू: 49; लाहौल-स्पीति: 18; मंडी: 716; शिमला: 265; सिरमौर: 246; सोलन: 31; एवं ऊना: 287

<sup>34</sup> बिलासपुर: 18; चंबा: 13; हमीरपुर: 114; कांगड़ा: 593; किन्नौर: 08; लाहौल-स्पीति: 48; मंडी: 445; शिमला: 1245; सिरमौर: 504; एवं ऊना: 53

- 2470 मामलों में रद्द किए जाने की अवधि/वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया जो इंगित करता है कि या तो ये मामले सत्यापन हेतु लंबित थे या सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियां अपडेट नहीं की गई थीं।

उपरोक्त निष्कर्षों इंगित करते हैं कि तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी हटाए जाने वाले मामलों के सत्यापन में अत्यधिक समय ले रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप न केवल वास्तविक लाभार्थी लाभ से वंचित रहे अपितु प्रतीक्षा सूची में अन्य संभावित लाभार्थियों को लाभों की स्वीकृति में भी विलम्ब हुआ।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थियों का सत्यापन संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की सहायता से किया गया था। तथापि तथ्य यह है कि पुष्टि दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं की गई एवं लाभार्थियों की पुष्टि में विलम्ब हुआ था जिसके परिणामस्वरूप पात्र लाभार्थी लंबे समय तक हटाए गए।

### 5.5.2 मृत लाभार्थियों को पेंशन संवितरण के परिणामस्वरूप ₹ 60.73 लाख का अनियमित भुगतान

लेखापरीक्षा में ई-कल्याण सॉफ्टवेयर पर सक्रिय लाभार्थियों की सूची के साथ संबंधित ग्राम पंचायतों में मृत्यु के मामलों के अभिलेखों की तुलना की गई। लेखापरीक्षा में नमूना-जांचित 59 ग्राम पंचायतों में चयनित पेंशन योजनाओं से संबंधित 9196 लाभार्थियों में से 255 मामले पाए गए, जहां लाभार्थी की मृत्यु हुए तीन माह से पांच वर्ष हो गए थे। तथापि इन मृत लाभार्थियों के खातों में पेंशन राशि का भुगतान जारी रहा - मृत्यु होने के बाद मार्च 2021 तक की अवधि तक इन मृत लाभार्थियों को ₹ 60.73 लाख<sup>35</sup> की राशि का भुगतान किया गया। यह विभागीय प्राधिकारियों द्वारा समन्वय एवं सत्यापन की कमी को इंगित करता है।

संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने के प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त समझौता-ज्ञापन के अनुसार डाक अधिकारियों को लाभार्थियों की अपात्रता के बारे में सूचना देना अपेक्षित था तथा मामला उनके साथ उठाया गया था। तथापि यह तथ्य शेष है कि मृत लाभार्थियों के खातों में भुगतान के मामले परिचायक हैं कि सत्यापन/पुष्टिकरण तंत्र उचित ढंग से काम नहीं कर रहा था।

### 5.5.3 पुनर्विवाह, रोजगार एवं जीवन-प्रमाणपत्र के संबंध में जानकारी

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा, 2010 के परिच्छेद 15(3) के अनुसार विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी लाभार्थियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 10 अप्रैल से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायतों से पुनर्विवाह न करने के संबंध में प्रमाणपत्र विभाग को प्रस्तुत करना होता है। इसके अतिरिक्त समझौता-ज्ञापन के अनुसार डाक विभाग भी विधवा के पुनर्विवाह एवं लाभार्थियों के जीवन-प्रमाणपत्र के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही ग्राम पंचायतों को भी सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों को पेंशनभोगी की मृत्यु या लाभार्थी के अपात्र होने के संबंध में नियमानुसार तत्काल सूचना भेजना अपेक्षित है, ताकि पेंशन को रोका जा सके तथा प्रतिस्थापन किया जा सके। डाक प्राधिकारियों को भी समझौता-ज्ञापन के अनुसार ऐसी सूचना विभाग को तत्काल भेजना अपेक्षित है।

<sup>35</sup> किन्नौर: ₹ 0.70 लाख (06); मंडी: ₹ 21.78 लाख (86); शिमला: ₹ 32.45 लाख (131); व सोलन: ₹ 5.80 लाख (32)

चयनित चार जिला कल्याण अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नवत पाया गया-

- 2017-21 के दौरान संबंधित विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी लाभार्थियों से पुनर्विवाह न होने संबंधी अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए।
- केवल मण्डी जिले में डाक विभाग के माध्यम से जीवन-प्रमाणपत्र प्राप्त किए जा रहे थे यद्यपि नियमित रूप से नहीं। नमूना-जांचित अन्य तीन जिलों में डाक विभाग से लाभार्थियों के जीवन-प्रमाणपत्र से सम्बंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी।
- ग्राम पंचायतों ने भी लाभार्थियों की मृत्यु/अपात्रता के संबंध में अपेक्षित सूचना विभागीय प्राधिकारियों को नहीं भेजी। इसका कारण विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के साथ स्वीकृति आदेश या पेंशनभोगियों की सूची साझा न करना हो सकता है।
- जिला कल्याण अधिकारी, सोलन के अभिलेखों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायतों/डाक प्राधिकारियों द्वारा पात्रता-स्थिति में परिवर्तन की सूचना देने में विलम्ब के कारण 20 पेंशनभोगी, जो नौकरीपेशा थे या अन्य स्रोतों से पेंशन लाभ ले रहे थे, एवं पांच पुनर्विवाहित लाभार्थियों को लाभ से हटाने में, रोजगार या पुनर्विवाह की तारीख से नौ महीने व 13 वर्ष का विलम्ब हुआ। इन मामलों को हटाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप संबंधित लाभार्थियों को ₹ 3.62 लाख का अनुचित लाभ हुआ तथा इस अवधि हेतु पेंशन स्लॉट प्रतीक्षा-सूची के अन्य व्यक्तियों के लिए अवरुद्ध रहा।

संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने तथ्यों की पुष्टि की एवं बताया कि अपर्याप्त स्टाफ के कारण अपेक्षित सूचना/प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए जा सकें। हालांकि मृत लाभार्थियों के संबंध में डाक प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही थी तथा अन्य सूचना/प्रमाणपत्रों की प्राप्ति भविष्य में सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल पात्र लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु नियमों की अनुपालना नहीं की गई।

#### 5.5.4 लाभार्थियों का निरीक्षण

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमावली, 2010 के परिच्छेद 15 (1) के अनुसार संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों एवं तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की पात्रता के विषय में आवधिक निरीक्षण करना अपेक्षित था। जिला कल्याण अधिकारियों एवं तहसील कल्याण अधिकारियों को जिला/तहसील के लाभार्थियों का क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत वार्षिक निरीक्षण करना था।

नमूना-जांचित जिला कल्याण अधिकारियों एवं तहसील कल्याण अधिकारियों को 2019-20 के दौरान पूर्वोक्त नियम के अनुसार 20692 व 26249 निरीक्षण करना अपेक्षित था। हालांकि संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि चयनित जिला कल्याण अधिकारियों एवं तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया। जिला कल्याण अधिकारियों एवं तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के किसी सूचना तंत्र के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए थे एवं यदि किए गए, तो इसके परिमाण प्राप्त हुए थे।

संबंधित विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण अपेक्षित निरीक्षण नहीं किया जा सका। आगे यह भी बताया गया कि ग्राम पंचायतों के क्षेत्र भ्रमण के दौरान

लाभार्थियों का सामान्य सत्यापन किया गया था परन्तु इस संबंध में अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए। भविष्य में इस संबंध में अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

#### सारांश-

- आधार संख्या को विशिष्ट पहचान के रूप में उपयोग करने तथा पुनरावृत्ति करने वाले लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को अधिसूचित नहीं किया गया।
- ई-कल्याण साफ्टवेयर में प्रविष्टि की पुनरावृत्ति की जांच/पता लगाने की कार्य क्षमता नहीं थी/प्रदान नहीं की गई थी।
- नमूना-जांचित जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों में अपेक्षित प्रमाणपत्रों के बिना अपूर्ण आवेदन पत्र एवं लाभार्थियों के आवेदनों पर प्रक्रिया व सत्यापन में विलम्ब के उदाहरण देखे गए थे।
- ई-कल्याण साफ्टवेयर के विश्लेषण से लाभार्थियों के चयन में अनियमितताएं तथा ₹ 47.24 लाख का दोबार/अधिक भुगतान उजागर हुआ, जो विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निगरानी की कमी को इंगित करता है।
- 59 ग्राम पंचायतों में ई-कल्याण साफ्टवेयर में पेंशनभोगियों के अभिलेखों के साथ पंचायत स्तर के मूल अभिलेखों के प्रति-सत्यापन से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 776 लाभार्थियों की आयु में भिन्नता, 63 न्यून आयु लाभार्थियों के चयन के मामले उजागर हुए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 55.21 लाख का अनियमित भुगतान एवं 255 मृत लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की गई जो ₹ 60.73 लाख के अधिक भुगतान में परिणत हुई।
- डाक विभाग के माध्यम से पेंशन के भुगतान में कमियां थीं जैसे पात्र लाभार्थियों को द्वार पर लाभ का वितरण न होना, अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त न करना तथा पेंशन के भुगतान हेतु मनीऑर्डर पद्धति का उपयोग।
- विभाग, डाक प्राधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों के मध्य समन्वय का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अपात्र होने वाले लाभार्थियों के विषय में जानकारी साझा नहीं की गई।

#### सिफारिशें - राज्य सरकार विचार करें:

- पुनरावृत्ति के मामलों को हटाने हेतु लाभार्थी से जुड़ी विशिष्ट पहचान (जैसे आधार संख्या या बैंक/डाक खाता संख्या) का उपयोग।
- लाभों के गलत/अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करना एवं अपात्र लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि की वसूली करना।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया में सामान्य सेवा केंद्रों की भागीदारी।
- समयबद्ध तरीके से पेंशन आवेदनों पर प्रक्रिया एवं सत्यापन।

- अपात्र लाभार्थियों को लाभ भुगतान करने से बचने के लिए पंचायत स्तर के अभिलेख के अनुसार लाभार्थियों की पात्रता को सत्यापित करने हेतु सुदृढ़ तंत्र।
- लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों की समीक्षा की जाएं एवं पात्र लाभार्थियों को लाभ का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण की स्थापना।
- द्वार पर लाभ पहुंचाने, क्षेत्रीय स्तर पर नामांकन करने इत्यादि के विषय में डाक विभाग के साथ हुए समझौता-ज्ञापन के प्रावधानों का ईमानदारी से कार्यान्वयन।
- योजना के सुचारु कार्यान्वयन हेतु विभाग का डाक एवं ग्राम पंचायत प्राधिकारियों के साथ नियमित समन्वय।



**अध्याय-VI**  
**इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन**  
**का विश्लेषण**



## अध्याय - VI

### इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन का विश्लेषण

सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों की स्वीकृति व संवितरण हेतु 2006-08 के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-हिमाचल प्रदेश (एनआईसी-एचपी) द्वारा ई-कल्याण सॉफ्टवेयर विकसित किया गया एवं 2008 से विभाग ने सॉफ्टवेयर ग्रहण किया।

लेखापरीक्षा ने नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार डिजाइन पर्याप्तता एवं कुशल सेवा वितरण का पता लगाने के लिए ई-कल्याण सॉफ्टवेयर का विश्लेषण किया। निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

#### 6.1 सिस्टम/ उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका

ई-कल्याण परियोजना प्रबंधन योजना, 2006 के परिच्छेद 2.6 के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-हिमाचल प्रदेश को एक माह के भीतर सॉफ्टवेयर अपेक्षा तंत्र (सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम) एवं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम बनाने के बाद एक माह के भीतर सॉफ्टवेयर अभिकल्प प्रलेख (सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स) तैयार करना था। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रदेय से संबंधित ई-कल्याण परियोजना प्रबंधन योजना, 2006 के बिंदु 6.2 के अनुसार उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका (विभागीय उपयोगकर्ताओं हेतु) एवं सिस्टम नियमपुस्तिका (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-हिमाचल प्रदेश के आंतरिक कर्मचारियों हेतु) के साथ सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन सुपूर्द की जानी थी।

तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2008 में ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद 13 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका एवं सिस्टम नियमपुस्तिका एनआईसी-एचपी द्वारा तैयार नहीं की गईं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम एवं सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स के न होने से ई-कल्याण सॉफ्टवेयर हेतु विभाग की प्रलेखित अपेक्षाओं में स्पष्टता का अभाव, नियमों का पता न लगना, बग्स (तकनीकी त्रुटि) की उपस्थिति एवं पिछले डेटा को ई-कल्याण में स्थानांतरित करने के मुद्दे पाए गए।

*तथ्यों को स्वीकारते हुए उप निदेशक (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय) ने बताया (अक्टूबर 2020) कि विभाग को कोई बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था अतः कोई पृथक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका एवं सिस्टम नियमपुस्तिका तैयार नहीं की गईं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इनके अभाव में कमियां देखी गईं, जोकि विगत अध्यायों एवं अनुवर्ती परिच्छेदों में इंगित किए गए हैं।*

#### 6.2 ई-कल्याण का अभिगम्यता

अनधिकृत अभिगम्यता व सुरक्षा उल्लंघन से बचने के लिए, ई-कल्याण सॉफ्टवेयर का अभिगम्यता केवल विभिन्न स्तरों पर अधिकृत व्यक्तियों के पास होना चाहिए ताकि जवाबदेही एवं डेटा की प्रमाणिकता सुनिश्चित की जा सके। डेटा डंप के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

**विविध उपयोगकर्ताओं द्वारा डेटा अभिगम्यता** - डेटा डंप की संवीक्षा में विभिन्न स्तरों पर 211 विविध<sup>1</sup> उपयोगकर्ता आईडी बनाए जाने का पता चला। डेटा डंप में इनमें से 141 उपयोगकर्ता आईडी (जिला कल्याण अधिकारी: 21; पर्यवेक्षक/ अधीक्षक: 28; तहसील कल्याण अधिकारी: 09; व अन्य: 83) सक्रिय थे। सिस्टम का अभिगम्यता केवल जिला स्तर तक था अतः तहसील कल्याण अधिकारियों हेतु आईडी बनाना अनियमित था जो इंगित करता है कि सॉफ्टवेयर अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित किया जा रहा था।

**पासवर्ड नीति** - पासवर्ड नीति का उद्देश्य प्रबल पासवर्ड बनाने, उस पासवर्ड की सुरक्षा एवं पासवर्ड को बदलने की आवृत्ति के लिए एक मानक स्थापित करना है। सभी उपयोगकर्ता-स्तरीय पासवर्ड समय-समय पर बदले जाने चाहिए। पासवर्ड को एक निश्चित न्यूनतम लंबाई के लिए लागू किया जाना चाहिए एवं इसमें अक्षर, संख्या व विशेष स्वरूपों का मिश्रण शामिल होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बड़े/छोटे अक्षर-संख्या - विशेष स्वरूप के संयोजन वाले पासवर्ड को अनिवार्य नहीं किया गया था। आगे यह देखा गया कि सभी 211 पासवर्ड डेटाबेस में कूटलेखन (एनक्रिप्शन) के बिना संग्रहीत किए गए थे जो अनधिकृत अभिगम्यता मिलने एवं सुरक्षा भंग होने के जोखिम से भरा था।

एनक्रिप्शन के बिना पासवर्ड के संग्रहण के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता आईडी व पासवर्ड तक अनधिकृत अभिगम्यता एवं सुरक्षा भंग हो सकती है।

**एक ही निजी कंप्यूटर/ आईपी एड्रेस से अलग-अलग उपयोगकर्ताओं द्वारा लॉगिन** - डेटा डंप की संवीक्षा से उजागर हुआ कि सभी जिलों में विविध उपयोगकर्ताओं ने एक ही पीसी/आईपी एड्रेस से अलग-अलग उपयोगकर्ता लॉगिन के लिए उपयोग किया। यह इंगित करता है कि पेंशन आवेदनों पर प्रक्रिया करने के दौरान एक ही पीसी/आईपी से विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा ई-कल्याण सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया, जो आईडी/ पासवर्ड के अनधिकृत उपयोग के जोखिम से भरा था।


जैसा कि ऊपर इंगित है, एक ही पीसी व आईपी एड्रेस में विविध भूमिकाओं वाली उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग किया गया, जो विविध उपयोगकर्ताओं के उपयोगकर्ता आईडी/ पासवर्ड साझा करने का संकेत देता है। ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण (मल्टी-फैक्टर ओथेंटिकेशन) के उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए था।

### 6.3 ई-कल्याण डेटाबेस की विश्वसनीयता

ई-कल्याण डेटाबेस की विश्वसनीयता से संबंधित डेटा डंप के विश्लेषण से उत्पन्न लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

**डेटा/तिथियों का हेरफेर** - हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 के अनुसार स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा पेंशन आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं। आवेदकों की पात्रता का पता लगाने के लिए विभिन्न स्तरों (आंकड़ा प्रविष्टि संचालक, पर्यवेक्षक व जिला कल्याण अधिकारी) पर आवेदनों की जांच की जाती है। आवेदनों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

<sup>1</sup> बिलासपुर: 15 ; चम्बा:10 ; हमीरपुर: 26; काँगड़ा:39; किन्नौर :05; कुल्लू :12; लाहौल-स्पीति:04; मंडी: 26; शिमला :27; सिरमौर :22; सोलन :10 ; व ऊना 15



डेटा डंप के विश्लेषण से आवेदनों पर प्रक्रिया (कुल 7.06 लाख आवेदनों) में समय-सीमा में असंतुलन का पता चला, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

| आवेदन की तारीख से पहले पर्यवेक्षक की जमा करने की तिथि | प्रवेश तिथि से पहले पर्यवेक्षक की जमा करने की तिथि | अंतिम अनुमोदन तिथि के बाद पर्यवेक्षक की जमा करने की तिथि |
|---|--|--|
| 1961 <sup>2</sup>                                     | 1143 <sup>3</sup>                                  | 3843 <sup>4</sup>  |

1515 मामलों<sup>5</sup> में पेंशन संवितरण की आरंभ तिथि पेंशन की स्वीकृति की तिथि से पहले दर्ज की गई थी। इनके अतिरिक्त आठ जिलों से संबंधित 50 मामले<sup>6</sup> देखे गए, जहां अमान्य पेंशन प्रारंभ तिथि (पेंशन योजनाओं की शुरुआत से पहले की तारीख) का उल्लेख किया गया था। यह या तो आवेदनों के अनुमोदन में अनियमितता या इन तिथियों की गलत प्रविष्टि व सॉफ्टवेयर में सत्यापन जांच की कमी का परिचायक था।

उपरोक्त अनियमितताएं दर्शाती हैं कि सत्यापन जांच के अभाव में इन तिथियों को हस्तलिखित (मैन्युअली) रूप से दर्ज किया गया/ इनमें हेरफेर की जा रही थी।

**पेंशन स्वीकृति तिथि एवं आदेश क्रमांक** - पेंशन स्वीकृति तिथि एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत होने के बाद आदेश क्रमांक ई-कल्याण आवेदन के संबंधित फील्ड में दर्ज किया जाना था।

डेटा डंप के विश्लेषण से उजागर हुआ कि आठ जिलों के 117786 लाभार्थियों<sup>7</sup> के मामले में ई-कल्याण आवेदन (या तो खाली छोड़ दिया गया या -) में पेंशन स्वीकृति तिथि व आदेश क्रमांक दर्ज नहीं की गई, जो स्वीकृति की आवश्यक प्रक्रिया के पालन में विभाग की विफलता या उसी के संबंध में आवश्यक विवरण की प्रविष्टि करने में विफलता को दर्शाता है।

**अपूर्ण विवरण** - संबंधित फील्ड में लाभार्थी का विवरण अर्थात् नाम एवं पिता का नाम भरा जाना है।

<sup>2</sup> मंडी: 286; सिरमौर : 1629; सोलन: 45 व ऊना: 01

<sup>3</sup> काँगड़ा: 54; लाहौल-स्पीति: 03; मंडी : 1084 व ऊना : 02

<sup>4</sup> मंडी

<sup>5</sup> बिलासपुर:23; चम्बा:05; हमीरपुर:68; काँगड़ा:558; किन्नौर:07; कुल्लू:17; लाहौल-स्पीति: 04; मंडी:13; शिमला:745; सिरमौर:12; सोलन:21 व ऊना:42

<sup>6</sup> बिलासपुर:01; हमीरपुर:30; काँगड़ा:01; किन्नौर:05; कुल्लू:02; लाहौल-स्पीति:03; मंडी: 01 व शिमला-07

<sup>7</sup> चम्बा:15759; किन्नौर:01; कुल्लू:13681; मंडी:49545; शिमला:21428; सिरमौर:15020; सोलन:02 व ऊना 2350

डेटा डंप के विश्लेषण में छः मामले उजागर हुए, जहां उपरोक्त उल्लिखित फील्ड को रिक्त छोड़ दिया गया था, जबकि 104834 मामलों<sup>8</sup> में कुल 7.06 लाख आवेदनों में से या तो इन फील्ड में से एक को रिक्त छोड़ दिया गया था या गलत तरीके से दर्ज किया गया था (यादृच्छिक मान शामिल थे)। इसके परिणामस्वरूप सत्यापन जांच के अभाव के कारण पूर्ण विवरण के बिना आवेदनों पर प्रक्रिया की गई क्योंकि ऐसे नाम फील्ड रिक्त नहीं छोड़े जा सकते थे।

**गलत प्रविष्टियों के कारण आवेदन अस्वीकृत करना** - डेटा प्रविष्टि के समय सही विवरण दर्ज किए जाने चाहिए ताकि बाद के चरण में आवेदनों की अस्वीकृति से बचा जा सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डेटा प्रविष्टि के बाद लाभार्थियों के विवरण में सुधार हेतु संपादन उपकरण (एडिटिंग टूल) अगले स्तर के अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराए गए।

डेटा डंप के विश्लेषण से उजागर हुआ कि छः जिलों में कुल 7.06 लाख आवेदनों<sup>9</sup> में से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 25 आवेदन गलत प्रविष्टि के कारण अस्वीकृत कर दिए गए। डेटा प्रविष्टि स्तर के बाद लाभार्थियों के विवरण में बदलाव/सुधार के लिए एडिटिंग टूल के अभाव में इन आवेदनों को संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया एवं इन आवेदनों की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा था।

#### 6.4 दिशानिर्देशों / नियमों के साथ अभिसरण

प्रतीक्षा-सूची से पेंशन स्वीकृति हेतु लाभार्थियों का चयन स्वतः हो जाता है। ई-कल्याण सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन प्रचलित नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। दिशानिर्देशों/नियमों के अनुसार ई-कल्याण सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन के संबंध में टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

**सत्यापन जांच** - डेटा प्रविष्टि हेतु सॉफ्टवेयर में सन्निहित (इनबिल्ट) सत्यापन जांच विद्यमान नहीं थी। यह अपात्र लाभार्थियों के चयन (परिच्छेद 5.3) एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पेंशन के दोबारा भुगतान (परिच्छेद 5.4.1) में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त डेटा प्रविष्टि करने के बाद लाभार्थी के विवरण को अगले चरण में सम्पादित करने हेतु विकल्प उपलब्ध नहीं था। डेटा प्रविष्टि करने के बाद त्रुटि होने के मामले में पिछला आवेदन अस्वीकृत होने के पश्चात् विवरण नए सिरे से प्रविष्टि करना अपेक्षित है। ऐसे मामलों में अलग विशिष्ट आईडी आवंटित किए जाते हैं।

**अन्य मॉड्यूल के साथ एकीकरण** - अन्य विद्यमान मॉड्यूल अर्थात् लाभार्थियों के वास्तविक समय सत्यापन के लिए पंचायतों के ई-परिवार पोर्टल एवं पेंशन संवितरण की स्थिति हेतु डाकघर/बैंक पोर्टल के साथ ई-कल्याण एकीकृत नहीं किया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए वास्तविक समय सत्यापन व पेंशन संवितरण स्थिति की ट्रैकिंग हेतु विभिन्न विद्यमान मॉड्यूल के एकीकरण की व्यवहार्यता पर विचार किया जा सकता है एवं तदनुसार अपनाया जा सकता है।

<sup>8</sup> बिलासपुर:1565; चम्बा:1348; हमीरपुर:19223; काँगड़ा: 977; किनौर:2172; कुल्लू: 17991; लाहौल-स्पीति:1228; मंडी:42745; शिमला:12510; सिरमौर: 2947; सोलन:2124; व ऊना:04

<sup>9</sup> बिलासपुर:02;काँगड़ा:02; कुल्लू:01;मंडी:15; शिमला:01; व सोलन:04

इस प्रकार, वेब-आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर के साथ दिशा-निर्देशों/नियमों का अभिसरण न होने के परिणामस्वरूप अपात्र लाभार्थियों का चयन हुआ। यह भी इंगित करता है कि वेब-आधारित साफ्टवेयर में परिवर्तित होने बाद भी अनियमितताएं जारी हैं एवं यहां तक कि वेब-आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर में बुनियादी सत्यापन जांच प्रस्तुत/सक्रिय नहीं की गई थी।

उप निदेशक (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय) ने बताया कि वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर विकासशील चरण में है एवं भविष्य में ई-कल्याण के साथ विद्यमान माँड्यूल के एकीकरण की संभावना तलाशी जा सकती है।

## 6.5 रिपोर्टों की उत्पत्ति

सक्रिय तिमाही के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट जैसे स्वीकृति-सूची, प्रतीक्षा-सूची, हटाए जाने की सूची, संवितरण-सूची आदि वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर में उत्पन्न की जा सकती हैं। यह पाया गया कि:

**विगत तिमाही रिपोर्ट** - विगत एकल तिमाही से संबंधित रिपोर्ट पिछले क्लाउंट सर्वर-आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर से निकली जा सकती थीं; हालांकि, ये रिपोर्ट वर्तमान वेब-आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर में निकाली नहीं जा सकती एवं विभागीय अधिकारियों को हस्तलिखित फाइलों (जो त्रुटियों हेतु अतिसंवेदनशील हैं) को देखना पड़ा या आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से संपर्क करना पड़ा। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि पिछली तिमाहियों या किसी विशेष वित्तीय वर्ष में सम्मिलित नहीं किए गए या प्रतिस्थापित लाभार्थियों की संख्या के विषय में विवरण ई-कल्याण से नहीं निकाला जा सका एवं इन्हें हस्तचालित रूप से समेकित किया गया।

**विधवा/तलाकशुदा/एकल महिला श्रेणी के तहत रिपोर्ट उत्पन्न करना** - ई-कल्याण से विधवा/तलाकशुदा/एकल महिला श्रेणी की पेंशनभोगियों हेतु समेकित रिपोर्ट निकाली जा सकती है; हालांकि विधवा, तलाकशुदा या एकल महिला के संबंध में श्रेणी-वार रिपोर्ट नहीं निकाली जा सकती एवं इन रिपोर्ट को हस्तचालित रूप से पृथक करना होता है।

**सामान्य प्रश्न** - लाभार्थियों की आय पर आधारित सामान्य प्रश्न रिपोर्ट ई-कल्याण में सक्रिय नहीं थी, जिसके अभाव में विभागीय पदाधिकारियों द्वारा आय मापदण्ड के आधार पर लाभार्थियों की पात्रता का सामान्य सत्यापन नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त उल्लिखित प्रश्नों/रिपोर्ट को ई-कल्याण में शामिल न करने का अर्थ था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन प्रक्रिया में आईटी-सक्षम टूल के लाभ तथा हस्तचालित कार्य कम करने को पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा रहा था। नमूना-जांचित जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों ने भी बताया कि विगत तिमाहियों की रिपोर्ट उत्पन्न करने से संबंधित कार्यक्षमता साफ्टवेयर में होनी चाहिए। ई-कल्याण साफ्टवेयर में इसके इष्टतम प्रयोग हेतु उपरोक्त विवरित कार्यक्षमताओं को शामिल किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, उपर्युक्त उल्लिखित प्रक्रियाओं की अनुपलब्धता से शीघ्र डेटा निकालने तथा विश्लेषण का उद्देश्य विफल रहा तथा डेटा विश्लेषण को हस्तचालित त्रुटियों हेतु प्रवृत्त किया।

## 6.6 उपयोगकर्ता अभिगम्यता एवं प्रतिक्रिया

ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के इष्टतम उपयोग एवं पारदर्शिता हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में अंतिम उपयोगकर्ता (आवेदक/लाभार्थी) तक अभिगम्यता, आवेदन की स्थिति की निगरानी (ट्रैकिंग), पेंशन संवितरण की स्थिति आदि प्रदान की जानी चाहिए। यह देखा गया कि:

**अंतिम उपयोगकर्ता अभिगम्यता** - ई-कल्याण के वेब-आधारित संस्करण में अभिगम्यता केवल विभागीय पदाधिकारियों के लिए उपलब्ध है एवं अंतिम उपयोगकर्ता अर्थात् आवेदक / लाभार्थी को कोई अभिगम्यता नहीं दी गई। इसके अभाव में आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने की सुविधा, आवेदन की स्थिति की ट्रैकिंग इत्यादि सुविधा आवेदक/लाभार्थी को उपलब्ध नहीं है।

**प्रतिक्रिया रूप** - पेंशन आवेदन की स्थिति, पेंशन की मंजूरी व पेंशन लाभ के अंतरण के विषय में इलेक्ट्रॉनिक सूचना के रूप में प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित नहीं किया गया, जिसके अभाव में लाभार्थियों को अपने आवेदनों की स्थिति प्राप्त करने अथवा पेंशन के अंतरण के लिए व्यक्तिगत पूछताछ या पत्राचार करना पड़ा।

योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन एवं आईटी सक्षम टूल के इष्टतम उपयोग हेतु उपरोक्त विवरित कार्यक्षमताओं को जोड़ा जा सकता है।

### सारांश -

- सरल प्रबंध एवं ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के उपयोग हेतु सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका एवं सिस्टम नियमपुस्तिका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-हिमाचल प्रदेश द्वारा तैयार नहीं की गई।
- ई-कल्याण तक अनधिकृत अभिगम्यता रोकने के लिए बुनियादी जांच एवं ई-कल्याण में दर्ज किए गए डेटा का स्वतः सत्यापन उपलब्ध नहीं था।
- ई-कल्याण सॉफ्टवेयर को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के दिशा-निर्देशों/नियमों के अनुरूप डिजाइन नहीं किया गया था।
- सॉफ्टवेयर को अन्य विद्यमान मॉड्यूल जैसे पंचायत के ई-परिवार पोर्टल एवं वास्तविक समय लाभार्थी के सत्यापन व पेंशन संवितरण की स्थिति के लिए डाकघर / बैंक पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं किया गया था।
- वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में विगत तिमाहियों की रिपोर्ट उत्पन्न करने एवं अंतिम उपयोगकर्ता तक अभिगम्यता की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

### अनुशंसा - राज्य सरकार विचार करें:

- विभागीय प्राधिकारियों एवं उपयोगकर्ताओं द्वारा सॉफ्टवेयर के सरल प्रबंधन एवं उपयोग हेतु रिक्वायरमेंट सिस्टम एवं उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका तैयार करना।
- पुनर्निर्मित ई-कल्याण में अनधिकृत अभिगम्यता को रोकने एवं दर्ज डेटा के स्वतः सत्यापन हेतु बुनियादी जांच शामिल करना।

- प्रचलित दिशा-निर्देशों/नियमों के अनुसार ई-कल्याण सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन एवं पात्रता मानदंड के अनुसार सत्यापन जांच को शामिल करना ताकि लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही अंतरित किया जा सकें।
- डेटा के सुरक्षा उल्लंघन के जोखिम को कम करने के लिए ई-कल्याण में लॉगिन हेतु मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन।
- उपायुक्त द्वारा सॉफ्टवेयर में ही नए मामलों की स्वीकृति की सुविधा के साथ ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः क्रम में स्वीकृति आदेश के आवंटन हेतु एक उपयुक्त तंत्र तैयार करना।
- विगत तिमाहियों की रिपोर्ट निकालने, विद्यमान मॉड्यूल के साथ एकीकरण एवं ई-कल्याण के इष्टतम उपयोग हेतु अंतिम उपयोगकर्ता तक अभिगम्यता को सक्षम करना।



**अध्याय-VII**  
**प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की संरचना**  
**एवं प्रबंधन**



## अध्याय - VII

### प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की संरचना एवं प्रबंधन

राज्य सरकार ने राज्य में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) प्रक्रिया की संरचना एवं प्रबंधन हेतु हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग को राज्य नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती परिच्छेदों में दिए गए हैं:

#### 7.1 राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ

डीबीटी दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न योजनाओं के समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु अंतिम पड़ाव (वन-स्टॉप पॉइंट) के रूप में राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रकोष्ठ में सलाहकार मंडल (एडवाइजरी बोर्ड)<sup>1</sup>, राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण समन्वयक (स्टेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कोऑर्डिनेटर)<sup>2</sup> एवं कार्यान्वयन सहायक स्तर (इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट लेयर)<sup>3</sup> है। एडवाइजरी बोर्ड को त्रैमासिक या अन्य नियमित अंतराल पूर्ण करना तथा अधिक प्रभावी तरीके से लाभ पहुंचाने हेतु समग्र, सलाहकार एवं रणनीतिक इनपुट प्रदान करना अपेक्षित है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कोऑर्डिनेटर सभी योजनाओं में डीबीटी की दिशा में कार्य करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय एवं संपर्क स्थापित करेगा। डीबीटी प्रकोष्ठ के इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट लेयर को एक आईटी आधारित उपयोगिता प्रणाली विकसित करनी थी जो क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, अधिकारियों एवं लाभार्थियों हेतु एक सुसंगत केंद्रीकृत कार्यप्रवाह इंजन प्रदान करे; तथा रिपोर्ट निर्माण, डेटा का स्फूर्त (डायनामिक) अपडेट एवं प्रगति की दैनिक पड़ताल करने में सक्षम करे।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ का गठन अगस्त 2018 में किया गया। तथापि यह पाया गया कि अगस्त 2018 से सितंबर 2021 तक एडवाइजरी बोर्ड की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा हस्तलिखित (मैनुअल) रूप से लाभ अंतरण की स्थिति प्राप्त करने के बाद उससे सम्बंधित विभिन्न रिपोर्टों के समेकन एवं अपलोडिंग से संबंधित कार्य किए जा रहे थे। परिणामस्वरूप ऊपर उल्लिखित डीबीटी प्रकोष्ठ के कार्य परिकल्पनानुसार नहीं किए जा रहे थे।

एडवाइजरी बोर्ड की कोई बैठक न होने से लाभ के वितरण हेतु समग्र, सलाहकार व रणनीतिक इनपुट का पता नहीं लगाया गया, तथा राज्य डीबीटी कोऑर्डिनेटर एवं इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट लेयर ने परिकल्पित गतिविधियां नहीं की। इसके अतिरिक्त डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा परिकल्पित निगरानी की कमी के कारण ई-कल्याण सॉफ्टवेयर को भी डीबीटी पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं किया गया तथा लाभार्थियों को स्वतंत्र पद्धति (स्टैंडअलोन मोड) के माध्यम से भुगतान किए जा रहे पेंशन लाभों की प्रगति की प्रभावी निगरानी नहीं की जा सकी।

<sup>1</sup> प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के विभिन्न समर्थकों व हितधारकों के साथ-साथ विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि जैसी बहु-पक्षीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों को मिलाकर

<sup>2</sup> प्रमुख सचिव (योजना/आईटी/वित्त) या समकक्ष स्तर के अधिकारी को समन्वयक के रूप में नामित किया जा सकता है जो राज्य के डीबीटी से संबंधित मामलों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा

<sup>3</sup> प्रकोष्ठ के संचालन हेतु तकनीकी, गैर-तकनीकी तथा वित्त एवं प्रशासनिक सहायता के लिए जिम्मेदार विशेष कर्तव्य (ओएसडी) रैंक के कर्मियों पर निदेशक या अधिकारियों के तीन समन्वयक शामिल हैं

निदेशक (आईटी) ने बताया कि एडवाइजरी बोर्ड की बैठक अब 19 अक्टूबर 2021 को बुलाई गई है तथा इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, लिए गए निर्णयों में आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत चिन्हित सभी योजनाओं की अधिसूचना, पहचान की गई योजनाओं का आरम्भ से अंत तक डिजिटलीकरण, राज्य डीबीटी पोर्टल के माध्यम से हुए सभी डीबीटी लेनदेन की रिपोर्टिंग तथा नकद आधारित योजनाओं हेतु पीएफएमएस विकेंद्रीकरण को सम्मिलित किया गया है। यह प्रतिवेदन में उल्लिखित निष्कर्षों के अनुरूप है।

## 7.2 विभागीय डीबीटी प्रकोष्ठ/समिति

राज्यों में डीबीटी पर प्रोटोकॉल दस्तावेजों के परिच्छेद 2.1 में प्रावधान है कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के अतिरिक्त अलग-अलग विभागों को भी हर विभाग के भीतर एक डीबीटी प्रकोष्ठ/समिति का गठन करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं के कार्यान्वयन में डीबीटी ढांचे को अपनाया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के पास अलग-अलग विभागों द्वारा डीबीटी प्रकोष्ठ/ समितियों के गठन के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जो योजनाओं को डीबीटी पर लाने एवं लागू करने के सभी प्रयासों के समन्वय हेतु अंतिम पड़ाव (वन-स्टॉप पॉइंट) होने की उम्मीद है। अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय (इएसओएमएसए) द्वारा विभागीय डीबीटी प्रकोष्ठ/समिति की स्थापना नहीं की गई। इस प्रकार योजनाओं के कार्यान्वयन में डीबीटी ढांचे को अपनाया सुनिश्चित नहीं हो पाया।

निदेशक (आईटी) ने बताया कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा अलग-अलग विभागों द्वारा डीबीटी प्रकोष्ठ/समितियों की स्थापना हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि इस संबंध में कोई प्रोटोकॉल दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ था। उत्तर उचित नहीं है क्योंकि प्रत्येक विभाग को चिन्हित योजनाओं में डीबीटी के कार्यान्वयन की दिशा में कार्य करने के लिए विभागीय डीबीटी प्रकोष्ठ/समिति का गठन करना था।

## 7.3 सुदृढ़ शासन ढांचा

राज्यों में डीबीटी पर प्रोटोकॉल दस्तावेज का परिच्छेद 2.4 (जून 2017) योजनाओं एवं कार्यक्रमों की तैयारी की निरंतर निगरानी हेतु राज्य स्तर पर एक सुदृढ़ शासन ढांचे का प्रावधान करता है। यह शासन ढांचा राज्य डीबीटी सेल के अधीन संचालित होगा तथा जिम्मेदार होगा (i) योजनाओं व कार्यक्रमों के डीबीटी प्रयोज्यता मूल्यांकन हेतु; (ii) डीबीटी पर हितधारकों के साथ परामर्श हेतु; (iii) लाभार्थी डिजिटलीकरण विश्लेषण एवं सिफारिशें हेतु; (iv) योजनाओं एवं कार्यक्रमों की डीबीटी ऑनबोर्डिंग (डीबीटी में शामिल करना) हेतु; (v) ऑनबोर्डिंग प्रगति की निगरानी योजना हेतु; तथा (vi) कार्यक्रम प्रबंधन सहायता प्रदान करने हेतु।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य स्तर पर योजनाओं एवं कार्यक्रमों की तैयारी की निरंतर निगरानी हेतु सुदृढ़ शासन ढांचे की कमी थी। 2017-21 के दौरान डीबीटी के कार्यान्वयन की स्थिति की दो समीक्षा बैठकों, पीएफएमएस के माध्यम से दो कार्यशालाओं एवं आधार आधारित डीबीटी पर एक बैठक के अतिरिक्त डीबीटी के परिचालन पर कोई अन्य कार्यशाला, संगोष्ठी, बैठक, आदि (लाभार्थी डिजिटलीकरण विश्लेषण पर, कार्यक्रम प्रबंधन सहायता प्रदान करना, आदि)

राज्य डीबीटी सेल या विभाग द्वारा के संचालन आयोजित नहीं की गई। उपरोक्त आयोजित बैठकों/कार्यशालाओं के परिणामों के कार्यान्वयन की जानकारी भी लेखापरीक्षा को आपूर्ति नहीं की गई।

निदेशक (आईटी) ने बताया कि 2017-19 के दौरान उपरोक्त उल्लिखित कार्यशालाएं/बैठक पीएफएमएस के माध्यम से डीबीटी का कार्यान्वयन करने में विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित की गई। यद्यपि विभिन्न विभागों द्वारा डीबीटी के कार्यान्वयन की प्रगति अनुपलब्ध है।

#### 7.4 डीबीटी पर राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं सहायता

डीबीटी मिशन, भारत सरकार द्वारा राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ हेतु जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित हैं कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ कार्यान्वयन सहायता की एक भूमिका के रूप में राज्य के अधिकारियों के क्षमता निर्माण में डीबीटी पर प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करेगा। आगे दिशानिर्देशों में डीबीटी प्रगतिशील राज्यों के राज्य/जिला अधिकारियों को आदर्श प्रथाओं से परिचित कराने के लिए जानकारीपरक (एक्सपोजर) दौरों के आयोजन के अतिरिक्त सर्वोत्तम प्रथाओं पर बेंच-मार्किंग (न्यूनतम मानदंड) अध्ययन आयोजित करने, प्रवर्तन/प्रयोगों के माध्यम से राज्य में नवाचारों को चलाने एवं राज्य के संचालन में उन प्रथाओं को कार्यचालन में लाने के लिए रोडमैप विकसित करने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

- राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा न तो कोई प्रशिक्षण कलैण्डर तैयार किया गया एवं न ही राज्य के अधिकारियों को डीबीटी पर कोई प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा डीबीटी प्रगतिशील राज्यों में उन राज्यों द्वारा अपनाई जा रही मॉडल प्रथाओं से अधिकारियों को परिचित कराने के लिए राज्य/जिला अधिकारियों हेतु कोई एक्सपोजर दौरों की व्यवस्था नहीं की गई।
- राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा राज्य संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने के लिए रोडमैप विकसित करने हेतु उन प्रथाओं पर न तो कोई बेंचमार्क अध्ययन करवाया गया एवं न ही प्रवर्तन/प्रयोगों के माध्यम से राज्य में कोई नवाचार किया गया।

उचित प्रशिक्षण/एक्सपोजर दौरों/बेंचमार्क अध्ययनों के अभाव में राज्य में डीबीटी प्रचालनों पर अधिक नियंत्रण हेतु स्वामित्व एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं हो पाया।

निदेशक (आईटी) ने बताया कि उपरोक्त अवधि के दौरान कोई प्रस्ताव न आने से बाहरी दौरों की व्यवस्था नहीं की गई। आगे यह भी बताया गया कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने डीबीटी के कार्यान्वयन/रिपोर्टिंग में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों का दौरा किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को उपरोक्त दावे के समर्थन में कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

#### 7.5 राज्य डीबीटी पोर्टल

राज्यों में डीबीटी पर प्रोटोकॉल दस्तावेज का परिच्छेद 2.2(4) लाभ अंतरण पर राज्य स्तर की जानकारी एकत्र के लिए राज्य डीबीटी पोर्टल की अवधारणा एवं कार्यान्वयन का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त राज्यों में डीबीटी पर प्रोटोकॉल दस्तावेज के परिच्छेद 3.2 में यह भी प्रावधान है कि राज्य डीबीटी पोर्टल का भूमिका-आधारित अभिगम्यता होगा जहां विभिन्न विशेषाधिकारों

(लाभों) के आधार पर पोर्टल अभिगम्यता करने के लिए विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को परिभाषित किया गया है। डीबीटी के विषय में एवं राज्य में इसकी प्रगति के बारे में जानने के लिए पोर्टल में जनता हेतु अनाम अभिगम्यता भी है तथा इसमें जनता के लिए व्यवहारिक कार्य-क्षमता यथा-होम पेज, हमारे बारे में, योजनाएं, मल्टीमीडिया, डीबीटी सेल, दस्तावेज, सफलता की कहानी, हमसे संपर्क करें, सूचना का अधिकार (आरटीआई), अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू), प्रतिक्रिया एवं डाउनलोड होने चाहिए।

राज्य डीबीटी पोर्टल की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि उपर्युक्त कार्य-क्षमता या तो उपलब्ध नहीं हैं या पोर्टल पर आंशिक रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, जैसा कि परिशिष्ट-6 में विवर्णित है। राज्य डीबीटी पोर्टल पर अपेक्षित कार्य-क्षमताएं उपलब्ध ना होने से जनता लाभ अंतरण पर आवश्यक जानकारी से वंचित रह गई।

*निदेशक (आईटी) ने बताया कि तकनीकी टीम राज्य डीबीटी पोर्टल हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार राज्य डीबीटी पोर्टल को अद्यतन (अपडेट) करने की प्रक्रिया में है।*

## 7.6 राज्य डीबीटी पोर्टल में अन्य कमियां

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ का प्रशासनिक विभाग होने के नाते एचपी डीबीटी पोर्टल (<http://dbtportal.hp.gov.in>), जो अगस्त 2017 से प्रचलित किया गया, की मेजबानी कर रहा है। भारत सरकार ने भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश जारी किए (जनवरी 2009 व फरवरी 2018)। यह दिशानिर्देश किसी संगठनात्मक स्तर एवं केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के स्तर पर सरकारी वेबसाइटों को नागरिक केंद्रित तथा आगंतुक अनुकूल (विजिटर फ्रेंडली) बनाने के लिए भारत सरकार की वेबसाइटों एवं पोर्टलों हेतु नीतियों व दिशानिर्देशों की संस्तुति करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य डीबीटी पोर्टल को डीबीटी भारत पोर्टल (<https://dbtbharat.gov.in>) के साथ एकीकृत किया गया था। तथापि आईटी विभाग द्वारा बनाए जा रहे राज्य डीबीटी पोर्टल में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गई :

- (i) मानकीकरण परीक्षण गुणवत्ता प्रमाणन- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के एक संगठन से वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त नहीं किया गया, जैसा कि भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश के परिच्छेद 1.4 के तहत अपेक्षित था।
- (ii) भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश के परिच्छेद 10.1.1 व 10.1.2 के अनुसार साइट पर सामग्री का उचित प्रवाह एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए न तो वेब सूचना प्रबंधक तथा न ही तकनीकी प्रबंधक नियुक्त किया गया।
- (iii) राज्य डीबीटी पोर्टल पर सामग्री प्रकाशन के संबंध में डेटा की प्रमाणिकता एवं जवाबदारी, प्राधिकरण व कार्य-प्रवाह विवरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई सामग्री योगदान, मॉडरेशन व अनुमोदन नीति तैयार नहीं की गई, जैसा कि भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश के परिच्छेद 5.2 के तहत अपेक्षित था।

- (iv) भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश के परिच्छेद 10.3 के अनुसार गुणवत्ता एवं अनुकूलता के मुद्दों का समाधान करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए कोई वेबसाइट निगरानी नीति तैयार नहीं की गई।
- (v) राज्य डीबीटी पोर्टल पर क्षेत्रीय (हिंदी) भाषा सामग्री हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जैसा कि भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश के परिच्छेद 5.7 के तहत अपेक्षित था।

निदेशक (आईटी) ने बताया कि तकनीकी टीम भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य डीबीटी पोर्टल को अपडेट करने की प्रक्रिया में है।

## 7.7 राज्य डीबीटी पोर्टल पर योजनाओं की पहचान एवं सम्मिलन

भारत सरकार ने राज्य डीबीटी पोर्टल पर राज्यों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की पहचान एवं उनके सम्मिलन तथा संबंधित विभागों के लाभार्थियों के डेटा के डिजिटलीकरण, प्रमाणित आधार सीडिंग, डेटा सत्यापन, डीबीटी मोड के माध्यम से निधियों के अंतरण एवं पुनरावृत्ति करने वाले व फर्जी / मृत लाभार्थी आदि हटाने के कारण हुई बचत की मासिक प्रगति की रिपोर्ट करने के राज्यों को निर्देश दिए (मार्च 2018)।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2017-18 के दौरान लाभार्थियों को अंतरित निधियों के सम्बन्ध में जून 2021 तक राज्य सरकार द्वारा डीबीटी हेतु चिन्हित 162 योजनाओं में से चयनित छः सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं सहित केवल 62 योजनाएं (39 प्रतिशत) राज्य डीबीटी पोर्टल पर शामिल की गई एवं संबंधित योजना के तहत मासिक प्रगति की रिपोर्ट की गई। उक्त योजनाओं के संबंध में तीन वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई।

निदेशक (आईटी) ने बताया (जून 2021) कि संबंधित विभाग उनके स्वयं के स्तर पर डीबीटी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि 61 प्रतिशत योजनाओं को राज्य डीबीटी पोर्टल पर शामिल नहीं किया गया जो राज्य नोडल (आईटी) विभाग द्वारा राज्य में डीबीटी प्रक्रियाओं की खराब निगरानी को परिलक्षित करता है।

## 7.8 आपदा पुनर्प्राप्ति एवं व्यवसाय निरंतरता योजना

भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश के परिच्छेद 8.3.4 में प्रावधान है कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें किसी प्राकृतिक आपदा के कारण संपूर्ण डेटा केंद्र, जहां वेबसाइट होस्ट की जा रही है, नष्ट हो जाता है या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी घटनाओं के लिए एक सुनियोजित आकस्मिक तंत्र होना चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि होस्टिंग सेवा प्रदाता के पास भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ स्थान पर एक 'आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र (डीआरसी)' स्थापित किया गया है तथा वेब पर न्यूनतम देरी व पुनः संग्रहित (रिस्टोर) करते हुए वेबसाइट को डीआरसी में बदल दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के पास ई-कल्याण साफ्टवेयर हेतु कोई आपदा पुनर्प्राप्ति एवं व्यवसाय निरंतरता योजना नहीं थी तथा राज्य डीबीटी पोर्टल को क्रमशः राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय कार्यालय में स्थानीय रूप से अनुरक्षित किया जा रहा था।

इस प्रकार किसी भी घटना की स्थिति में न्यूनतम विलंब के साथ डाटा की पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए निदेशक (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय) ने बताया कि डेटा के लिए कोई बैकअप व पुनर्प्राप्ति योजना लागू नहीं की गई है। निदेशक (आईटी) ने बताया कि राज्य डीबीटी पोर्टल हेतु आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र दिल्ली में स्थित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर को राज्य/भारत डीबीटी पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं किया गया तथा इसके डेटा के लिए बैकअप/पुनर्प्राप्ति योजना सुनिश्चित नहीं की गई।

## 7.9 प्रबंधन सूचना प्रणाली

भारत सरकार द्वारा जारी डीबीटी भारत पोर्टल (राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एवं डीबीटी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया मॉड्यूल वास्तविक समय एमआईएस पोर्टल के निर्माण व अनुरक्षण का प्रावधान करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य डीबीटी पोर्टल पर लाभार्थियों के डेटा तथा अंतरित लाभों को वास्तविक समय में कैप्चर (लेने) करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। यह जानकारी विभिन्न विभागों से डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा हस्तलिखित (मैनुअल) रूप से एकत्र की जाती है तथा डीबीटी पोर्टल पर अपलोड की जाती है, हालांकि राज्य डीबीटी पोर्टल पर बाद में सम्मिलित किए गए लाभार्थियों/लाभों की संख्या के संशोधन को अद्यतन नहीं किया जाता।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए निदेशक (आईटी) ने बताया कि लाभार्थियों के वास्तविक समय डेटा को कैप्चर (लेने) करने के लिए राज्य की योजनाओं का आरम्भ से अंत तक डिजिटलीकरण प्रक्रियाधीन है।

## 7.10 डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध एवं विभाग द्वारा आपूरित आंकड़ों में भिन्नता

डीबीटी मिशन, भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी "डीबीटी भारत पोर्टल" पर मानक संचालन प्रक्रिया के परिच्छेद 1.2 में प्रावधान है कि क्योंकि डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, इसलिए राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ कोर्डिनेटरों को पोर्टल पर कोई भी विवरण दर्ज करने से पहले उनका सत्यापन एवं पुष्टि करनी होगी। राज्य की सभी विशिष्ट सूचनाओं का स्वामित्व राज्यों का होगा। राज्य डीबीटी नोडल अधिकारी को प्रत्येक योजना के मासिक डेटा की प्रविष्टि एवं शुद्धता हेतु जिम्मेदार विभागीय अधिकारी नामित होंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-20 व 2020-21 की अवधि हेतु चयनित योजनाओं के तहत विभाग द्वारा आपूरित लाभार्थियों को अंतरित राशि एवं डीबीटी पोर्टल पर अपलोड की गई राशि में ₹ 0.56 करोड़ से ₹ 106.31 करोड़ के मध्य की भिन्नता थी (2017-18 एवं 2018-19 के आंकड़े डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं), जैसा कि नीचे तालिका-7.1 में विवर्णित है :

तालिका-7.1: राज्य डीबीटी पोर्टल एवं विभाग द्वारा आपूरित आंकड़ों के अनुसार डेटा में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

| योजना का नाम                             | वर्ष    | डीबीटी पोर्टल के अनुसार अंतरित राशि | विभाग के अनुसार अंतरित राशि | आंकड़ों में भिन्नता |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| वृद्धावस्था पेंशन                        | 2019-20 | 384.50                              | 435.71                      | 51.21               |
|  | 2020-21 | 444.15                              | 546.63                      | 102.48              |
| विधवा हेतु पेंशन योजना                   | 2019-20 | 103.08                              | 141.08                      | 38.00               |
|  | 2020-21 | 124.68                              | 144.18                      | 19.50               |
| दिव्यांग राहत भत्ता                      | 2019-20 | 76.05                               | 71.68                       | 4.37                |
|  | 2020-21 | 89.21                               | 88.40                       | 0.81                |
| इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन | 2019-20 | 155.12                              | 48.81                       | 106.31              |
|  | 2020-21 | 148.49                              | 63.45                       | 85.04               |
| इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना           | 2019-20 | 28.31                               | 11.84                       | 16.47               |
|  | 2020-21 | 31.93                               | 14.52                       | 17.41               |
| इंदिरा गाँधी दिव्यांग पेंशन योजना        | 2019-20 | 1.83                                | 1.09                        | 0.74                |
|  | 2020-21 | 1.90                                | 1.34                        | 0.56                |

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित एवं डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़े।

विभाग द्वारा आपूरित एवं पोर्टल पर दर्शाए गए डेटा में भिन्नता इंगित करती है कि पोर्टल पर प्रविष्टि से पहले डेटा का सत्यापन नहीं किया जा रहा है।

निदेशक (आईटी) ने बताया कि संबंधित विभागों से प्राप्त डीबीटी रिपोर्ट राज्य डीबीटी पोर्टल पर अपलोड की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक योजना के डाटा की शुद्धता विभागीय एवं राज्य डीबीटी नोडल अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जानी है।

### 7.11 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अपनाना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने डीबीटी के तहत भुगतान, लेखांकन एवं रिपोर्टिंग हेतु सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उपयोग अनिवार्य करने का निर्णय लिया तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (दिसंबर 2014) कि 1 अप्रैल 2015 से डीबीटी योजनाओं के तहत कोई भी भुगतान प्रक्रिया तब तक नहीं की जाए, जब तक उन भुगतानों हेतु पीएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फाइलें प्राप्त न हों। इसके अतिरिक्त डीबीटी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया मॉड्यूल का भाग डी यह निर्धारित करता है कि पीएफएमएस में लाभार्थी का पंजीकरण बैंक/डाक खाते के सफलतापूर्वक सत्यापन एवं आधार संख्या के सत्यापन के पश्चात् किया जाना है। आधार से जुड़े बैंक खातों में भुगतान के मामले में सत्यापन हेतु आधार संख्या (पीएफएमएस में प्रारंभिक स्तर के प्रारूप की जांच के बाद) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को भेजी जाती है। सत्यापन के पश्चात् बैंक एवं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम दोनों को पीएफएमएस के साथ सत्यापन प्रतिक्रिया साझा करनी होगी। बैंक की पुष्टि प्राप्त होने पर चेकर पीएफएमएस पर लाभार्थी को स्वीकृति देगा। पीएफएमएस पर सफल व असफल (हुए व ना हुए) दोनों लेनदेनों हेतु अलग-अलग पावती प्राप्त होती है एवं एसएमएस अलर्ट के माध्यम से लाभार्थियों को प्रतिक्रिया साझा की जाती है।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

- i. मार्च 2021 तक राज्य की पांच सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभ अंतरित करने के लिए न तो पीएफएमएस एवं न ही हिमकोश (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली - राज्य सरकार की एक रसीद लेखा प्रणाली) को अपनाया गया। इन पांच योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न चरणों में हस्तचालित हस्तक्षेप (मैनुअल इंटरवेंशन) से लाभ अंतरण किए जा रहे हैं, जिससे पेंशन वितरण प्रक्रिया में त्रुटियां हो रही हैं, जैसा कि अध्याय-5 में चर्चा की गई है।
- ii. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संबंध में अक्टूबर 2020 से अर्थात् निर्धारित तिथि से पांच साल से अधिक समयोपरांत पीएफएमएस द्वारा भुगतान किया जा रहा है। हालांकि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित विचलन पाए गए :
  - लाभार्थियों की सूची ई-कल्याण से निकाली जाती है एवं पीएफएमएस के साथ संगत (टेम्पलेट के अनुसार) प्रारूप में हस्तचालित (मैनुअल) रूप से परिवर्तित की जाती है एवं तत्पश्चात् पीएफएमएस पर अपलोड की जाती है। ई-कल्याण से पीएफएमएस तक फाइलों को स्वचालित रूप से आगे बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार लाभार्थी सूची के साथ हेर-फेर के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता। इसका कारण ई-कल्याण का पीएफएमएस के साथ एकीकृत न होना है।
  - लाभार्थियों की आधार संख्या का सत्यापन नहीं किया जा रहा है। पीएफएमएस पर केवल लाभार्थियों के बचत खातों का सत्यापन किया जाता है एवं सफलतापूर्वक सत्यापित लाभार्थियों को स्वीकृत किया जाता है। योजना के तहत पंजीकृत व बैंक/पोस्ट ऑफिस के अनुसार लाभार्थी का नाम भुगतान से पहले सत्यापन हेतु पीएफएमएस पर प्रदर्शित किया जाता है। यद्यपि किसी भी अस्पष्ट तर्क का उपयोग करके नाम में अंतर को चिह्नित करने के अभाव में नाम का यह सत्यापन मैनुअल रूप से किया जाना है। किसी प्रकार की त्रुटि को देखने व सुधारने के पश्चात् जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाता है, तथापि चूक की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
  - पीएफएमएस पर भुगतान (सफल व असफल या हुआ/नहीं हुआ) के संबंध में अलग-अलग पावती प्राप्त होती है। आगे यह देखा गया कि सफलतापूर्वक हुए लेन-देन हेतु पीएफएमएस से ई-कल्याण में लेनदेन की पावती आगे बढ़ाने की कोई व्यवस्था (पुश) नहीं है। ई-कल्याण व पीएफएमएस एकीकृत न होने से असफल लेनदेन के मामले में, लेनदेन न होने के कारणों को ई-कल्याण में मैनुअल रूप से फीड किया जाता है।
  - पेंशन भुगतान के संबंध में एसएमएस या किसी अन्य माध्यम से लाभार्थियों को प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार, प्रतिक्रिया तंत्र सक्रिय नहीं था।
  - इसके अतिरिक्त आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से पीएफएमएस व राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल एकीकृत न होने के कारण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल राज्य में डीबीटी के माध्यम से शून्य लेनदेन दिखा रहा है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि राज्य की योजनाओं हेतु पीएफएमएस को नहीं अपनाया गया, तथापि पीएफएमएस को अपनाने की निर्धारित समयसीमा तारीख से पांच साल से अधिक अवधि बीत जाने के बाद अक्टूबर 2020 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं हेतु इसे अपनाया गया। हालांकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं हेतु पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान में मैनुअल हस्तक्षेप, पीएफएमएस के साथ ई-कल्याण एकीकृत न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक फाइलों का स्वतः पुश न होना, प्रतिक्रिया तंत्र का न होना इत्यादि त्रुटियां शामिल थीं, जैसा कि ऊपर विवर्णित है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना भुगतान के लिए भी, यद्यपि पीएफएमएस का डीबीटी मांड्यूल स्वतः निधि अंतरण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, तथापि ई-कल्याण से पीएफएमएस तक फाइलों/निधि अंतरण ऑर्डर को स्वचालित रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाता एवं पीएफएमएस से वापस ई-कल्याण में लाभार्थी-वार पावती/पावती प्राप्त न होने की डेटा फाइलों को पीछे पुश नहीं किया जाता। लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि यह भुगतान प्रक्रिया भी पीएफएमएस या किसी अन्य स्वतः निधि अंतरण प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैनुअल हस्तक्षेप के बिना स्वतः करना आवश्यक है।

निदेशक (आईटी) ने बताया (जून 2021) कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ सभी संबंधित विभागों के साथ नियमित समन्वय कर रहा है तथा उनसे डीबीटी योजनाओं में पीएफएमएस पोर्टल का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि पीएफएमएस का प्रयोग राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभ अंतरण हेतु नहीं किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के सन्दर्भ में लाभार्थियों की आधार संख्या का सत्यापन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ ने भी इसे कार्यान्वित करने के लिए विभागों के साथ परिकल्पित समन्वय नहीं किया।

अंतिम बैठक में विभाग ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

### सारांश-

- डीबीटी प्रकोष्ठ विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा विभिन्न योजनाओं में डीबीटी को लागू करने के उसके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा था। डीबीटी ग्रहण करने में विभिन्न विभागों का मार्गदर्शन एवं निगरानी करने के लिए सलाहकार बोर्ड की बैठकें आयोजित नहीं की गई।
- डीबीटी प्रकोष्ठ ने राज्य के अधिकारियों को डीबीटी पर क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान नहीं की।
- विभाग के पास किसी प्रकार की आपदा पुनर्प्राप्ति एवं व्यवसाय निरंतरता योजना नहीं थी।
- विभाग द्वारा आपूरित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभ अंतरण के एवं राज्य डीबीटी पोर्टल में दर्शाए गए डेटा में भिन्नता थी।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं में पीएफएमएस को छः साल से अधिक विलम्ब के बाद प्रस्तुत किया गया एवं एनपीसीआई आधार मैपर पर आधार सत्यापन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य योजनाओं हेतु पीएफएमएस अभी तक शुरू नहीं किया गया।

- ई-कल्याण से पीएफएमएस में फाइलों को स्वतः पुश करने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर से निकाली गई लाभार्थियों की सूची का फॉन्ट पीएफएमएस पोर्टल में स्वीकृत नहीं है। अस्पष्ट तर्क के प्रयोग द्वारा लाभार्थियों के नाम में अंतर को चिह्नित करने के अभाव में लाभार्थी का सत्यापन मैनूअल रूप से किया गया।
- पीएफएमएस से ई-कल्याण में लेनदेन की पावती पुश करने की कोई व्यवस्था नहीं है। असफल लेनदेन हेतु ई-कल्याण में मैनूअल रूप से कारण दर्ज किए जाते हैं। असफल लेनदेन ई-कल्याण में मैनूअल रूप से दर्ज किए जाते हैं।
- आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल के साथ पीएफएमएस एकीकृत नहीं होने के कारण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल राज्य में डीबीटी के माध्यम से शून्य लेनदेन प्रदर्शित कर रहा है।
- विभाग द्वारा लागू की गई प्रक्रिया डीबीटी ढांचे के अनुरूप नहीं है, जिसमें लाभार्थियों को सीधे लाभ अंतरण शामिल होना चाहिए।
- प्रक्रिया को लाभ अंतरण कहा जा सकता है, परन्तु "प्रत्यक्ष" लाभ अंतरण नहीं क्योंकि निधियां लाभार्थियों को सीधे अंतरित नहीं की जाती, अपितु निधियां जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती हैं तथा उसके बाद लाभार्थी बैंक खातों में आगामी अंतरण हेतु चेक जारी किए जाते हैं।

#### **सिफारिशें - राज्य सरकार विचार करें:**

- विभिन्न विभागों में डीबीटी कार्यान्वयन के मार्गदर्शन एवं निगरानी में राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना।
- क्षमता निर्माण हेतु राज्य के अधिकारियों को डीबीटी पर प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करना।
- राज्य डीबीटी पोर्टल एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का एकीकरण।
- आपदा पुनर्प्राप्ति एवं व्यापार निरंतरता योजना तैयार करना तथा वास्तविक समय एमआईएस पोर्टल का अनुरक्षण।
- सही स्थिति दर्शाने हेतु लाभ अंतरण के डेटा का मिलान।
- सभी योजनाओं हेतु डीबीटी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ अंतरण के लिए अनिवार्य रूप से आधार एवं डाक/बैंक खाता संख्या के सत्यापन के साथ पीएफएमएस का प्रयोग करना तथा अस्पष्ट तर्क का उपयोग करके नामों में अंतर की पहचान स्वचालित होनी चाहिए, ताकि मैनूअल हस्तक्षेप को कम किया जा सके।

## **अध्याय-VIII**

**मानव संसाधन प्रबंधन एवं निगरानी**



## अध्याय - VIII

### मानव संसाधन प्रबंधन एवं निगरानी

किसी योजना का निर्विघ्न कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण हैं। यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आवेदनों की संवीक्षा, पेंशन की समयबद्ध स्वीकृति एवं प्रेषण इत्यादि की व्यवस्था स्थापित है एवं सही ढंग से कार्य कर रही है।

#### 8.1 कर्मियों की स्थिति

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमावली, 2010 एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (संशोधित) दिशानिर्देश, 2014 में परिकल्पित कार्यों जैसे पेंशन आवेदनों का सत्यापन व प्रक्रिया, लाभार्थियों की जांच, निगरानी, आदि के निष्पादन हेतु पर्याप्त कर्मचारियों की संख्या महत्वपूर्ण है। राज्य में जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों एवं मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों के संदर्भ में संवर्ग-वार स्वीकृत संख्या व पदस्थ कर्मियों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-8.1: कर्मचारियों की संख्या व पदस्थ कर्मियों की स्थिति

(संख्या में)

| कर्मचारियों का संवर्ग           | स्वीकृत संख्या | पदस्थ कर्मी | गिरावट         |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| जिला कल्याण अधिकारी             | 13             | 11          | 02 (15)        |
| तहसील कल्याण अधिकारी            | 91             | 83          | 08 (09)        |
| मंत्रिस्तरीय कर्मी <sup>1</sup> | 192            | 117         | 75 (39)        |
| <b>योग</b>                      | <b>296</b>     | <b>211</b>  | <b>85 (29)</b> |

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित जानकारी। टिप्पणी: कोष्ठक में दिए आंकड़े प्रतिशत दर्शाए हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक संवर्ग में श्रम-शक्ति की कमी थी, जिससे राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का निर्विघ्न कार्यान्वयन बाधित हो रहा था क्योंकि बुनियादी जांच नहीं हो पा रही थी, जो आवश्यक दस्तावेज रहित अपूर्ण आवेदनों की प्राप्ति, आवेदन-प्रक्रिया में विलम्ब, वास्तविक अभिलेखों से लाभार्थियों का आयु-सत्यापन, न्यूनायु लाभार्थियों का चयन, मृत लाभार्थियों को पेंशन संवितरण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे न आने वाले पेंशनभोगियों का चुनाव, अपात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना इत्यादि में परिणत हुआ।

जिला कल्याण अधिकारी, मंडी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के निर्विघ्न कार्यान्वयन हेतु पेंशन मामलों की संख्या के अनुसार पर्याप्त एवं प्रशिक्षित कर्मी तैनात करने चाहिए।

#### 8.2 ई-कल्याण उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका एवं क्षमता-निर्माण

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति एवं संवितरण हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ई-कल्याण सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग विभागीय पदाधिकारियों द्वारा पेंशन आवेदनों पर कार्यवाही हेतु किया जाता है। वांछित उद्देश्यार्थ सॉफ्टवेयर

<sup>1</sup> अधीक्षक (श्रेणी-I), अधीक्षक (श्रेणी-II), वरिष्ठ सहायक, सांख्यिकीय सहायक, लिपिक, स्टेनो, व कंप्यूटर ऑपरेटर

का उपयोग करने के लिए विभागीय पदाधिकारियों को इसकी उपयोगिता एवं कार्यक्षमता के विषय में ज्ञान होना चाहिए तथा उन्हें उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका (मैनुअल) या क्षमता-निर्माण हेतु विशेष प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर की उपयोगिता एवं कार्यक्षमता के सन्दर्भ में विभागीय पदाधिकारियों की क्षमता-निर्माण हेतु प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सॉफ्टवेयर उपयोगिता पर बेहतर समझ विकसित करने के लिए विभागीय पदाधिकारियों को इस संबंध में कोई उपयोगकर्ता मैनुअल प्रदान नहीं किया। विभाग द्वारा उपयोगकर्ता समूह को उपयोगकर्ता मैनुअल एवं प्रशिक्षण के अभाव में सॉफ्टवेयर का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया।

*संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि संबंधित अधिकारियों को पेंशन कार्य या ई-कल्याण के कार्यक्षमता के व्यवस्थापन हेतु कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।*

*जिला कल्याण अधिकारी (मुख्यालय) ने तथ्यों की पुष्टि की एवं बताया कि नव वेब-आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर नई सुविधाओं के साथ पिछले सॉफ्टवेयर का उन्नत संस्करण है तथा अधिकारी इसके कार्यप्रवाह से परिचित हैं। उन्होंने आगे बताया कि सॉफ्टवेयर विकास के चरण में है तथा इसके पूरी तरह से विकसित होने के पश्चात् सॉफ्टवेयर को बेहतर ढंग से समझने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से उपयोगकर्ता मैनुअल व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपयोगकर्ता समूह को विकास चरण में उपयोगकर्ता मैनुअल व प्रशिक्षण देने से उन्हें योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन हेतु सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता को समझने में मदद मिलती एवं उपयोगकर्ता समूह के सुझाव/टिप्पणियां सॉफ्टवेयर के इष्टतम उपयोग हेतु उसे विकसित करने में मददगार होते।*

### 8.3 राज्य एवं जिला-स्तरीय समितियां

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश (संशोधित) 2014 के परिच्छेद 6.1.2 के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में व अन्य सदस्यों<sup>2</sup> की राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया जाए। समिति को कार्यक्रम एवं उससे संबंधित मामलों का कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन कर भारत सरकार को सूचित करना होगा। राज्य-स्तरीय समिति को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी होगी। इसके अतिरिक्त दिशानिर्देश के परिच्छेद 3.6.1 के अनुसार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला-स्तरीय समितियों का गठन किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए राज्य-स्तरीय समिति का गठन नहीं किया। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं की निगरानी हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक राज्य-स्तरीय

<sup>2</sup> संबंधित विभागों के सचिव (वित्त, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नगरपालिका मामले, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, आदि), बैंक / डाकघर के दो प्रतिनिधि, चक्रानुक्रम में चार जिलों के उपायुक्त, चार स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ व प्रतिनिधि

समिति (दिशा<sup>3</sup>) का गठन किया गया था। आगे यह भी देखा गया कि जिला स्तर पर सभी कल्याण योजनाओं की निगरानी हेतु जिला-स्तरीय कल्याण समितियों का गठन किया गया। तथापि विभाग ने समिति की अनुशंसाओं पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए, जिसके अभाव में प्रभावी निगरानी की सीमा का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।

*उप निदेशक (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय) ने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं राज्य योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की निगरानी दिशा समिति एवं जिला-स्तरीय कल्याण समितियों के माध्यम से की जा रही है।*

#### 8.4 सतर्कता व निगरानी समिति

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश (संशोधित), 2014 के परिच्छेद 6.8 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य एवं जिला-स्तर पर सतर्कता व निगरानी समितियों की एक मंच के रूप में अवधारणा प्रस्तुत की गई है।

अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य एवं जिला-स्तर पर सतर्कता व निगरानी समितियों का एक मंच के रूप में गठन नहीं किया गया था। यथा परिकल्पित सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अभाव में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की समीक्षा सुनिश्चित नहीं की गई।

*उप निदेशक (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय) ने बताया कि दिशा समिति एवं जिला-स्तरीय कल्याण समितियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की निगरानी की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अभाव में कार्यक्रम की प्रभावी समीक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।*

#### 8.5 सामाजिक लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश के नियम 6.10.1 व 6.10.2 में कहा गया है कि योजनाओं के कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु ग्राम सभा/वाड समितियों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सामाजिक लेखापरीक्षा हर छः माह में कम से कम एक बार की जाए।

चयनित जिला कल्याण अधिकारियों की नमूना-जांच में पाया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं हेतु दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित नहीं किया गया था। सामाजिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभाग द्वारा योजनाओं की ज़मीनी स्तर पर निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

*उप निदेशक (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय) ने बताया कि सभी जिला कल्याण अधिकारियों को सामाजिक लेखापरीक्षा कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नमूना-जांचित जिला कल्याण अधिकारियों ने*

<sup>3</sup> जिला विकास, समन्वय व निगरानी समिति

बताया कि यद्यपि सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई, तथापि विभागीय अधिकारियों द्वारा पेंशनभोगियों का सत्यापन किया जा रहा था एवं विभागीय पदाधिकारियों ने ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया था। तथापि तथ्य यह है कि सामाजिक लेखापरीक्षा के अभाव में जमीनी स्तर के पदाधिकारियों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित नहीं की गई। नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने भी पृष्ट की, कि पेंशन योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

## 8.6 शिकायत निवारण तंत्र

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश के परिच्छेद 6.9 में प्रावधान है कि राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें एवं शिकायतों के निवारण हेतु एक अधिकारी नामित करें। शिकायतों के निपटान हेतु समय-सीमा निर्धारित की जाए एवं निवारण की समय-सीमा दर्शाने वाली एक रसीद शिकायतकर्ता को दी जाए। विभागीय अधिकारी प्राप्त की गई शिकायतों, अनुवर्ती कार्रवाई एवं उनके परिणाम का रिकॉर्ड रखें। शिकायतकर्ता को अनुवर्ती कार्रवाई के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

निदेशक, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय एवं नमूना-जांचित जिला कल्याण अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं किया गया था। शिकायतों की प्राप्ति, निपटान एवं शिकायत का स्तर दर्शाने वाले विवरण का निदेशालय या जिला कल्याण अधिकारी स्तर अनुरक्षण नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की। ऐसे किसी तंत्र के अभाव में लोक शिकायतों का समय पर निवारण लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मण्डी में कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु हेल्पलाइन नंबर तंत्र स्थापित किया गया था; तथापि इस संबंध में अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए।

उप निदेशक (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय) ने बताया कि ई-समाधान, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प एवं जन-मंच कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निवारण तदनुसार किया जा रहा है। जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का निवारण नियमानुसार किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण व स्पष्ट समय-सीमा के साथ निवारण तंत्र स्थापित नहीं किया गया। संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकार किया।

### सारांश-

- प्रत्येक संवर्ग में जनशक्ति की कमी थी, जिससे राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के निर्विघ्न संचालन में बाधा उत्पन्न हुई।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों को उपयोगकर्ता मैनुअल एवं ई-कल्याण सॉफ्टवेयर की उपयोगिता एवं कार्य-क्षमता के संबंध में प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

- शिकायत निवारण एवं सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित नहीं किया गया।
- विभाग में प्रभावी निगरानी का अभाव है, जिसके कारण योजना के कार्यान्वयन में पेंशन स्वीकृति में विलम्ब, पेंशन की स्वीकृति/भुगतान की पुनरावृत्ति, अपात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति, पेंशन संवितरण का सत्यापन न होना, पुनरावृत्ति पहचान संख्या (आईडी नंबर) का आवंटन इत्यादि कमियां पाई गईं।

**सिफारिशें - राज्य सरकार विचार करें:**

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कर्मचारियों को ई-कल्याण की उपयोगिता/कार्य-क्षमता सम्बंधित प्रशिक्षण देना।
- दिशानिर्देशों में परिकल्पित शिकायत निवारण, निगरानी एवं सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र की स्थापना।



**अध्याय-IX**  
**निष्कर्ष**



## अध्याय - IX

### निष्कर्ष

यद्यपि राज्य सरकार ने लाभार्थियों के बचत डाक/बैंक खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतरण की दिशा में आदर्श बदलाव किया, परन्तु फिर भी पेंशन योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित नहीं किया गया। विभाग के पास क्लाउंट सर्वर ई-कल्याण सॉफ्टवेयर को वेब आधारित बनाया है; तथापि लाभ की सुपूर्दगी कुशल एवं प्रभावी नहीं थी, जैसाकि नीचे सारांशित किया गया है:

#### **कवरेज एवं वित्तीय प्रबंधन**

2017-21 के दौरान कल्याण योजनाओं हेतु सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों पर पर्याप्त व्यय होने के बावजूद पात्र व्यक्तियों को योजना से बाहर रखा जाना पाया गया। सक्रिय आवधिक सर्वेक्षण या क्षेत्रीय कार्यालयों से सांख्यिकीय प्राप्त कर पात्र जनसंख्या का श्रेणी-वार अथवा आयु-वार डेटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया। पेंशन हेतु आवेदन करना पूर्ण रूप से लाभार्थियों या ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों पर निर्भर था। बिना आय मानदण्ड के वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की आयु 80 वर्ष से घटा कर 70 वर्ष करने के अनुरूप ही पेंशनभोगियों के लक्ष्य में बढ़ौतरी की गई। हालांकि 2017-21 के दौरान निधियों की उपलब्धता के बावजूद लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। पेंशन पर अंतिम निर्णय लेने हेतु निर्दिष्ट समय-सारणी के अभाव में बड़ी संख्या में मामले प्रतीक्षा-सूची में बने रहे तथा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पेंशन स्वीकृति में असामान्य समय लिया गया। पेंशन मामलों पर अंतिम निर्णय लेने में कोई समयसीमा निर्धारित न होने के कारण आवेदन प्रतीक्षा-सूची में दो से अधिक वर्षों तक बने रहे।

#### **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यान्वयन की तुलना**

विभाग ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं बजट भाषण में की गई उद्घोषणाओं के बावजूद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में डीबीटी का कार्यान्वयन नहीं किया। क्लाउंट-सर्वर आधारित ई-कल्याण को डीबीटी ढांचे के अनुरूप पुनः इंजीनियर नहीं करने से डीबीटी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। संवितरण प्रक्रिया ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं थी एवं उसमें मैन्युअल हस्तक्षेप शामिल था। आधार या किसी अन्य विशिष्ट आईडी द्वारा लाभार्थियों की विशिष्टता सुनिश्चित नहीं की गई थी। ई-कल्याण सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते समय डीबीटी भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार नहीं किया गया। लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक सूचना के रूप में प्रतिक्रिया देने का तंत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-कल्याण को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत न करने के कारण में पावती पुश उपलब्ध नहीं है जिससे लाभार्थी विवरण के साथ निधि अंतरण आदेश स्वचालित रूप से उत्पन्न नहीं होते।

#### **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया**

लाभार्थियों की पुनरावृत्ति की पहचान हेतु आधार अधिसूचित नहीं किया गया। कई मामलों में आधार संख्या का बार-बार उपयोग किया गया एवं डेटाबेस में सही ढंग से दर्ज/सीड नहीं करने के बड़ी संख्या में मामले पाए गए। क्लाउंट सर्वर ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में आधार संख्या हेतु स्वतंत्र फील्ड की उपलब्धता के बावजूद; फील्ड को पुनरावृत्ति के मामलों का पता लगाने के लिए सक्षम नहीं किया गया। नमूना-जांचित जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों में अपेक्षित प्रमाणपत्रों के बिना अपूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्त होने व आवेदन-प्रक्रिया में विलम्ब के

उदाहरण देखे गए। व्यक्तिगत लेजर खाते (पीएलए) का दो बार आवंटन यह दर्शाता है कि आवेदनों को ठीक से सत्यापित नहीं किया गया एवं सत्यापन जांच का अभाव था। ई-कल्याण में पंचायत के अभिलेखों के साथ पेंशनभोगियों के अभिलेखों के पुनः सत्यापन से लाभार्थियों की आयु में भिन्नता, न्यूनायु लाभार्थियों के चयन, मृत लाभार्थियों को पेंशन संवितरण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के तहत गरीबी रेखा के नीचे न आने वाले पेंशनभोगियों के चयन एवं अपात्र लाभार्थियों को लाभ देने के मामले उजागर हुए। एक ही खाता संख्या के माध्यम से कई लाभार्थियों को लाभ अंतरित किए गए। विभाग ने मौजूदा लाभार्थियों की पुष्टि हेतु विशेष सत्यापन टीम गठित नहीं की। पेंशन संवितरण स्वीकृति, प्राधिकारी की पेंशन स्वीकृति से पहले ले ली गई। जांचाधीन मामलों के सत्यापन तथा पात्र लाभार्थियों को लाभ वापस करने में विलम्ब हुआ। आय मानदंड को पूरा नहीं करने वाले, न्यूनायु एवं अन्य अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिया गया। पेंशन भुगतान में मनीऑर्डर पद्धति का उपयोग एवं बचत डक/बैंक खातों में पेंशन जमा करने के विभागीय निर्देशों के बावजूद डक विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को घर पर लाभ वितरण न करना जैसी कमियां पाई गईं। 80 वर्ष से अधिक आयु एव गंभीर रूप से विकलांग पेंशनभोगियों के सर्वेक्षण में काफी पेंशनभोगियों ने घर पर पेंशन नहीं मिलने की सूचना दी।

### **इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन का विश्लेषण**

विभागीय प्राधिकारियों एवं उपयोगकर्ताओं द्वारा ई-कल्याण साफ्टवेयर के प्रबंधन एवं उपयोग हेतु विभिन्न सिस्टम एवं उपयोगकर्ता नियमपुस्तिकाएं तैयार नहीं की गई थीं। ई-कल्याण साफ्टवेयर के डेटा डंप के विश्लेषण से विभिन्न स्तरों पर कई उपयोगकर्ता लॉगिन के निर्माण, लाभार्थियों के अपूर्ण क्रेडेंशियल्स की प्रविष्टि एवं विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा एक ही पीसी/आईपी एड्रेस से विभिन्न उपयोगकर्ता लॉगिन का उपयोग करने सहित कई कमियां प्रदर्शित हुईं। डेटा प्रविष्टि के समय आवेदकों की पुनरावृत्ति प्रविष्टि की जांच/पता लगाने की कार्यक्षमता उपलब्ध नहीं थी। वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर को दिशा-निर्देशों/नियमों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया था एवं क्लाउंट सर्वर ई-कल्याण में अंतर्निहित अनियमितताएं जारी रही। विभिन्न सूचनाएं उत्पन्न करने के विषय में, साफ्टवेयर का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता की सुविधा हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्षमता प्रदान नहीं की थी। साफ्टवेयर में लाभार्थियों को अभिगम्यता एवं प्रतिक्रिया लूप का अभाव था।

### **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की संरचना एवं प्रबंधन**

डीबीटी प्रकोष्ठ विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा विभिन्न योजनाओं में डीबीटी लागू करने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा था। विभिन्न योजनाओं के तहत डीबीटी अपनाने हेतु विभिन्न विभागों के मार्गदर्शन एवं निगरानी के लिए सलाहकार बोर्ड की बैठकें आयोजित नहीं की गईं। डीबीटी प्रकोष्ठ ने राज्य के अधिकारियों को डीबीटी पर क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण व सहायता प्रदान नहीं की। विभाग के पास ई-कल्याण साफ्टवेयर हेतु कोई आपदा पुनर्प्राप्ति एवं व्यवसाय निरंतरता योजना नहीं थी तथा वास्तविक समय एमआईएस पोर्टल का अनुरक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया। विभाग द्वारा आपूरित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभ अंतरण एवं राज्य डीबीटी पोर्टल पर परिलक्षित डेटा में भिन्नता थी। पीएफएमएस को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं में छः साल से अधिक के विलम्ब के पश्चात् शुरू किया गया एवं इसमें आधार सत्यापन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य योजनाओं हेतु पीएफएमएस अभी तक शुरू नहीं किया गया। ई-कल्याण साफ्टवेयर से निकाली गई लाभार्थियों की सूची का फ्रॉन्ट पीएफएमएस पोर्टल में मान्य न होने से ई-कल्याण से पीएफएमएस तक

फाइलों का स्वतः पुश (आगे बढ़ाना) उपलब्ध नहीं था। अस्पष्ट तर्क के प्रयोग द्वारा लाभार्थियों के नाम में अंतर को चिह्नित करने के अभाव में लाभार्थी का सत्यापन मैनुअल रूप से किया गया। पीएफएमएस से ई-कल्याण में लेनदेन की पावती पुश करने की कोई व्यवस्था नहीं है। असफल लेनदेन हेतु ई-कल्याण में मैनुअल रूप से कारण दर्ज किए जाते हैं। असफल लेनदेन ई-कल्याण में मैनुअल रूप से दर्ज किए जाते हैं। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से एनएसएपी पोर्टल के साथ पीएफएमएस एकीकृत नहीं होने के कारण एनएसएपी पोर्टल राज्य में डीबीटी के माध्यम से शून्य लेनदेन प्रदर्शित कर रहा है। विभाग द्वारा लागू की गई प्रक्रिया डीबीटी ढांचे के अनुरूप नहीं है, जिसमें लाभार्थियों को सीधे लाभ अंतरण शामिल होना चाहिए। प्रक्रिया को लाभ अंतरण कहा जा सकता है, परन्तु "प्रत्यक्ष" लाभ अंतरण नहीं क्योंकि निधियां लाभार्थियों को सीधे अंतरित नहीं की जाती, अपितु निधियां जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती हैं तथा उसके बाद लाभार्थी बैंक खातों में आगामी अंतरण हेतु चेक जारी किए जाते हैं।

### मानव संसाधन प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण

प्रत्येक संवर्ग में जनशक्ति की कमी थी जिससे राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के निर्विघ्न संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। विभागीय अधिकारियों को ई-कल्याण सॉफ्टवेयर की उपयोगिता एवं कार्य-क्षमता के संबंध में प्रशिक्षण नहीं दिया गया। शिकायत निवारण एवं सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित नहीं किया गया। विभाग में प्रभावी निगरानी का अभाव है जिसके कारण योजना के कार्यान्वयन में पेंशन स्वीकृति में विलम्ब, पेंशन की स्वीकृति/भुगतान की पुनरावृत्ति, अपात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति, पेंशन संवितरण का सत्यापन न होना, पुनरावृत्ति पहचान संख्या (आईडी नंबर) का आवंटन इत्यादि कमियां पाई गईं।

शिमला  
दिनांक: 04 जुलाई 2022

ऋतु किल्लो

(ऋतु ढिल्लो)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),  
हिमाचल प्रदेश

### प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 08 जुलाई 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(संदर्भ 1.3 एवं अध्याय - III)

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत सहायता स्तर के संबंध में समयसीमा

| प्रारंभ होने की तिथि | वृद्धावस्था/ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (भारत सरकार के अंश सहित) | वृद्धावस्था/इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (70/80 वर्ष से ऊपर भारत सरकार के अंश सहित) | दिव्यांग राहत भत्ता/ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (भारत सरकार के अंश सहित) | दिव्यांग राहत भत्ता/ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (70% दिव्यांग व अधिक भारत सरकार के अंश सहित) | विधवा/ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (भारत सरकार के अंश सहित) | कुष्ठरोगी | ट्रांसजेंडर |
|----------------------|--|---|---|---|--|-----------|-------------|
| 01.11.1971           | 25   | -   | 25  | -   | -  | -         | -           |
| 01.04.1973           | 40   | -   | 40  | -   | -  | -         | -           |
| 01.04.1974           | 50   | -   | 50  | -   | -  | -         | -           |
| 01.04.1986           | 60   | -   | 60  | -   | 60   | -         | -           |
| 01.04.1994           | 100  | -   | 100   | -   | 100  | 120       | -           |
| 01.08.1998           | 150  | -   | 150   | -   | 150  | 170       | -           |
| 01.08.2002           | 200  | -   | 200   | -   | 200  | 200       | -           |
| 01.01.2008           | 300  | -   | 300   | -   | 300  | 300       | -           |
| 01.01.2009           | 330  | -   | 330   | -   | 330  | 330       | -           |
| 01.04.2012           | 400  | 600*  | 400   | -   | 400  | 400       | -           |
| 01.09.2012           | 450  | 800*  | 450   | -   | 450  | 450       | -           |
| 01.04.2013           | 500  | 1000*   | 500   | -   | 500  | 500       | -           |
| 01.04.2014           | 550  | 1000*   | 550   | 750   | 550  | 550       | -           |
| 01.04.2015           | 600  | 1100*   | 600   | 1100  | 600  | 600       | -           |
| 01.04.2016           | 650  | 1200*   | 650   | 1200  | 650  | 650       | -           |
| 01.04.2017           | 700  | 1250*   | 700   | 1250  | 700  | 700       | 700         |
| 01.04.2018           | 750  | 1300**  | 750   | 1300  | 750  | 750       | 750         |
| 01.07.2019           | 850  | 1500**  | 850   | 1500  | 850  | 850       | 850         |
| 01.04.2020           | 850  | 1500**  | 1000  | 1500  | 1000   | 850       | 850         |

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन योजनाओं हेतु भारत सरकार का अंश

| प्रारंभ होने की तिथि | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (80+) | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग राहत भत्ता |
|----------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| 15.08.1995           | 75                                       | -  | 75                                    | 75   |
| 01.04.2006           | 200                                      | -  | 200                                   | 200  |
| 01.04.2011           | 200                                      | 500  | 200                                   | 200  |
| 01.04.2012           | 200                                      | 500  | 200                                   | 200  |

\* 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को पेंशन की बढ़ी हुई दर।

\*\* 70 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों को पेंशन की बढ़ी हुई दर।

**परिशिष्ट-2**

(सन्दर्भ परिच्छेद 1.4)

**आवेदकों की प्राथमिकता तय करने का मानदंड**

| <b>श्रेणी - वृद्धावस्था</b>      |  |
|----------------------------------|--|
| 1.                               | राज्य के आश्रमों/घरों/सदनों के निवासियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है   |
| 2.                               | बीपीएल + सबसे वयोवृद्ध निःसंतान व्यक्ति जिसकी आय सबसे कम है  |
| 3.                               | बीपीएल + सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति जिनके नाबालिग बच्चे हैं व सबसे कम आय है   |
| 4.                               | बीपीएल + सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति जिसकी आय बेटे/अविवाहित बेटे सहित सबसे कम है   |
| 5.                               | सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति जिसकी आय सबसे कम है  |
| 6.                               | सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति जिनके नाबालिग बच्चे हैं व सबसे कम आय है  |
| 7.                               | पुत्र/अविवाहित पुत्री सहित सबसे कम आय वाला सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति   |
| <b>श्रेणी - दिव्यांग</b>         |  |
| 1.                               | राज्य के आश्रमों/घरों/सदनों के निवासियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है   |
| 2.                               | बीपीएल, आवेदन की तिथि यदि समान है तो दिव्यांग का <i>प्रतिशत</i> , यदि दोनों समान हैं तो आवेदन तिथि, यदि समान है तो आयु में अधिक, यदि समान है तो विशिष्ट आईडी |
| <b>अन्य सभी श्रेणियों के लिए</b> |  |
| 1.                               | राज्य के आश्रमों/घरों/सदनों के निवासियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है।  |
| 2.                               | बीपीएल, आवेदन तिथि का आरोही क्रम, यदि समान है तो आयु में अधिक, यदि समान है तो विशिष्ट आईडी।  |

**परिशिष्ट-3**  
(संदर्भ परिच्छेद 2.3)

चयनित ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों की संख्या का श्रेणीवार विवरण एवं सर्वेक्षण किये गये  
लाभार्थियों का विवरण

| क्र. सं.            | तहसील         | ग्राम पंचायत   | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना | वृद्धावस्था पेंशन | विधवा | दिव्यांग राहत भत्ता | कुल | सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों की संख्या |
|---------------------|---------------|----------------|--|--|---|-------------------|-------|---------------------|-----|--|
| <b>जिला किन्नौर</b> |               |                |  |  |   |                   |       |                     |     |  |
| 1.                  | सांगला        | कमरू           | 5  | 3  | 0   | 56                | 39    | 11                  | 114 | 7                                      |
|                     |               | छितकूल         | 5  | 2  | 0   | 16                | 3     | 1                   | 27  | 6                                      |
|                     |               | रक्छम          | 15   | 1  | 1   | 26                | 4     | 4                   | 51  | 6                                      |
| 2.                  | निचार         | यंगपा          | 5  | 6  | 0   | 83                | 31    | 12                  | 137 | 17                                     |
|                     |               | कटगाओ          | 10   | 2  | 1   | 72                | 32    | 13                  | 130 | 18                                     |
|                     |               | काफनू          | 5  | 2  | 0   | 42                | 12    | 2                   | 63  | 18                                     |
|                     |               | संग्रा         | 13   | 2  | 0   | 67                | 19    | 24                  | 125 | 7                                      |
|                     |               | तरांडा         | 9  | 2  | 0   | 69                | 13    | 18                  | 111 | 9                                      |
|                     |               | पौंडा          | 10   | 1  | 0   | 50                | 18    | 9                   | 88  | 15                                     |
|                     |               | निचार          | 15   | 6  | 0   | 118               | 47    | 17                  | 203 | 5                                      |
| <b>जिला शिमला</b>   |               |                |  |  |   |                   |       |                     |     |  |
| 3.                  | शिमला ग्रामीण | जलेल           | 23   | 10                                       | 0   | 32                | 14    | 9                   | 88  | 13                                     |
|                     |               | थड़ी           | 27   | 6  | 1   | 88                | 31    | 11                  | 164 | 16                                     |
|                     |               | आनंदपुर        | 33   | 8  | 0   | 103               | 32    | 20                  | 196 | 5                                      |
|                     |               | कोट            | 27   | 10                                       | 0   | 71                | 16    | 11                  | 135 | 0                                      |
|                     |               | ढल्ली          | 18   | 8  | 0   | 48                | 15    | 13                  | 102 | 0                                      |
| 4.                  | ठियोग         | बासा ठियोग     | 26   | 6  | 0   | 76                | 23    | 11                  | 142 | 10                                     |
|                     |               | कोटशिलारू      | 51   | 11                                       | 0   | 106               | 32    | 18                  | 218 | 9                                      |
|                     |               | चिओग           | 28   | 16                                       | 0   | 93                | 43    | 23                  | 203 | 11                                     |
|                     |               | रोनी मत्याना   | 10   | 2  | 0   | 33                | 6     | 8                   | 59  | 8                                      |
|                     |               | कलिंडा मत्याना | 23   | 6  | 0   | 41                | 16    | 9                   | 95  | 10                                     |
|                     |               | कलजार मत्याना  | 13   | 1  | 0   | 32                | 7     | 3                   | 56  | 6                                      |
| 5.                  | चौपाल         | चंजू चौपाल     | 63   | 9  | 1   | 59                | 26    | 17                  | 175 | 3                                      |
|                     |               | धवास           | 61   | 12                                       | 0   | 98                | 29    | 27                  | 227 | 1                                      |
|                     |               | नेरवा          | 92   | 11                                       | 0   | 155               | 65    | 32                  | 355 | 1                                      |
|                     |               | थाना           | 31   | 6  | 0   | 23                | 9     | 12                  | 81  | 0                                      |
|                     |               | नगर निगम चौपाल | 4  | 1  | 0   | 12                | 23    | 7                   | 47  | 2                                      |
| 6.                  | रामपुर        | लालसा          | 23   | 4  | 0   | 76                | 11    | 16                  | 130 | 0                                      |
|                     |               | सराहन          | 34   | 16                                       | 0   | 145               | 59    | 25                  | 279 | 13                                     |
|                     |               | दत्त नगर       | 24   | 11                                       | 0   | 61                | 19    | 9                   | 124 | 11                                     |
|                     |               | नीरथ           | 33   | 9  | 0   | 41                | 16    | 9                   | 108 | 15                                     |
|                     |               | तकलेघ          | 78   | 17                                       | 0   | 91                | 32    | 24                  | 242 | 13                                     |

| जिला मंडी   |           |             |             |            |           |             |             |             |             |            |
|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7.          | सुंदर नगर | कनैड        | 21          | 19         | 1         | 137         | 43          | 26          | 247         | 14         |
|             |           | छत्तर       | 12          | 4          | 0         | 175         | 63          | 28          | 282         | 12         |
|             |           | भौर         | 14          | 9          | 0         | 81          | 26          | 16          | 146         | 10         |
|             |           | कपाही       | 16          | 5          | 1         | 92          | 28          | 18          | 160         | 14         |
|             |           | ऊपर बहली    | 17          | 8          | 0         | 183         | 76          | 38          | 322         | 13         |
| 8.          | चच्योट    | बासा        | 15          | 7          | 2         | 107         | 43          | 19          | 193         | 12         |
|             |           | चैल चौक     | 17          | 5          | 2         | 117         | 45          | 26          | 212         | 11         |
|             |           | गोहर        | 35          | 7          | 2         | 280         | 65          | 67          | 456         | 14         |
|             |           | चच्योट      | 26          | 13         | 0         | 109         | 67          | 22          | 237         | 14         |
|             |           | देलग टिककरी | 6           | 6          | 1         | 74          | 39          | 19          | 145         | 13         |
|             |           | नौन         | 20          | 5          | 1         | 167         | 37          | 31          | 261         | 12         |
| 9.          | मंडी सदर  | कटौला       | 36          | 12         | 1         | 181         | 67          | 52          | 349         | 11         |
|             |           | झीरी        | 6           | 1          | 0         | 56          | 64          | 4           | 131         | 15         |
|             |           | टकोली       | 5           | 0          | 0         | 63          | 19          | 10          | 97          | 13         |
|             |           | सध्याना     | 12          | 2          | 0         | 86          | 46          | 23          | 169         | 10         |
|             |           | नसलोह       | 25          | 3          | 0         | 72          | 14          | 16          | 130         | 12         |
|             |           | बारी गुमानु | 9           | 2          | 0         | 61          | 32          | 9           | 113         | 12         |
| जिला सोलन   |           |             |             |            |           |             |             |             |             |            |
| 10.         | सोलन      | आंजी        | 9           | 4          | 1         | 59          | 9           | 13          | 95          | 11         |
|             |           | सप्रून      | 1           | 7          | 1         | 34          | 25          | 16          | 84          | 11         |
|             |           | पड़ग        | 19          | 11         | 0         | 75          | 17          | 13          | 135         | 12         |
|             |           | बड़ोग       | 14          | 8          | 2         | 44          | 28          | 13          | 109         | 11         |
|             |           | शामटी       | 6           | 8          | 0         | 53          | 14          | 6           | 87          | 11         |
| 11.         | अर्की     | बातल        | 14          | 7          | 1         | 60          | 12          | 12          | 106         | 12         |
|             |           | देवरा       | 21          | 8          | 0         | 61          | 18          | 16          | 124         | 12         |
|             |           | हाटकोट      | 8           | 3          | 0         | 34          | 17          | 11          | 73          | 8          |
|             |           | कोठी        | 33          | 3          | 0         | 86          | 31          | 20          | 173         | 14         |
|             |           | कुनिहार     | 21          | 13         | 0         | 78          | 24          | 16          | 152         | 14         |
|             |           | पलोग        | 28          | 10         | 0         | 84          | 29          | 22          | 173         | 12         |
| <b>योग:</b> |           | <b>60</b>   | <b>1683</b> | <b>502</b> | <b>19</b> | <b>6313</b> | <b>2380</b> | <b>1310</b> | <b>9196</b> | <b>595</b> |

## परिशिष्ट-4

(संदर्भ परिच्छेद 3.2)

वर्ष 2020-21 हेतु लक्षित लाभार्थियों व मार्च 2021 तक प्रतीक्षा-सूची में लाभार्थियों की जिला-वार एवं योजना-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

| ज़िला             | इंदिरा गाँधी<br>राष्ट्रीय<br>वृद्धावस्था<br>पेंशन<br>योजना | इंदिरा<br>गाँधी<br>राष्ट्रीय<br>विधवा<br>पेंशन<br>योजना | इंदिरा<br>गाँधी<br>राष्ट्रीय<br>दिव्यांग<br>पेंशन<br>योजना | वृद्धावस्था<br>पेंशन | विधवा | दिव्यांग<br>राहत<br>भत्ता | कुल    | प्रतीक्षित |
|-------------------|--|---|--|----------------------|-------|---------------------------|--------|------------|
| बिलासपुर          | 5747   | 1477  | 36   | 23080                | 5549  | 3979                      | 39868  | 794        |
| चंबा              | 13549  | 2779  | 140  | 16375                | 8869  | 4654                      | 46366  | 2195       |
| हमीरपुर           | 8394   | 2167  | 142  | 16939                | 5326  | 4169                      | 37137  | 1342       |
| कांगरा            | 23593  | 4187  | 236  | 58949                | 21112 | 14897                     | 122974 | 8662       |
| कुल्लू            | 4830   | 1252  | 32   | 21727                | 7423  | 4579                      | 39843  | 5008       |
| मंडी              | 10503  | 3028  | 244  | 61586                | 18455 | 10808                     | 104624 | 2660       |
| शिमला             | 15788  | 3043  | 38   | 28881                | 9452  | 6150                      | 63352  | 2699       |
| सिरमौर            | 4895   | 1487  | 44   | 19570                | 7400  | 4573                      | 37969  | 2804       |
| सोलन              | 5760   | 1962  | 112  | 16973                | 5481  | 3652                      | 33940  | 2135       |
| उना               | 6240   | 2202  | 58   | 21419                | 6059  | 4571                      | 40549  | 2930       |
| किन्नौर           | 907  | 272   | 16   | 3372                 | 1248  | 626                       | 6441   | 149        |
| लाहौल -<br>स्पीती | 516  | 152   | 20   | 1323                 | 529   | 369                       | 2909   | 18         |
| योग               | 100722   | 24008   | 1118   | 290194               | 96903 | 63027                     | 575972 | 31396      |
| प्रतीक्षित        | 1087   | 390   | 10   | 23990                | 4042  | 1877                      |        |            |

**परिशिष्ट-5**

(संदर्भ परिच्छेद 3.5)

**सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन लाभ की बकाया राशि**

(₹ लाख में)

| जिला  | वर्ष    | प्रत्येक तिमाही के अंत में शेष राशि |                                |                             |                             |
|-------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       |         | प्रथम तिमाही<br>(30 जून)            | द्वितीय तिमाही<br>(30 सितम्बर) | तृतीय तिमाही<br>(31 दिसंबर) | चतुर्थ तिमाही<br>(31 मार्च) |
| मंडी  | 2017-18 | 96.55                               | 194.69                         | 336.21                      | 257.76                      |
|       | 2018-19 | 421.20                              | 1436.87                        | 553.52                      | 360.80                      |
|       | 2019-20 | 66.21                               | 98.60                          | 139.83                      | 188.28                      |
|       | 2020-21 | 221.42                              | 141.44                         | 207.23                      | 270.99                      |
| शिमला | 2017-18 | 119.43                              | 149.77                         | 21.08                       | 40.26                       |
|       | 2018-19 | 45.36                               | 38.33                          | 18.88                       | 70.02                       |
|       | 2019-20 | 33.33                               | 76.26                          | 39.12                       | 34.50                       |
|       | 2020-21 | 51.45                               | 88.20                          | 30.61                       | 65.67                       |
| सोलन  | 2017-18 | 19.65                               | 18.37                          | 21.50                       | 52.92                       |
|       | 2018-19 | 56.14                               | 53.91                          | 41.75                       | 73.08                       |
|       | 2019-20 | 45.11                               | 43.87                          | 12.34                       | 50.28                       |
|       | 2020-21 | 66.96                               | 82.18                          | 19.83                       | 124.65                      |

## परिशिष्ट-6

(संदर्भ परिच्छेद 7.5)

## राज्य डीबीटी पोर्टल में अनुपलब्ध कार्यक्षमताओं के संबंध में विवरण

| कार्यक्षमता           | विशेषता (विशेषताएं) / सूचना उपलब्ध नहीं/प्रदान की गई  |
|-----------------------|---|
| गृह                   | विभिन्न विशेषताएं जैसे हैडर, साइडबार, सामग्री, ड्रॉपडाउन मेनू विकल्प, नेविगेशन उपकरण, फूटर आदि।   |
| हमारे बारे में        | सलाहकार बोर्ड एवं डीबीटी प्रकोष्ठ के गठन की स्थिति।   |
| मल्टीमीडिया           | राज्य में डीबीटी से संबंधित छवि गैलरी, वीडियो गैलरी व प्रेस विज्ञप्ति।  |
| डीबीटी प्रकोष्ठ       | अलग-अलग विभागों द्वारा डीबीटी प्रकोष्ठ/समिति के गठन से संबंधित सूचना।   |
| प्रलेख                | डीबीटी मानक संचालन प्रक्रिया पर विभागों को दिशा-निर्देशों का प्रावधान। परिपत्र, रिपोर्ट, कार्यक्रम आदि जैसे कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए।   |
| सफलता की कहानी        | राज्य में एक विभाग या सभी विभागों में जानकारी रिसने को नियंत्रित करने, बचत व दोहराव की कहानी को हटाने से संबंधित डीबीटी सफलता पर राज्य की पहल।  |
| डाउनलोड               | अनुभाग जहां विभाग लोकेशन मास्टर के लिए संदर्भित कर सकता है जो एलजीडी (स्थानीय सरकार निर्देशिका) एवं राज्य डीबीटी एमआईएस एकीकरण दृष्टिकोण दस्तावेज है, जो राज्य डीबीटी पोर्टल के साथ डेटा एक्सचेंज के लिए वेब सेवा हस्ताक्षर या पूर्वनिर्धारित फ़ाइल प्रारूप वाले डेवलपर टूलकिट के रूप में है। |
| आरटीआई                | राज्य के डीबीटी सेल के सीपीआईओ व एफएए का विवरण।   |
| पूछे जाने वाले प्रश्न | यह सुविधा नहीं दी गई है।  |
| प्रतिक्रिया           | प्रतिक्रिया का प्रावधान नहीं है।  |
| नियम व शर्तें         | अस्वीकरण प्रमाणपत्र के साथ नियम व शर्तें।   |
| वेबसाइट नीति          | ये कार्यक्षमता राज्य डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं।  |
| कॉपीराइट नीति         |   |
| हाइपरलिंक नीति        |   |
| गोपनीयता नीति         |   |
| साइट मैप              |   |

स्रोत: राज्य डीबीटी पोर्टल <http://dbtportal.hp.gov.in> पर उपलब्ध है।





© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh>